

सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2018-19



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



## बिहार सरकार



विनियोग लेखे

वर्ष 2018-19 के लिए

बिहार सरकार



---

## विषय सूची

---

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम	
1. कृषि विभाग	01-25
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	26-34
3. भवन निर्माण विभाग	35-55
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	56-59
5. राज्यपाल सचिवालय	60-61
6. निर्वाचन विभाग	62-64
7. निगरानी विभाग	65-66
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	67-70
9. सहकारिता विभाग	71-74
10. ऊर्जा विभाग	75-77
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	78-81
12. वित्त विभाग	82-86
13. सूद भुगतान	87-89
14. ऋण अदायगियाँ	90-91
15. पेंशन	92-95
16. पंचायती राज विभाग	96-104
17. वाणिज्य-कर विभाग	105-106
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	107-111
19. पर्यावरण एवं वन विभाग	112-116
20. स्वास्थ्य विभाग	117-131
21. शिक्षा विभाग	132-151
22. गृह विभाग	152-163
23. उद्योग विभाग	164-169
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	170-172
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	173-176
26. श्रम संसाधन विभाग	177-183
27. विधि विभाग	184-187
28. उच्च न्यायालय	188-189
29. खान एवं भूतत्व विभाग	190-191
	178-181

	पृष्ठ
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	192-196
31. संसदीय कार्य विभाग	197
32. विधानमंडल	198-200
33. सामान्य प्रशासन विभाग	201-204
34. बिहार लोक सेवा आयोग	205
35. योजना एवं विकास विभाग	206-213
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	214-218
37. ग्रामीण कार्य विभाग	219-221
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	222-224
39. आपदा प्रबंधन विभाग	225-236
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	237-241
41. पथ निर्माण विभाग	242-248
42. ग्रामीण विकास विभाग	249-255
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	256-259
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	260-266
45. गन्ना उद्योग विभाग	267-269
46. पर्यटन विभाग	270-271
47. परिवहन विभाग	272-275
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	276-288
49. जल संसाधन विभाग	289-292
50. लघु जल संसाधन विभाग	293-298
51. समाज कल्याण विभाग	299-311
परिशिष्ट वर्ष 2018-19 के लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण	312-317

## प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

## टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।  
“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।  
“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वही मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड समान्यतया उपबंध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

1. कृषि विभाग दत्तमत	3,25,88,797	4,80,000	1,82,28,783	4,65,973
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	93,54,848	1,00,000	68,74,436	63,272
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	77,60,885	3,66,90,472	58,35,332	2,65,04,094
4. मंत्रिमंडल सचिवालय दत्तमत	35,86,173	1,97,314	23,46,771	0
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	2,24,732	0	1,90,282	0
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	12,94,880	0	11,54,628	0
7. निगरानी विभाग दत्तमत	3,79,854	0	3,26,990	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	13,91,186	0	9,41,586	0
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	1,82,28,041	1,04,82,000	97,96,299	81,79,329
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	6,99,80,599	5,81,51,080	6,92,61,493	5,19,17,470



सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

1,43,60,014	14,027	0	0
24,80,412	36,728	0	0
19,25,553	1,01,86,378	0	0
12,39,402	1,97,314	0	0
34,450	0	0	0
1,40,252	0	0	0
52,864	0	0	0
4,49,600	0	0	0
84,31,742	23,02,671	0	0
7,19,106	62,33,610	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत	1,55,50,292	1,25,000	1,21,23,053	29,412
12. वित्त विभाग दत्तमत	30,04,384	54,65,000	19,56,914	52,41,247
प्रभारित	78,39,139	0	78,38,991	0
13. सूद भुगतान प्रभारित	10,76,48,087	0	10,07,12,255	0
14. ऋण अदायगियाँ प्रभारित	0	7,32,64,124	0	7,22,98,193
15. पेंशन दत्तमत	16,68,67,920	0	16,03,64,763	0
प्रभारित	1,34,697	0	15,798	0
16. पंचायती राज विभाग दत्तमत	10,24,51,671	10,000	8,40,84,978	0
17. वाणिज्य-कर विभाग दत्तमत	15,57,098	0	11,38,933	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत	1,36,59,342	4,03,083	1,11,08,210	14,069
19. पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत	36,65,560	5,66,493	31,88,296	3,11,714
20. स्वास्थ्य विभाग दत्तमत	8,22,21,619	1,61,53,829	6,34,42,763	1,13,40,074
21. शिक्षा विभाग दत्तमत	36,93,52,058	54,74,502	26,97,72,725	42,35,734

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

34,27,239	95,588	0	0
10,47,470	2,23,753	0	0
148	0	0	0
69,35,832	0	0	0
0	9,65,931	0	0
65,03,157	0	0	0
1,18,899	0	0	0
1,83,66,693	10,000	0	0
4,18,165	0	0	0
25,51,132	3,89,014	0	0
4,77,264	2,54,779	0	0
1,87,78,856	48,13,755	0	0
9,95,79,333	12,38,768	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

22. गृह विभाग दत्तमत	8,94,48,016	55,08,881	8,22,05,143	51,02,785
23. उद्योग विभाग दत्तमत	71,37,477	2,91,000	61,44,850	1,70,320
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत	23,50,883	0	18,80,525	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	26,45,750	13,18,300	9,09,190	8,18,300
26. श्रम संसाधन विभाग दत्तमत	72,61,224	2,00,001	55,08,899	30,720
27. विधि विभाग दत्तमत	92,35,177	0	76,96,793	0
28. उच्च न्यायालय प्रभारित	16,44,157	0	15,20,491	0
29. खान एवं भूतत्व विभाग दत्तमत	5,19,589	1,38,426	3,00,776	1,38,426
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत	19,96,994	26,00,000	9,80,464	16,66,778
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत	19,804	0	18,953	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

72,42,873	4,06,096	0	0
9,92,627	1,20,680	0	0
4,70,358	0	0	0
17,36,560	5,00,000	0	0
17,52,325	1,69,281	0	0
15,38,384	0	0	0
1,23,666	0	0	0
2,18,813	0	0	0
10,16,530	9,33,222	0	0
851	0	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

32. विधान मंडल

दत्तमत	18,29,711	0	17,00,265	0
प्रभारित	11,434	0	5,503	0

33. सामान्य प्रशासन विभाग

दत्तमत	72,16,704	0	49,97,339	0
प्रभारित	76,091	0	74,633	0

34. बिहार लोक सेवा आयोग

प्रभारित	3,02,332	0	2,92,637	0
----------	----------	---	----------	---

35. योजना एवं विकास विभाग

दत्तमत	60,51,634	1,85,95,852	44,91,423	1,47,91,823
--------	-----------	-------------	-----------	-------------

36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दत्तमत	91,99,235	2,12,58,400	88,45,519	1,80,05,909
--------	-----------	-------------	-----------	-------------

37. ग्रामीण कार्य विभाग

दत्तमत	1,20,33,745	10,30,59,700	1,00,45,015	2,95,12,873
--------	-------------	--------------	-------------	-------------

38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

दत्तमत	20,44,373	0	16,21,263	0
--------	-----------	---	-----------	---

39. आपदा प्रबंधन विभाग

दत्तमत	4,81,90,018	20,000	1,64,22,814	0
--------	-------------	--------	-------------	---

40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दत्तमत	79,12,517	2,79,523	55,27,370	17,184
--------	-----------	----------	-----------	--------

41. पथ निर्माण विभाग

दत्तमत	1,41,82,033	5,74,72,100	93,02,651	5,55,49,680
--------	-------------	-------------	-----------	-------------

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

1,29,446	0	0	0
5,931	0	0	0
22,19,365	0	0	0
1,458	0	0	0
9,695	0	0	0
15,60,211	38,04,029	0	0
3,53,716	32,52,491	0	0
19,88,730	7,35,46,827	0	0
4,23,110	0	0	0
3,17,67,204	20,000	0	0
23,85,147	2,62,339	0	0
48,79,382	19,22,420	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत	18,95,19,086	15,10,100	12,77,66,673	23,293
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	18,50,761	17,85,000	14,12,054	10,88,902
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत	1,46,46,342	40,000	1,02,29,171	0
45. गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत	25,11,050	0	16,94,519	0
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	6,07,474	10,80,121	3,17,664	4,20,241
47. परिवहन विभाग दत्तमत	1,30,33,208	4,30,001	1,15,36,482	85,507
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत	5,36,12,962	30,000	3,29,70,183	30,000
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	1,04,24,644	3,04,49,170	98,35,304	2,86,54,897
50. लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत	47,99,274	26,54,000	43,40,353	17,04,074
51. समाज कल्याण विभाग दत्तमत	9,54,66,445	20,92,831	6,30,32,037	4,33,124
कुल दत्तमत :	1,51,86,41,337	38,51,12,179	1,15,36,80,645	26,65,47,224
कुल प्रभारित :	11,78,80,669	7,32,64,124	11,06,50,590	7,22,98,193
<b>कुल जोड़ :</b>	<b>1,63,65,22,006</b>	<b>45,83,76,303</b>	<b>1,26,43,31,235</b>	<b>33,88,45,417</b>



सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
6,17,52,413	14,86,807	0	0
4,38,707	6,96,098	0	0
44,17,171	40,000	0	0
8,16,531	0	0	0
2,89,810	6,59,880	0	0
14,96,726	3,44,494	0	0
2,06,42,779	0	0	0
5,89,340	17,94,273	0	0
4,58,921	9,49,926	0	0
3,24,34,408	16,59,707	0	0
36,49,60,692	11,85,64,955	0	0
72,30,079	9,65,931	0	0
<b>37,21,90,771</b>	<b>11,95,30,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम

अनुभाग

शून्य

### विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

---

अनुदान /विनियोग संख्या

लेखा का मुख्य शीर्ष वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2018-19 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

---

(₹ हजार में)

शून्य

## विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं ।

वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,15,36,80,645	26,65,47,224	11,06,50,590	7,22,98,193
घटायें- कुल वसूलियाँ	1,53,62,283	4,12,59,130	900	0
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे खण्ड-1 के विवरण 11 में दिखाया गया है ।	1,13,83,18,362	22,52,88,094	11,06,49,690	7,22,98,193

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

---

## विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

---

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एव ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।




इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे वित्त, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

### महत्वपूर्ण विषय

मैं कुल अनुदान अथवा विनियोग और किये गये व्यय के मध्य महत्वपूर्ण अंतर (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक) के कारण 29 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹42,302.53 करोड़ की बचत, जिनका कारण विनियोग लेखे में उचित उल्लेख नहीं किया गया है पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा, 25 अनुदानों/विनियोगों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹29,000.34 करोड़ (प्रत्येक वर्ष ₹100 करोड़ और अधिक) और अधिक की लगातार बचत की गयी है।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपर्युक्त मामलों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों में विस्तृत किया गया है।

दिनांक: 3<sup>rd</sup> August, 2020  
स्थान : नई दिल्ली

  
(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक





**अनुदान संख्या- 1- कृषि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401	फसल कृषि-कर्म
2402	मृदा तथा जल संरक्षण
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	2,70,17,793	3,25,88,797	1,82,28,783	(-)1,43,60,014
अनुपूरक	55,71,004			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,43,33,773
9 जुलाई 2018	20,02,306			
22 नवम्बर 2018	20,14,949			
24 जनवरी 2019	13,58,250			
31 मार्च 2019	89,58,268			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	4,80,000	4,80,000	4,65,973	(-)14,027
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,371
31 मार्च 2019	14,371			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,43,600.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹20,528.22 लाख), नवम्बर 2018 (₹22,644.33 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹12,537.49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹55,710.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,43,337.73 लाख), अंतिम बचत (₹1,43,600.14 लाख) से ₹262.41 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 1- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,812.93	1,278.96	1,279.11	(+)0.15	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹383.97 लाख की कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)533.97				
2401-00-001-0102 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	अनु०	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2401-00-001-0214 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	209.41	192.42	192.42	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹125.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	108.13				
	पुनर्वि०	(-)125.12				
2401-00-001-0314 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	139.60	128.28	128.28	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹83.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	72.09				
	पुनर्वि०	(-)83.41				
2401-00-102-0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,598.58	4,518.71	4,518.71	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹2,396.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	316.44				
	पुनर्वि०	(-)2,396.31				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-102-0301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,179.63	2,751.34	2,686.27	(-)65.07	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹1,858.67 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत तथा ₹1,780.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	210.95				
	पुनर्वि०	(-)3,639.24				
2401-00-103-0001 बीज गुणन फार्म (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,922.73	1,661.19	1,661.19	0.00	₹261.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)261.54				
2401-00-103-0109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	11,454.00	3,769.22	3,769.22	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹218.29 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹8,158.43 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	691.94				
	पुनर्वि०	(-)8,376.72				
2401-00-103-0218 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	996.00	17.24	17.24	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹517.27 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹2,202.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	1,740.59				
	पुनर्वि०	(-)2,719.35				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-103-0318 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	664.00	11.74	11.74	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹344.85 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹322.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	15.00				
	पुनर्वि०	(-)667.26				
2401-00-104-0106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	3,320.00	331.53	331.53	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹3,171.58 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	183.11				
	पुनर्वि०	(-)3,171.58				
2401-00-104-0205 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,433.41	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 1,267.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹170.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	4.98				
	पुनर्वि०	(-)1,438.39				
2401-00-104-0305 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	955.60	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹844.94 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹113.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	3.32				
	पुनर्वि०	(-)958.92				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2401-00-105-0001 कम्पोस्ट खाद योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	343.52	199.03	199.03	0.00	₹144.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)144.49				
2401-00-105-0106 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	18,675.00	741.96	741.96	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹17,933.04 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)17,933.04				
2401-00-105-0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,738.02	766.83	766.83	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹112.59 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹858.60 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)971.19				
2401-00-105-0307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,158.68	489.97	489.97	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹75.06 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹593.65 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)668.71				
2401-00-108-0001 जूट विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	518.37	286.75	286.75	0.00	₹231.62 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)231.62				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-108-0220 राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	171.69	115.88	115.88	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹806.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	750.40				
	पुनर्वि०	(-)806.21				
2401-00-108-0320 राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	197.46	74.53	74.53	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹540.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	417.28				
	पुनर्वि०	(-)540.21				
2401-00-109-0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	18,426.00	16,990.87	16,978.08	(-)12.79	प्रावधान में ₹ 11,472.22 लाख की हुई कमी, ₹ 50.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹11,522.22 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10,037.09				
	पुनर्वि०	(-)11,472.22				
2401-00-109-0216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,620.00	4,081.87	4,081.87	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹415.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹7,123.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)7,538.13				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-109-0217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,985.93	1,569.74	1,569.74	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹846.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹1,569.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)2,416.19				
2401-00-109-0218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,984.00	880.74	880.74	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹198.53 लाख, योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹2,793.36 लाख का आंतरिक समायोजन तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹111.37 लाख की
	पुनर्वि०	(-)3,103.26				
2401-00-109-0316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,904.66	2,453.59	2,450.82	(-)2.77	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹2,434.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹5,016.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)7,451.07				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-109-0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,546.28	1,046.49	1,046.49	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 7,453.30 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 1,046.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)8,499.79				
2401-00-109-0318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,656.00	1,641.58	1,640.75	(-)0.83	योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹1,140.33 लाख का आंतरिक समायोजन तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹796.18 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	922.09				
	पुनर्वि०	(-)1,936.51				
2401-00-113-0217 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	745.97	1,618.50	1,618.50	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹456.50 लाख की प्रत्यर्पण हुई। भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹0.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	1,329.32				
	पुनर्वि०	(-)456.79				



अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-113-0317 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	497.31	1,079.00	1,079.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹304.53 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹304.53 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	1,190.75				
	पुनर्वि०	(-)609.06				
2401-00-119-0001 उद्यान विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,918.12	1,105.74	1,105.74	0.00	प्रावधान में ₹ 812.38 लाख की हुई कमी, ₹15.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹326.43 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹500.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)812.38				
2401-00-119-0101 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,556.77	7,459.10	7,459.10	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹7,108.92 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	5,011.25				
	पुनर्वि०	(-)7,108.92				
2401-00-119-0224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,183.73	1,534.90	1,534.90	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹648.83 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)648.83				
2401-00-119-0324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,455.82	1,021.04	1,021.04	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹434.78 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)434.78				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0106 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट-नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,552.00	2,758.13	2,758.13	0.00	प्रावधान में ₹ 2,729.15 लाख की हुई कमी, ₹ 110.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,839.15 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹2,839.15 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,935.28				
	पुनर्वि०	(-),2,729.15				
2401-00-789-0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,208.00	678.39	678.39	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹219.46 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.08 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,401.45 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	133.38				
	पुनर्वि०	(-),1,662.99				
2401-00-789-0120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	2,560.00	532.92	528.51	(-)4.41	प्रावधान में ₹2,083.29 लाख की हुई कमी, ₹80.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,163.29 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	56.21				
	पुनर्वि०	(-),2,083.29				
2401-00-789-0126 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	113.95	113.95	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹3,486.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-),3,486.05				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0130 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,842.26	1,201.45	1,201.45	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण योजना की सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹1,606.84 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	966.03				
	पुनर्वि०	(-)1,606.84				
2401-00-789-0147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	640.00	63.91	63.91	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹611.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	35.30				
	पुनर्वि०	(-)611.39				
2401-00-789-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,240.00	934.67	933.58	(-)1.09	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹80.00 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹1,482.33 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	257.00				
	पुनर्वि०	(-)1,562.33				
2401-00-789-0234 राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	33.10	18.21	18.21	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹213.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	198.40				
	पुनर्वि०	(-)213.29				
2401-00-789-0235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	420.96	248.17	248.17	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹172.79 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)172.79				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	768.37	302.60	302.60	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹163.17 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹302.60 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)465.77				
2401-00-789-0237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,272.02	770.29	770.29	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹562.73 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	61.00				
	पुनर्वि०	(-)562.73				
2401-00-789-0238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	335.04	141.44	141.44	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹21.70 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹171.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)193.60				
2401-00-789-0239 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	768.00	169.78	169.78	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹38.27 लाख, योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹538.48 लाख का आंतरिक समायोजन तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹21.47 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)598.22				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0241 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	276.32	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹244.32 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹32.96 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	0.96				
	पुनर्वि०	(-)277.28				
2401-00-789-0245 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	143.80	312.00	312.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹88.00 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 0.06 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	256.26				
	पुनर्वि०	(-)88.06				
2401-00-789-0249 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	192.00	3.23	3.23	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹99.71 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹461.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	372.58				
	पुनर्वि०	(-)561.35				
2401-00-789-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,909.34	600.37	600.37	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹469.34 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹1,010.63 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	171.00				
	पुनर्वि०	(-)1,479.97				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,191.25	466.46	457.27	(-)9.19	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹422.22 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत तथा ₹ 343.24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	40.67				
	पुनर्वि०	(-)765.46				
2401-00-789-0334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	38.06	10.88	10.88	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹143.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	116.27				
	पुनर्वि०	(-)143.45				
2401-00-789-0335 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	280.64	165.00	165.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹115.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)115.64				
2401-00-789-0336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,840.25	201.74	201.74	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 1,436.78 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹201.73 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,638.51				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	223.36	90.99	90.99	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹14.47 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹117.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)132.37				
2401-00-789-0339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	512.00	316.45	316.45	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹219.82 लाख का आंतरिक समायोजन तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹153.48 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	177.75				
	पुनर्वि०	(-)373.30				
2401-00-789-0341 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	184.21	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 162.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹21.97 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	0.64				
	पुनर्वि०	(-)184.85				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0345 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	95.87	208.00	208.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 58.70 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹58.72 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	229.55				
	पुनर्वि०	(-)117.42				
2401-00-789-0349 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	128.00	2.56	2.56	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 66.48 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹86.55 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	27.59				
	पुनर्वि०	(-)153.03				
2401-00-796-0134 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट- नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	222.00	92.79	92.79	0.00	प्रावधान में ₹250.34 लाख की हुई कमी, ₹17.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 267.34 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹54.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 212.77 लाख कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	121.13				
	पुनर्वि०	(-)250.34				



अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-796-0140 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	138.00	32.38	32.38	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 13.72 लाख की प्रत्यर्पण, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.63 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹97.61 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	8.34				
	पुनर्वि०	(-)113.96				
2401-00-796-0143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	160.00	61.48	61.48	0.00	प्रावधान में ₹102.03 लाख की हुई कमी, ₹ 6.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 108.03 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3.51				
	पुनर्वि०	(-)102.03				
2401-00-796-0148 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	225.00	2.32	2.32	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹222.68 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)222.68				
2401-00-796-0152 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	115.15	64.29	64.29	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹111.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	60.38				
	पुनर्वि०	(-)111.24				
2401-00-796-0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	3.99	3.99	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹38.22 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	2.21				
	पुनर्वि०	(-)38.22				
2401-00-796-0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	140.00	62.59	62.59	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 5.00 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 129.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	57.00				
	पुनर्वि०	(-)134.41				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-796-0259	मूल	79.50	36.50	33.98	(-)2.52	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹46.81 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	3.81				
	पुनर्वि०	(-)46.81				
2401-00-796-0260	मूल	48.02	18.91	18.91	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 10.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 18.91 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)29.11				
2401-00-796-0261	मूल	48.00	10.61	10.61	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹2.39 लाख, योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹33.66 लाख का आंतरिक समायोजन तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹1.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)37.39				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-796-0271 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12.00	1.64	1.60	(-)0.04	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 6.23 लाख की प्रत्यर्पण हुई तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 52.48 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	48.35				
	पुनर्वि०	(-)58.71				
2401-00-796-0331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	119.33	41.43	41.43	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 29.33 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹86.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	38.00				
	पुनर्वि०	(-)115.90				
2401-00-796-0359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	74.45	22.47	22.47	0.00	भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹33.07 लाख की प्रत्यर्पण हुई ₹21.45 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2.54				
	पुनर्वि०	(-)54.52				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-796-0360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	115.02	12.61	12.61	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 89.80 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 12.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)102.41				
2401-00-796-0371 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8.00	0.52	0.52	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 4.15 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹21.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	18.43				
	पुनर्वि०	(-)25.91				
2402-00-102-0112 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	4,316.00	4,150.00	4,150.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 1.893.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	1,727.88				
	पुनर्वि०	(-)1,893.88				
2402-00-102-0114 नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जलछाजन विकास परियोजना (राज्य स्कीम)	अनु०	830.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)830.00				
2402-00-102-0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,656.00	1,457.33	1,457.33	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 250.11 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹948.56 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,198.67				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2402-00-789-0101 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	832.00	800.00	800.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹365.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	333.09				
	पुनर्वि०	(-)365.09				
2402-00-789-0103 नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जलछाजन विकास परियोजना (राज्य स्कीम)	अनु०	160.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)160.00				
2402-00-789-0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	512.00	281.33	281.33	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 48.21 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹182.46 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)230.67				
2402-00-796-0209 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 4.52 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹43.48 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)48.00				
2402-00-796-0309 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण ₹ 3.01 लाख तथा भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹28.99 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)32.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2415-01-004-0006 मिट्टी जाँच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	745.62	564.39	565.79	(+)1.40	प्रावधान में ₹181.23 लाख की हुई कमी, ₹3.18 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹184.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)181.23				
2415-01-004-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	664.00	557.81	559.24	(+)1.43	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹136.32 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	30.13				
	पुनर्वि०	(-)136.32				
2415-01-277-0006 सेवा काल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	313.22	189.53	196.48	(+)6.95	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 123.69 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)123.69				
2415-01-277-0008 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,942.88	10,346.41	10,346.41	0.00	₹2,596.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,596.47				
2415-01-277-0101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	174.30	77.76	77.76	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹96.54 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)96.54				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2415-01-277-0108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	13,935.70	7,803.94	7,803.94	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹6,131.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)6,131.76				
2415-01-277-0312 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	996.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)996.00				
2415-01-789-0103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	2,686.40	1,504.39	1,504.39	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण, योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने से ₹ 1,182.01 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,182.01				
2415-01-789-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	128.00	57.83	57.25	(-)0.58	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹75.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5.81				
	पुनर्वि०	(-)75.98				
2415-01-789-0308 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	192.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)192.00				
2415-01-796-0104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	167.90	94.02	94.02	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹73.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)73.88				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2435-01-102-0003 बीज परीक्षण प्रयोगशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	643.15	436.80	436.80	0.00	प्रावधान में ₹206.35 लाख की हुई कमी, ₹5.30 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹111.65 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)206.35				
2435-60-101-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	415.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)415.00				
2435-60-789-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)80.00				
3451-00-090-0007 कृषि मंत्रालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	568.34	400.04	400.04	0.00	₹168.30 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)168.30				
3475-00-106-0101 माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,138.35	1,649.68	1,649.68	0.00	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹472.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	983.43				
	पुनर्वि०	(-)472.10				
3475-00-789-0103 माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	219.44	306.67	157.40	(-)149.27	योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹102.35 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	189.58				
	पुनर्वि०	(-)102.35				



**अनुदान संख्या- 1- क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2402-00-102-0004 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	510.02	576.44	580.43	(+)3.99	प्रावधान में ₹66.42 लाख की हुई वृद्धि, ₹82.06 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹15.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	66.42				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹140.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹4,800.00 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹143.71 लाख), अंतिम बचत (₹140.27 लाख) से ₹3.44 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या- 2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2403 पशु-पालन  
2404 डेरी विकास  
2405 मछली-पालन  
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा  
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं  
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	71,85,096	93,54,848	68,74,436	(-)24,80,412
अनुपूरक	21,69,752			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				24,61,996
5 जूलाई 2018	12			
25 अक्टुबर 2018	1			
16 नवम्बर 2018	5,17,463			
31 मार्च 2019	19,44,520			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	0	1,00,000	63,272	(-)36,728
अनुपूरक	1,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				36,728
31 मार्च 2019	36,728			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹24,804.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹7,846.22 लाख), नवम्बर 2018 (₹13,774.29 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹77.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹21,697.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,619.96 लाख), अंतिम बचत (₹24,804.12 लाख) से ₹184.16 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2403-00-001-0003 अधीक्षण-क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,674.86	2,919.77	2,919.77	0.00	प्रावधान में ₹755.09 लाख की हुई कमी, ₹4.20 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹759.29 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण तथा सेवानिवृत्त तथा कर्मचारियों के एसीपी के बकाया भुगतान नहीं होने के कारण ₹759.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-755.09)				
2403-00-101-0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,316.92	6,310.71	(-)6.21	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 855.39 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,177.31				
	पुनर्वि०	(-860.39)				
2403-00-102-0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	262.07	224.20	224.20	0.00	कर्मचारियों के एसीपी/एमएसीपी की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 32.87 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-37.87)				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2403-00-102-0101 फ़ोर्जेन सीमेन बैंक (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	173.43	173.43	0.00	₹26.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)26.57				
2403-00-103-0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	870.39	654.71	654.71	0.00	प्रावधान में ₹215.68 लाख की हुई कमी, ₹5.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹220.68 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)215.68				
2403-00-104-0102 अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	248.23	248.04	(-)0.19	पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने तथा योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹51.77 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)51.77				
2403-00-106-0210 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,947.05	1,580.55	1,580.55	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹674.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹1,692.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,366.50				
2403-00-106-0212 राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,664.53	161.05	159.84	(-)1.21	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹192.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत तथा ₹1,311.40 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,503.48				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2403-00-106-0213 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,094.00	180.00	180.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹914.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)914.00				
2403-00-106-0310 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,631.37	1,247.85	1,247.85	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹534.43 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.32 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹976.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	132.23				
	पुनर्वि०	(-)1,515.75				
2403-00-106-0312 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,109.69	144.15	112.16	(-)31.99	अंतिम बचत तथा ₹ 965.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)965.54				
2403-00-106-0313 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	529.30	120.00	120.00	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹409.30 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)409.30				
2403-00-106-0411 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	95.00	58.27	58.27	0.00	कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं केन्द्रांश नहीं प्राप्त होने के कारण ₹36.73 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)36.73				
2403-00-113-0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,253.06	861.11	858.66	(-)2.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹200.13 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹191.82 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)391.95				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2403-00-789-0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	752.00	521.17	521.04	(-)0.13	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹230.83 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)230.83				
2403-00-789-0306 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	501.33	388.52	387.28	(-)1.24	प्रावधान में ₹112.81 लाख की हुई कमी, ₹5.32 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹118.13 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹118.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)112.81				
2403-00-796-0226 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	32.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)32.00				
2403-00-796-0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	39.48	36.38	0.00	(-)36.38	₹3.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3.10				
2403-00-796-0328 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	33.00	29.97	0.00	(-)29.97	₹3.03 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3.03				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2404-00-102-0010 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	857.63	764.77	764.39	(-)0.38	कुछ कर्मचारियों के वर्खास्तगी एवं वेतन में कमी होने के कारण ₹45.94 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹46.92 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)92.86				
2405-00-001-0001 मत्स्य विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,991.00	1,682.36	1,682.36	0.00	प्रशिक्षण व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एमएसीपी की राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 308.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)308.64				
2405-00-001-0101 मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन (राज्य स्कीम)	मूल	218.60	120.40	120.40	0.00	योजना की स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹98.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹0.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)98.21				
2405-00-001-0102 मत्स्य प्रसार (राज्य स्कीम)	मूल	730.01	548.04	547.93	(-)0.11	संविदा कर्मचारियों के नियुक्ति नहीं होने तथा जीआईएस एजेसी के चयन नहीं होने के कारण ₹181.97 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)181.97				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2405-00-101-0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	883.50	777.11	779.89	(+2.78	प्रशिक्षण व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एमएसीपी की राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 123.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	17.00				
	पुनर्वि०	(-)123.39				
2405-00-101-0103 मन मत्स्य का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	1.00	1.00	0.00	पद रिक्त रहने के कारण ₹ 49.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)49.00				
2405-00-101-0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	4,044.58	3,117.97	3,110.46	(-)7.51	प्रावधान में ₹926.61 लाख की हुई कमी, ₹ 70.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 996.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। बैंकों एवं समितियों के उदासीनता के कारण ₹996.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)926.61				
2405-00-101-0107 मत्स्य अनुसंधान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	290.00	3.45	3.45	0.00	योजना की स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹216.55 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹70.00 लाख के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)286.55				



अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2405-00-101-0219 नीली क्रांति- एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	अनु०	3,600.00				
	पुनर्वि०	(-)4,100.00				
2405-00-101-0319 नीली क्रांति- एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	333.33	98.56	98.56	0.00	योजना की स्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹3,480.77 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	3,246.00				
	पुनर्वि०	(-)3,480.77				
2405-00-101-0419 नीली क्रांति- एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	271.16	229.09	229.09	0.00	₹42.07 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)42.07				
2405-00-789-0101 मछुआरों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,192.20	1,042.11	1,042.11	0.00	₹150.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)150.09				
3451-00-090-0008 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	273.09	190.97	189.04	(-)1.93	उप-सचिव/अवर सचिव के पद रिक्त रहने, दावा एवं आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹98.07 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	15.95				
	पुनर्वि०	(-)98.07				
3454-01-001-0405 पशुधन गणना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	2,065.17	65.97	65.95	(-)0.02	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,999.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹52.02 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	52.02				
	पुनर्वि०	(-)2,051.22				

अनुदान संख्या- 2- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2404-00-001-0001	मूल	326.93	383.92	383.50	(-)0.42	प्रावधान में ₹39.07 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 46.92 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹7.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
मुख्यालय स्थापना	अनु०	17.92				
(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	39.07				

पूँजी ( दत्तमत )

(v) ₹367.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4403-00-102-0101	अनु०	1,000.00	632.72	632.72	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 367.28 लाख का प्रत्यर्पण हुई।
फ़ोर्जेन सिमेन बैंक (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)367.28				

**अनुदान संख्या- 3- भवन निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2059 लोक निर्माण कार्य  
2216 आवास  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
3053

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	76,69,342	77,60,885	58,35,332	(-)19,25,553
अनुपूरक	91,543			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,75,658
31 मार्च 2019	6,75,658			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय  
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय  
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय  
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय  
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	3,19,36,735	3,66,90,472	2,65,04,094	(-)1,01,86,378
अनुपूरक	47,53,737			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,01,11,320
3 अगस्त 2018	1			
21 दिसम्बर 2018	6,50,000			
6 मार्च 2019	2,50,000			
29 मार्च 2019	34,70,000			
31 मार्च 2019	57,41,319			

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

(i) ₹19,255.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹589.63 लाख), नवम्बर 2018 (₹0.03 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹325.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹915.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,756.58 लाख), अंतिम बचत (₹19,255.53 लाख) से ₹12,498.95 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2059-01-053-0008	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0011	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
पशुपालन विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0014	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
कृषि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0016	मूल	50.00	241.04	161.26	(-)79.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-01-053-0016	अनु०	191.04				
शिक्षा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0017	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2059-01-053-0021	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0023	मूल	137.50	137.50	0.00	(-)137.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के भवनों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0025	मूल	400.00	400.00	142.69	(-)257.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
वर्तमान न्यायालय का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (वित्त आयोग के अनुशंसा पर) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0026	मूल	2,200.00	2,200.00	1,785.04	(-)414.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
जिला न्यायालय भवन का सुरक्षा तथा स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0027	अनु०	531.21	531.21	438.92	(-)92.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2059-01-053-0104	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
गृह विभाग (पुलिस) के मुख्यालय भवन का सुदृढीकरण एवं जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)						
	पुनर्वि०	(-)200.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2059-01-053-0105 गृह विभाग (मुख्य शाखा) के मुख्यालय भवन का सुदृढीकरण एवं जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2059-01-053-0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2059-60-053-0001 शहरी अस्पतालों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	535.77	(-)464.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-60-053-0002 ग्रामीण अस्पतालों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	0.94	(-)499.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-60-053-0014 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	8.77	(-)91.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2059-60-053-0016	मूल	100.00	100.00	0.00	(-100.00)	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-80-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,143.47	1,792.56	1,792.56	0.00	प्रावधान में ₹350.92 लाख की हुई कमी, ₹ 105.90 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 456.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)350.92				
2059-80-001-0004 कार्यान्वयन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,786.99	15,740.00	15,620.90	(-)119.10	प्रावधान में ₹ 2,047.00 लाख की हुई कमी, ₹1,885.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,932.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)2,047.00				
2059-80-001-0011 उद्यान स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,149.74	1,864.81	1,843.60	(-)21.21	अंतिम बचत तथा ₹ 284.93 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)284.93				
2059-80-051-0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	970.00	846.00	152.76	(-)693.24	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹124.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)124.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2059-80-053-0001 अनुरक्षण और मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,500.00	30,360.10	23,024.80	(-)7,335.30	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,139.90 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,139.90				
2059-80-053-0005 बिहार भवन, नई दिल्ली के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु विविध उपबंध (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	687.50	687.50	552.19	(-)135.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-80-053-0006 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	137.50	137.50	0.11	(-)137.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-80-053-0010 राजपाल भवन का मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	226.27	226.27	182.93	(-)43.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-80-053-0013 आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों/पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	514.02	(-)485.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2059-80-053-0015 गाँधी मैदान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70.84	70.84	0.00	(-)70.84	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।



अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2059-80-103-0004	मूल	31.25	31.25	0.00	(-)31.25	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
भवनों का साज-सज्जा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2216-01-053-0001	मूल	660.00	202.77	202.77	0.00	₹457.23 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
अन्य रख-रखाव व्यय-प्रखंड के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)457.23				
2216-01-053-0002	मूल	250.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
अन्य रख-रखाव व्यय-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)250.00				
2216-01-053-0003	मूल	100.00	43.94	43.94	0.00	₹56.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
निबंधन विभाग के आवासीय भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)56.06				
2216-01-053-0005	मूल	2,200.00	1,567.42	1,567.42	0.00	₹632.58 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी के न्यायिक आवासीय भवन का सुरक्षा तथा मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)632.58				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2216-01-800-0012 विधायकों, राज्य मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	282.84	240.33	240.33	0.00	₹42.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)42.51				
2235-02-101-0224 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	58.42	7.82	0.00	(-)7.82	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.60				
3053-02-102-0001 हवाई अड्डा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	55.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)55.00				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹1,01,863.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹15,661.62 लाख), नवम्बर 2018 (₹ 28,856.22 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹3,019.53 लाख) में प्राप्त किया गया ₹47,537.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,01,113.20 लाख), अंतिम बचत (₹1,01,863.78 लाख) से ₹750.58 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4047-00-051-0101 वाणिज्यकर विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	292.49	292.49	0.00	प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹407.51 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹800.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,207.51				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4047-00-051-0105 कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	70.97	70.68	(-)0.29	प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹129.03 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)129.03				
4055-00-051-0103 नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	8,115.83	8,115.83	0.00	₹1,384.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,384.17				
4059-01-051-0101 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	8,324.05	8,121.27	(-)202.78	अंतिम बचत तथा ₹1,675.96 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)1,675.96				
4059-01-051-0104 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,410.00	1,727.96	1,622.30	(-)105.66	अंतिम बचत तथा ₹2,682.04 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,682.04				
4059-01-051-0105 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	415.64	415.64	0.00	₹84.36 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)84.36				
4059-01-051-0107 विन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	215.08	215.08	0.00	₹284.92 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)284.92				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4059-01-051-0110 निबंधन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	310.18	296.48	(-)13.70	अंतिम बचत तथा ₹ 89.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)89.82				
4059-01-051-0111 उत्पाद विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	119.87	119.87	0.00	₹380.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)380.13				
4059-01-051-0113 सहकारिता विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,967.50	96.82	96.82	0.00	₹1,870.68 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,870.68				
4059-01-051-0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	9,400.00	7,540.44	7,540.44	0.00	₹1,859.56 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,859.56				
4059-01-051-0118 पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	113.80	106.31	(-)7.49	अंतिम बचत तथा ₹ 186.20 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)186.20				
4059-01-051-0122 अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	175.43	148.44	(-)26.99	अंतिम बचत तथा ₹ 24.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)24.57				
4059-01-051-0123 निर्वाचन भवन (राज्य स्कीम)	मूल	539.59	181.74	181.74	0.00	₹357.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)357.85				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4059-01-789-0101 अनुसूचित जातियों के लिए भवन (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	24,658.52	24,658.52	0.00	₹5,341.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,341.48				
4059-01-789-0102 कृषि कार्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,520.00	1,201.48	1,087.76	(-)113.72	अंतिम बचत तथा ₹ 318.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)318.52				
4059-60-051-0015 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इ०वी०एम०) गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	110.00	1,832.07	1,487.31	(-)344.76	प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹4,795.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	अनु०	6,517.64				
	पुनर्वि०	(-)4,795.57				
4059-60-051-0017 वित्त आयोग की अनुशांसा पर एडीआर केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	539.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)539.00				
4059-60-051-0101 सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	11.94	11.94	0.00	₹38.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)38.06				
4059-60-051-0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	500.01	1,037.49	1,037.49	0.00	₹462.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)462.52				
4059-60-051-0105 केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,577.73	1,577.73	0.00	₹422.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)422.27				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4059-60-051-0107 सांस्कृतिक संचरना (राज्य स्कीम)	मूल	16,756.00	10,018.67	9,739.85	(-)278.82	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,000.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,737.33 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,737.33				
4059-60-051-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के भवनों का निर्माण/ पुनर्निर्माण/उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	9,291.15	11,915.07	11,431.23	(-)483.84	अंतिम बचत तथा ₹1,576.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,200.00				
	पुनर्वि०	(-)1,576.08				
4059-60-051-0114 अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	319.99	426.35	413.57	(-)12.78	अंतिम बचत तथा ₹ 306.91 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	413.27				
	पुनर्वि०	(-)306.91				
4059-60-051-0116 जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	687.17	347.39	347.39	0.00	₹2,839.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,500.00				
	पुनर्वि०	(-)2,839.78				
4059-60-051-0121 पटना उच्च न्यायालय का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	2,728.46	1,764.51	(-)963.95	अंतिम बचत तथा ₹271.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)271.54				
4059-60-051-0123 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,096.04	1,096.04	0.00	₹403.96 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)403.96				
4059-60-051-0222 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,125.00	612.89	587.16	(-)25.73	अंतिम बचत तथा ₹ 512.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)512.11				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4059-60-051-0322 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	480.00	312.72	312.72	0.00	₹167.28 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)167.28				
4059-60-051-0420 उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	261.99	36.27	36.27	0.00	प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 225.72 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)225.72				
4059-60-789-0207 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	737.00	723.36	0.00	(-)723.36	अंतिम बचत तथा ₹ 13.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)13.64				
4059-60-789-0305 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)90.00				
4059-60-789-0307 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	491.34	482.24	0.00	(-)482.24	अंतिम बचत तथा ₹ 9.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)9.10				
4059-60-796-0103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	50.00	50.00	0.00	₹200.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
4059-60-796-0204 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	33.00	32.88	0.00	(-)32.88	अंतिम बचत तथा ₹ 0.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)0.12				
4059-60-796-0302 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
4059-80-051-0105 न्यायिक भवन (विधि विभाग)(राज्य स्कीम)	मूल	1,730.00	1,560.39	1,553.49	(-)6.90	अंतिम बचत तथा ₹ 169.61 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)169.61				
4059-80-051-0110 न्यायिक भवने (भवन निर्माण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4059-80-051-0118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	7,405.18	7,405.00	(-)0.18	अंतिम बचत तथा ₹ 2,094.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,094.82				
4059-80-051-0119 सरकारी जमीन की घेराबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)40.00				
4059-80-051-0122 आईटी भवन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				



अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4059-80-051-0123 डा. एपीजे अब्दुल कलाम साईस सिटि (राज्य स्कीम)	अनु०	5,000.00	1,411.24	1,411.24	0.00	₹3,588.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,588.76				
4059-80-051-0220 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,000.00	5,611.79	5,609.31	(-)2.48	अंतिम बचत तथा ₹ 3,388.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,388.21				
4059-80-051-0221 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,100.00	1,102.02	1,100.03	(-)1.99	अंतिम बचत तथा ₹ 1,997.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,997.98				
4059-80-051-0320 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	3,390.26	3,359.23	(-)31.03	अंतिम बचत तथा ₹ 2,609.74 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,609.74				
4059-80-051-0321 अल्पसंख्यकों के लिए बहुदेशीय विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	603.39	428.22	(-)175.17	अंतिम बचत तथा ₹ 896.61 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)896.61				
4210-02-110-0102 ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	95.81	30.23	(-)65.58	अंतिम बचत तथा ₹ 204.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)204.19				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4210-03-105-0114 इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	574.36	574.36	0.00	₹713.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,286.49				
	पुनर्वि०	(-)713.13				
4210-03-105-0115 मेडिकल कॉलेज अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	76.05	76.05	0.00	₹223.95 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)223.95				
4210-03-105-0116 मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
4216-01-700-0003 लोक निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,310.00	1,524.80	1,521.41	(-)3.39	प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹758.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 27.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)785.20				
4216-01-700-0101 अन्य आवास (राज्य स्कीम)	मूल	19,800.00	10,876.87	9,625.01	(-)1,251.86	अंतिम बचत तथा ₹8,923.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
	पुनर्वि०	(-)8,923.13				
4216-01-700-0102 न्यायिक आवासीय भवनों (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4216-01-700-0105 न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग)(राज्य स्कीम)	मूल	2,100.00	1,900.89	1,819.05	(-)81.84	अंतिम बचत तथा ₹ 199.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)199.11				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4216-01-700-0306 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	2,077.53	2,077.53	0.00	₹1,922.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,922.47				
4225-04-051-0103 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
4225-80-051-0103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)(राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,076.63	1,049.79	(-)26.84	अंतिम बचत तथा ₹ 123.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)123.37				
4225-80-051-0104 अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)(राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
4408-02-051-0101 जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र (राज्य स्कीम)	अनु०	690.42	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)690.42				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4408-02-101-0101 लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	16.65	16.65	0.00	प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹983.35 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹9,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)9,983.35				
4408-02-101-0102 खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	3,466.00	0.00	0.00	0.00	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 466.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹ 3,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	पुनर्वि०	(-)3,466.00				
5452-01-101-0103 पर्यटन संरचना का निर्माण एवं जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	अनु०	4,641.17	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)4,641.17				

(vii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-02-104-0108 पॉलिटेक्निक भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	11,966.24	12,104.94	(+)138.70	प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹3,033.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,033.76				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-02-105-0105 अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	47,500.00	39,912.22	40,330.15	(+)417.93	प्रमंडलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,587.78 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 5,000.00 के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)7,587.78				

**अनुदान संख्या- 3- क्रमशः**

(ix)(क) **उचन्त लेन-देन :-** इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन, में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघु शीर्ष उचन्त के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचन्त।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

- (i) **स्टॉक** - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।
- (ii) **क्रय** - जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट "कार्य" शीर्ष में या "स्टॉक" उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर "क्रय" में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को "क्रय" शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष "8658-उचन्त लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उचन्त लेखा" के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।
- (iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम**- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।
- (iv) **कार्यशाला उचन्त**- (क) लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2018-19 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2019 को अंतशेष
<b>( ₹ लाख में )</b>					
<b>लोक निर्माण कार्य एवं आवास</b>					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	15,049.68	8,584.23	1,914.85	6,669.38	21,719.06
<b>कुल</b>	<b>13,622.28</b>	<b>8,584.23</b>	<b>1,914.85</b>	<b>6,669.38</b>	<b>20,291.66</b>

**अनुदान संख्या- 3- क्रमांत**

- (x) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा-** लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2016-17 से 2018-19 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
<b>( ₹ लाख में )</b>					
2016-17	1,77,168.96	14,975.00	8.45	222.35	0.13
2017-18	2,58,991.45	16,410.80	6.34	97.63	0.04
2018-19	3,12,459.60	18,534.55	5.93	196.85	0.06

**अनुदान संख्या- 4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2013	मंत्रिपरिषद
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2053	जिला प्रशासन
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति
3053	नागर विमानन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	35,51,784	35,86,173	23,46,771	(-)12,39,402
अनुपूरक	34,389			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,55,927
17 जनवरी 2019	25,600			
31 मार्च 2019	9,30,327			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय
------	--------------------------------

दत्तमत :

मूल	1,97,314	1,97,314	0	(-)1,97,314
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹12,394.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹8.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹172.39 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹163.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹343.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,559.27 लाख), अंतिम बचत (₹12,394.02 लाख) से ₹2,834.75 लाख कम था।



**अनुदान संख्या- 4- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
			( ₹ लाख में )				
2013-00-104-0001	मूल	70.00	70.00	45.04	(-)24.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
आतिथ्य व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)							
2013-00-105-0002	मूल	157.00	109.80	109.80	0.00	₹47.20 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						(-)47.20
2013-00-800-0001	मूल	127.00	127.63	127.62	(-)0.01	अंतिम बचत तथा ₹ 97.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						98.00
							(-)97.37
2052-00-090-0016	मूल	340.91	300.22	298.75	(-)1.47	अंतिम बचत तथा ₹ 56.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	राजभाषा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						15.50
							(-)56.19
2052-00-090-0101	मूल	162.00	76.84	74.51	(-)2.33	अंतिम बचत तथा ₹ 85.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	राजभाषा (राज्य स्कीम)						(-)85.16
2052-00-090-0147	मूल	70.00	1.94	1.94	0.00	₹68.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय (राज्य स्कीम)						(-)68.06
2052-00-092-0023	मूल	155.34	104.64	104.63	(-)0.01	अंतिम बचत तथा ₹ 65.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	उर्दू निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						15.00
							(-)65.70

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-092-0103 20-सूत्री कार्यक्रम- कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.95	0.95	0.00	उपाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारी के पद रिक्त रहने के कारण ₹99.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)99.05				
2052-00-092-0123 उर्दू निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	162.00	129.25	126.09	(-)3.16	₹32.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)32.75				
2053-00-093-0106 20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.25	(-)199.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2053-00-094-0008 राजभाषा स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	124.84	83.46	83.46	0.00	₹44.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3.50				
	पुनर्वि०	(-)44.88				
2053-00-094-0011 द्वितीय राजभाषा (उर्दू) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,194.41	5,198.33	5,131.01	(-)67.32	अंतिम बचत तथा ₹ 2,016. 08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	20.00				
	पुनर्वि०	(-)2,016.08				
2070-00-001-0107 बिहार विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	मंत्रिमंडल सचिवालय के आंतरिक विभागीय समायोजन के कारण ₹6,500.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)6,500.00				

**अनुदान संख्या- 4- क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-114-0001	मूल	4,872.96	4,872.96	2,890.38	(-)1,982.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2070-00-115-0001	राज्य अतिथि गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	105.13	86.66	86.41	(-)0.25	अंतिम बचत तथा ₹ 48.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	30.00				
	पुनर्वि०	(-)48.47				
2070-00-115-0002	मूल	1,195.85	1,035.26	1,035.11	(-)0.15	अंतिम बचत तथा ₹ 160.59 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)160.59				
2205-00-104-0102	मूल	69.00	6.15	6.15	0.00	₹62.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)62.85				
2205-00-104-0103	मूल	35.00	3.46	3.46	0.00	₹31.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)31.54				
3053-80-003-0001	मूल	652.90	652.90	350.63	(-)302.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹1,973.14 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया।

(v) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5053-02-102-0101	मूल	1,973.14	1,973.14	0.00	(-)1,973.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

**विनियोग संख्या- 5- राज्यपाल सचिवालय  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	2,00,743	2,24,732	1,90,282	(-)34,450
अनुपूरक	23,989			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				915
31 मार्च 2019	915			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹344.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹82.89 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹157.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹239.89 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9.15 लाख), अंतिम बचत (₹344.50 लाख) से ₹335.35 लाख कम था।

विनियोग संख्या- 5- क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-090-0001	मूल	1,163.02	1,163.02	944.86	(-)218.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2012-03-103-0001	मूल	184.10	184.10	133.01	(-)51.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2012-03-103-0002	मूल	34.11	34.11	22.73	(-)11.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2012-03-103-0008	मूल	47.10	47.10	17.28	(-)29.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

**अनुदान संख्या- 6- निर्वाचन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
2015 निर्वाचन  
दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	10,88,954	12,94,880	11,54,628	(-)1,40,252
अनुपूरक	2,05,926			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,43,855
31 मार्च 2019	1,43,855			

टीका एवं टिप्पणियाँ-  
राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,402.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹59.26 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹2,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,059.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,438.55 लाख), अंतिम बचत (₹1,402.52 लाख) से ₹36.03 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2015-00-102-0001 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,182.32	2,787.20	2,773.04	(-)14.16	प्रावधान में ₹438.89 लाख की हुई कमी, ₹ 274.18 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 713.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	43.77				
	पुनर्वि०	(-)438.89				
2015-00-103-0001 विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,505.00	4,971.29	4,935.34	(-)35.95	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,274.18 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 259.53 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,533.71				
2015-00-106-0002 राज्य विधान परिषद् निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80.00	4.62	4.62	0.00	स्नातक/शिक्षक परिषद् का चुनाव नहीं होने के कारण ₹75.38 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)75.38				
2015-00-108-0001 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	505.00	322.00	320.05	(-)1.95	अंतिम बचत तथा ₹ 183.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)183.00				

अनुदान संख्या- 6- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2015-00-105-0001 लोकसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	3,228.23	3,228.23	0.00	प्रावधान में ₹828.23 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 171.77 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	828.23				
2015-00-106-0001 राज्य विधानसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	210.00	181.42	269.50	(+88.08	अंतिम अधिक तथा ₹ 28.58 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)28.58				



**अनुदान संख्या -7- निगरानी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	3,67,373	3,79,854	3,26,990	(-)52,864
अनुपूरक	12,481			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				50,333
31 मार्च 2019	50,333			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹528.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹124.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹503.33 लाख), अंतिम बचत (₹528.64 लाख) से ₹25.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 7- क्रमांत

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-104-0003 तकनीकी परीक्षक सेल (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	408.79	321.39	316.58	(-)4.81	अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति होने तथा निधि का उपयोग नहीं होने के कारण ₹97.40 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10.00				
	पुनर्वि०	(-)97.40				
2070-00-104-0004 अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,596.76	2,251.44	2,244.98	(-)6.46	अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति होने तथा विपत्र की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹345.32 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	पुनर्वि०	(-)345.32				
2070-00-104-0014 विशेष सतर्कता ईकाई (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	333.21	295.15	282.27	(-)12.88	अंतिम बचत तथा ₹ 38.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)38.06				

**अनुदान संख्या- 8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	13,91,186	13,91,186	9,41,586	(-)4,49,600
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,46,197
31 मार्च 2019	4,46,197			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,496.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹13,911.86 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,461.97 लाख), अंतिम बचत (₹4,496.00 लाख) से ₹34.03 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 8- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2204-00-101-0001 शारीरिक शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	413.99	312.68	310.40	(-)2.28	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.97 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 100.34 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)101.31				
2204-00-102-0001 राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एनसीसी)-प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,128.43	866.28	866.28	0.00	₹262.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)262.15				
2204-00-102-0002 राष्ट्रीय कैंडेट कोर-वरीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,527.07	1,254.65	1,241.28	(-)13.37	अंतिम बचत तथा ₹ 272.42 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)272.42				
2204-00-102-0003 राष्ट्रीय कैंडेट कोर-कनीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,261.81	1,085.64	1,085.64	0.00	₹176.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)176.17				
2204-00-104-0001 खेल-कूद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,071.86	941.11	929.38	(-)11.73	प्रावधान में ₹130.75 लाख की हुई कमी, ₹ 81.10 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 211.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)130.75				

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2204-00-104-0102 खेल-कूद (राज्य स्कीम)	मूल	1,750.00	883.92	883.92	0.00	राशि की स्वीकृति तथा कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 866.08 लाख प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)866.08				
2205-00-102-0001 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	566.72	345.67	345.67	0.00	₹221.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)221.05				
2205-00-102-0101 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	1,370.00	731.93	731.93	0.00	प्रावधान में ₹638.07 लाख की हुई कमी, ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 838.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। राशि की स्वीकृति तथा कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 838.07 लाख प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)638.07				
2205-00-103-0001 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	570.45	274.48	268.25	(-)6.23	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹44.10 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 251.87 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)295.97				
2205-00-103-0101 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	265.00	106.33	106.33	0.00	राशि की स्वीकृति तथा कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 158.67 लाख प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)158.67				

अनुदान संख्या- 8- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2205-00-107-0001 संग्रहालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,345.48	1,939.67	1,939.67	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹85.07 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 320.74 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)405.81				
2205-00-107-0101 संग्रहालय (राज्य स्कीम)	मूल	905.00	160.43	160.43	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹200.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 544.57 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)744.57				
2205-00-190-0001 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2205-00-190-0101 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, राशि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)150.00				

**अनुदान संख्या- 9- सहकारिता विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2401 फसल कृषि-कर्म  
2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार  
2425 सहकारिता  
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	73,24,724	1,82,28,041	97,96,299	(-)84,31,742
अनुपूरक	1,09,03,317			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				84,30,395
17 जनवरी 2019	50,975			
13 फरवरी 2019	11,152			
31 मार्च 2019	83,68,268			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय  
6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	7,40,375	1,04,82,000	81,79,329	(-)23,02,671
अनुपूरक	97,41,625			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				23,02,671
29 मार्च 2019	18,75,000			
31 मार्च 2019	4,27,671			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹84,317.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹26.61 लाख), नवम्बर 2018 (₹31,836.99 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹77,169.57 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,09,033.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹84,303.95 लाख), अंतिम बचत (₹84,317.42 लाख) से ₹13.47 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 9- क्रमशः**

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-110-0112 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	90,000.00	31,823.00	31,823.00	0.00	₹58,177.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)58,177.00				
2401-00-796-0364 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम अनुदान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	696.70	123.83	123.83	0.00	₹572.87 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)572.87				
2425-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	550.76	489.02	489.02	0.00	मित्तव्ययिता, कर्मचारियों का स्थानांतरण तथा एमएसीपी की भुगतान नहीं होने के कारण ₹70.38 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	8.64				
	पुनर्वि०	(-)70.38				
2425-00-003-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2425-00-003-0103 सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2425-00-107-0105 मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	527.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)527.00				
2425-00-108-0107 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	378.27	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)378.27				



अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2425-00-108-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	1,529.25	1,529.25	0.00	₹3,470.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,470.75				
2425-00-108-0118 पैक्सों/व्यपार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	684.00	684.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹96.32 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,419.68 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,516.00				
2425-00-108-0419 प्राथमिक कृषि साख समिति अंतर्गत कृषि बैंक संयंत्र की स्थापना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	18,750.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय सहकारी संस्थान द्वारा विलम्ब से स्वीकृति मिलने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)18,750.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-110-0107 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	102.54	102.54	0.00	प्रावधान में ₹ 101.54 लाख की हुई वृद्धि, ₹102.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹0.46 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	101.54				

**अनुदान संख्या- 9- क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2425-00-105-0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	51.00	154.28	154.28	0.00	प्रावधान में ₹ 103.27 लाख की हुई वृद्धि, ₹125.78 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹22.51 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	103.27				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹23,026.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹3,177.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹ 94,239.25 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 97,416.25 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत(₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4425-00-051-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,382.50	1,097.66	1,097.66	0.00	₹1,284.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,284.85				
4425-00-051-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	3,177.00	185.88	185.88	0.00	₹2,991.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,991.12				
6425-00-108-0419 प्राथमिक कृषि साख समिति अंतर्गत कृषि बैंक संयंत्र की स्थापना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	18,750.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय सहकारी संस्थान द्वारा विलम्ब से स्वीकृति मिलने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)18,750.00				

**अनुदान संख्या- 10- ऊर्जा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2801 बिजली

2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	4,44,25,511	6,99,80,599	6,92,61,493	(-)7,19,106
अनुपूरक	2,55,55,088			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,19,106
31 मार्च 2019	7,19,106			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4801 बिजली परियाजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	5,81,51,080	5,81,51,080	5,19,17,470	(-)62,33,610
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				62,33,610
25 मार्च 2019	32,76,100			
31 मार्च 2019	29,57,510			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹7,191.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹1,51,525.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹10,725.88 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹93,300.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,55,550.88 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या- 10- क्रमशः**

(ii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2045-00-103-0001 विद्युत निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	169.65	127.13	127.13	0.00	₹45.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3.00				
	पुनर्वि०	(-)45.52				
2810-60-600-0101 अपरम्परागत उर्जा स्रोत (राज्य स्कीम)	मूल	7,500.00	376.33	376.33	0.00	₹7,123.67 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)7,123.67				

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

(iii) ₹62,336.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹5,81,510.80 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(iv) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4801-02-796-0101 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,185.63	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,185.63				
4801-05-190-0209 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (राज्य घटक)-(एसबी पीडीसीएल के लिए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90,600.00	68,788.00	68,788.00	0.00	₹21,812.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)21,812.00				
4801-05-190-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (राज्य घटक)-(एनबी पीडीसीएल के लिए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90,783.00	79,849.00	79,849.00	0.00	₹10,934.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)10,934.00				

अनुदान संख्या- 10- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
6801-00-190-0015 दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ग्रामीण विद्युतिकरण निकाय से लिए गये ब्याज का भुगतान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,734.60	1,382.43	1,382.43	0.00	₹13,352.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)13,352.17				
6801-00-190-0016 उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ग्रामीण विद्युतिकरण निकाय से लिए गये ब्याज का भुगतान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,713.20	2,730.07	2,730.07	0.00	₹8,983.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)8,983.13				
6801-00-201-0101 बिहार राज्य पनबिजली निगम (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,525.90	1,525.90	0.00	₹474.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)474.10				
6801-00-201-0105 बिहार राज्य पनबिजली निगम को कर्ज (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	580.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)580.00				

**अनुदान संख्या -11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,51,20,114	1,55,50,292	1,21,23,053	(-)34,27,239
अनुपूरक	4,30,178			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				34,22,194
31 मार्च 2019	34,22,194			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,25,000	1,25,000	29,412	(-)95,588
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				95,588
31 मार्च 2019	95,588			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹34,272.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹18.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹1,525.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹2,758.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,301.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹34,221.94 लाख), अंतिम बचत (₹34,272.39 लाख) से ₹50.45 लाख कम था।

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-197-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	10,395.00	4,575.78	4,575.78	0.00	₹5,819.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,819.22				
2225-03-198-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	19,855.00	16,840.36	16,840.36	0.00	₹3,014.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,014.64				
2225-03-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	71.33	87.98	87.98	0.00	₹89.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	106.29				
	पुनर्वि०	(-)89.64				
2225-03-277-0010 पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,259.00	1,145.95	1,102.91	(-)43.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4.85 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 182.34 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	74.14				
	पुनर्वि०	(-)187.19				
2225-03-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,08,802.66	87,177.81	87,171.06	(-)6.75	अंतिम बचत तथा ₹ 21,624.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)21,624.85				
2225-03-277-0212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	160.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)160.00				

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-03-277-0214 प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,250.00	1,121.87	1,121.29	(-)0.58	अंतिम बचत तथा ₹ 1,640.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,512.00				
	पुनर्वि०	(-)1,640.13				
2225-03-277-0312 अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	53.33	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)53.33				
2225-03-277-0314 प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,250.00	1,188.23	1,188.14	(-)0.09	अंतिम बचत तथा ₹ 1,573.77 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,512.00				
	पुनर्वि०	(-)1,573.77				
2251-00-090-0024 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	287.17	275.00	275.00	0.00	प्रावधान में ₹ 59.17 लाख की हुई कमी, ₹4.85 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹64.02 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	47.00				
	पुनर्वि०	(-)59.17				



**अनुदान संख्या -11- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹955.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,250.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4225-03-277-0101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	294.12	294.12	0.00	₹205.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)205.88				
4225-03-277-0202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
4225-03-277-0302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				

अनुदान संख्या- 12- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं  
 2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन  
 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
 2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन  
 2058 लेखन-सामग्री तथा मुद्रण  
 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
 2202 सामान्य शिक्षा  
 2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	27,03,893	30,04,384	19,56,914	(-)10,47,470
अनुपूरक	3,00,491			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,86,940
25 मार्च 2019	15,000			
31 मार्च 2019	6,71,940			

प्रभारित :

मूल	77,51,815	78,39,139	78,38,991	(-)148
अनुपूरक	87,324			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय  
 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय  
 6202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज  
 7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज  
 7999 आकस्मिकता निधि का विनियोजन

दत्तमत :

मूल	4,45,000	54,65,000	52,41,247	(-)2,23,753
अनुपूरक	50,20,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,11,487
22 नवम्बर 2018	15,000			
31 मार्च 2019	1,96,487			

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

(i) ₹10,474.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹2,400.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹604.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,004.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,869.40 लाख), अंतिम बचत (₹10,474.70 लाख) से ₹3,605.30 लाख कम था।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0008 वित्त विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,280.06	4,494.69	4,488.30	(-)6.39	अंतिम बचत तथा ₹785.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)785.37				
2052-00-090-0015 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	175.87	108.22	107.90	(-)0.32	अंतिम बचत तथा ₹74.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	7.25				
	पुनर्वि०	(-)74.90				
2052-00-092-0010 वित्तीय संस्थान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	84.26	84.26	0.00	(-)84.26	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2054-00-095-0002 भविष्य निधि लेखा का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,112.73	1,597.59	1,597.12	(-)0.47	अंतिम बचत तथा ₹517.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1.97				
	पुनर्वि०	(-)517.11				
2054-00-095-0103 बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	2,320.20	2,320.17	(-)0.03	अंतिम बचत तथा ₹3,679.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,679.80				

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2054-00-097-0001 कोषागार तथा अन्य उप-कोषागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,012.50	4,447.43	4,445.12	(-)2.31	अंतिम बचत तथा ₹ 915.07 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	350.00				
	पुनर्वि०	(-)915.07				
2054-00-098-0001 स्थानीय निधि अंकेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,227.39	3,227.39	0.00	(-)3,227.39	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2058-00-102-0001 फार्म प्रेस, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	658.16	335.39	334.52	(-)0.87	संभावित कर्मियों की बहाली लंबित होने, कागज एवं मुद्रण सामग्री आदि का क्रय नहीं होने के कारण मशीनों के परिचालन नहीं होने से ₹ 322.77 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)322.77				
2058-00-103-0001 राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,432.72	1,192.56	1,181.87	(-)10.69	सरकार द्वारा त्योहार अग्रिम पर रोक लगने, कर्मचारियों द्वारा यात्राभत्ता का उपभोग नहीं होने तथा विभागीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹240.16 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)240.16				
2070-00-004-0001 लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	662.90	662.90	397.81	(-)265.09	अंतिम बचत, अनुमानित नियुक्ति से कम नियुक्त होने तथा सातवें वेतनमान के भुगतान नहीं के कारण हुई।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-800-0008	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)150.00				

राजस्व ( प्रभारित )

(iv) ₹1.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त ₹873.24 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अंतिम बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

पूँजी ( दत्तमत )

(vi) ₹2,237.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹50,150.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹50,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4058-00-103-0101 मशीनरी और उपस्कर- सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	50.00	50.00	0.00	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4058-00-103-0102 सरकारी प्रेस, गया का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
7610-00-201-0002 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	25.00	25.00	0.00	कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 75.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)75.00				

अनुदान संख्या- 12- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
7610-00-202-0001 सरकारी सेवकों को माटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	700.00	0.00	0.00	0.00	अग्रिम की राशि बन्द होने के कारण ₹525.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 175.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)700.00				
7610-00-202-0002 सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, अग्रिम की राशि बन्दी होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
7610-00-202-0003 मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	54.43	54.43	0.00	समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 45.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)45.57				
7610-00-202-0004 विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,400.00	233.66	192.66	(-)41.00	समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,166.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,166.34				
7610-00-204-0001 पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	50.10	45.60	(-)4.50	समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 49.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)49.90				

**विनियोग संख्या- 13- सूद भूगतान**  
( सभी प्रभारित )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2049 ब्याज अदायगियाँ

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	10,76,34,864	10,76,48,087	10,07,12,255	(-)69,35,832
अनुपूरक	13,223			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,36,727
29 मार्च 2019	6,129			
31 मार्च 2019	1,30,598			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹69,358.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹132.23 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,367.27 लाख), अंतिम बचत (₹69,358.32 लाख) से ₹67,991.05 लाख कम था।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2049-01-305-0002	मूल	300.00	300.00	185.90	(-)114.10	अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम नये ऋण राशि उगाही किये जाने के कारण हुई।
नये कर्ज से संबंधित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-03-104-0001	मूल	62,157.48	62,157.48	40,737.37	(-)21,420.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-03-117-0001	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सरकारी कर्मचारी के परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज का दावा नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता हुई।
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0002	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण राशि, बिहार जमींदारी बंध-पत्र के परिपक्वता पर वापसी का दावा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0003	मूल	1,000.00	1,000.00	593.03	(-)406.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0004	मूल	56.00	56.00	0.00	(-)56.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
विक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						



विनियोग संख्या- 13- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2049-60-701-0005	मूल	100.00	100.00	8.61	(-)91.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
विलंबित भुगतान पर सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह- निवृत्ति उपादान के बकाये राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2049-60-701-0008	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2049-04-112-0001	मूल	16,000.00	28,500.00	23,808.12	(-)4,691.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,500.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
बाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि० 12,500.00				
2049-60-101-0002	अनु०	0.01	652.21	652.21	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹652.20 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि० 652.20				

**विनियोग संख्या- 14- ऋण अदायगियाँ**  
( सभी प्रभारित )

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	7,32,64,124	7,32,64,124	7,22,98,193	(-)9,65,931
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,900
29 मार्च 2019	6,900			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

पूँजीगत ( प्रभारित )

- (i) ₹9,659.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹7,32,641.24 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹69.00 लाख), अंतिम बचत (₹9,659.31 लाख) से ₹9,590.31 लाख कम था।

विनियोग संख्या- 14- क्रमांत

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
6003-00-106-0002	मूल	200.00	200.00	0.02	(-199.98)	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
6004-08-800-0001	मूल	364.03	790.43	790.43	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹426.40 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए ऋण (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०				
6004-09-101-0001	मूल	63,530.19	63,103.04	53,743.34	(-)9,359.70	अंतिम बचत विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹427.15 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		पुनर्वि०				

अनुदान संख्या- 15- पेंशन

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	15,81,64,020	16,68,67,920	16,03,64,763	(-)65,03,157
अनुपूरक	87,03,900			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,313
31 मार्च 2019	12,313			

प्रभारित :

मूल	1,24,097	1,34,697	15,798	(-)1,18,899
अनुपूरक	10,600			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹65,031.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹23.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹87,016.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹87,039.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹123.13 लाख), अंतिम बचत (₹65,031.57 लाख) से ₹64,908.44 लाख कम था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2071-01-104-0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को अन्य उपादान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	439.64	486.71	379.83	(-)106.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹47.07 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	47.07				
2071-01-104-0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,30,135.25	2,30,135.25	1,50,491.15	(-)79,644.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2071-01-105-0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,637.77	8,609.59	5,861.80	(-)2,747.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,971.82 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	4,971.82				
2071-01-111-0003 विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	132.20	132.20	0.00	₹117.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)117.80				

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						(₹ लाख में)
2071-01-102-0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	474.65	886.73	866.39	(-)20.34	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹412.08 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	412.08				
2071-01-111-0001 बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,414.77	4,414.77	5,926.73	(+)1,511.96	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2071-01-111-0002 बिहार विधानपरिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	750.00	750.00	9,859.20	(+)9,109.20	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2071-01-115-0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	504.14	504.14	579.40	(+)75.26	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2071-01-117-0001 अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	45,461.08	45,461.08	56,754.02	(+)11,292.94	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या -15- क्रमांत

राजस्व ( प्रभारित )

(v) ₹1,188.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹106.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2071-01-106-0001	मूल	1,059.69	1,059.69	0.00	(-)1,059.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायाधीशों को देय, अंशदान-प्रभृत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)						
2071-01-106-0002	मूल	171.38	246.38	139.65	(-)106.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				
2071-01-106-0003	मूल	9.90	40.90	18.34	(-)22.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)		अनु०				

**अनुदान संख्या- 16- पंचायती राज विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	9,95,43,955	10,24,51,671	8,40,84,978	(-)1,83,66,693
अनुपूरक	29,07,716			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,87,88,204
31 मार्च 2019	1,87,88,204			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	10,000	10,000	0	(-)10,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,000
31 मार्च 2019	10,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,83,666.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹1,193.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹17,082.16 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹10,802.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹29,077.16 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,87,882.04 लाख), अंतिम बचत (₹1,83,666.93 लाख) से ₹4,215.11 लाख अधिक था।



अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-101-0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	336.43	304.73	302.68	(-)2.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹40.70 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10.00				
	पुनर्वि०	(-)41.70				
2015-00-109-0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	730.00	634.46	634.46	0.00	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹142.70 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	47.16				
	पुनर्वि०	(-)142.70				
2515-00-001-0001 मुख्यालय पंचायत स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	456.27	416.17	416.17	0.00	प्रावधान में ₹79.10 लाख की हुई कमी, ₹ 1.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 80.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। चिकित्सा विपत्र से संबंधित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 80.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	39.00				
	पुनर्वि०	(-)79.10				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2515-00-001-0003 जिला पंचायत की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	24,438.51	20,960.23	20,966.80	(+6.57)	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹ 4,541.69 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹76.59 लाख की कमी तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,140.00				
	पुनर्वि०	(-)4,618.28				
2515-00-001-0101 मुख्यालय पंचायत स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.01	60.00	60.00	0.00	अनुग्रह अनुदान विपन्न प्राप्त नहीं होने के कारण ₹140.01 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)140.01				
2515-00-001-0102 जिला पंचायत की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,650.00	1,031.97	1,031.97	0.00	कम राशि की स्वीकृति होने के कारण ₹618.03 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)618.03				
2515-00-003-0001 पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	261.62	329.60	253.01	(-)76.59	प्रावधान में ₹20.98 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 76.59 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 55.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹ 55.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	47.00				
	पुनर्वि०	20.98				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति	
		अनुदान	व्यय	बचत (-)		
		( ₹ लाख में )				
2515-00-196-0106 जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	543.00	482.90	465.42	(-)17.48	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹60.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)60.10				
2515-00-197-0103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,800.00	2,490.96	2,489.71	(-)1.25	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹309.04 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)309.04				
2515-00-198-0014 राज्य वित्त आयोग के अनुशांसा पर ग्राम कचहरी को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,400.00	5,671.45	5,671.45	0.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹1,772.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 955. 81 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,728.55				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2515-00-198-0105 ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	12,853.00	11,484.87	11,470.48	(-)14.39	आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹1,368.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,368.13				
2515-00-198-0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	12,853.00	11,156.88	11,062.32	(-)94.56	आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹1,696.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,696.12				
2515-00-198-0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,53,293.00	71,672.00	71,672.00	0.00	आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹81,621.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)81,621.00				
2515-00-198-0215 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	5,366.91	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)5,366.91				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2515-00-198-0312 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आरजीपीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2515-00-198-0315 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	अनु०	3,578.22				
	पुनर्वि०	(-)4,078.22				
2515-00-789-0103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,633.00	2,366.05	2,366.05	0.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹266.95 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)266.95				
2515-00-789-0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,633.00	2,337.44	2,337.44	0.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹ 295.56 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)295.56				
2515-00-789-0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	574.00	513.93	513.93	0.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹ 60.07 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)60.07				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2515-00-789-0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	36,433.00	17,032.00	17,032.00	0.00	₹19,401.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)19,401.00				
2515-00-789-0214 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान( आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,031.12	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,031.12				
2515-00-789-0314 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान( आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	687.47	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)687.47				
2515-00-796-0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,774.00	1,296.00	1,296.00	0.00	₹1,478.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,478.00				
2515-00-796-0220 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान( आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	82.97	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)82.97				
2515-00-796-0320 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान( आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	55.31	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)55.31				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2515-00-800-0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	599.81	599.81	0.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹400.19 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)400.19				
2515-00-800-0114 पंचायती राज को अन्य प्रावधान (राज्य स्कीम)	मूल	5,149.99	4,141.50	4,133.50	(-)8.00	आहरण एवं संचितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा मांग के अनुरूप आवंटित निधि व्यय नहीं होने के कारण ₹1,008.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,008.49				
3451-00-090-0028 पंचायती राज विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	147.72	163.15	164.15	(+)1.00	चिकित्सा विपत्र नहीं प्राप्त होने के कारण ₹47.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	63.00				
	पुनर्वि०	(-)47.57				

**अनुदान संख्या- 16- क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2515-00-198-0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,72,938.00	4,19,971.00	4,24,266.15	(+)4,295.15	भारत सरकार से निष्पादन अनुदान का प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 52,967. 00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)52,967.00				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹100.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया ।

(vi) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4515-00-101-0108 पंचायत सरकार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना में राशि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				



**अनुदान संख्या- 17- वाणिज्य-कर विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहन प्रभार

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	15,46,398	15,57,098	11,38,933	(-)4,18,165
अनुपूरक	10,700			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,16,984
31 मार्च 2019	4,16,984			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,181.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹107.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,169.84 लाख), अंतिम बचत (₹4,181.65 लाख) से ₹11.81 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 17- क्रमांत**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2043-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,245.68	3,419.74	3,418.67	(-)1.07	प्रावधान में ₹ 880.94 लाख की हुई कमी, ₹ 266.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,147.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	55.00				
	पुनर्वि०	(-)880.94				
2043-00-101-0001 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,075.31	7,859.57	7,848.67	(-)10.90	प्रावधान में ₹ 3,267.74 लाख की हुई कमी, ₹475.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,742.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	52.00				
	पुनर्वि०	(-)3,267.74				

**अनुदान संख्या- 18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3456 सिविल पूर्ति

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	1,34,70,721	1,36,59,342	1,11,08,210	(-)25,51,132
अनुपूरक	1,88,621			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				24,36,820
10 सितम्बर 2018	20,000			
31 मार्च 2019	24,16,820			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6408 खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	4,03,083	4,03,083	14,069	(-)3,89,014
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,89,014
19 सितम्बर 2018	2,84,800			
31 मार्च 2019	1,04,214			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹25,511.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹313.26 लाख), नवम्बर 2018 (₹547.93 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,025.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,886.21 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,368.20 लाख), अंतिम बचत (₹25,511.32 लाख) से ₹1,143.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2408-01-101-0405 एनएफएसए अंतर्गत खाद्यानों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	41,754.00	35,646.76	35,646.76	0.00	₹6,107.24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,107.24				
3451-00-090-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	792.62	701.21	700.94	(-)0.27	अंतिम बचत तथा ₹ 142.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50.72				
	पुनर्वि०	(-)142.13				
3456-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,002.41	5,688.66	4,554.91	(-)1,133.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	686.25				
3456-00-001-0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,369.01	1,353.33	1,352.58	(-)0.75	अंतिम बचत तथा ₹ 302.81 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	287.13				
	पुनर्वि०	(-)302.81				
3456-00-001-0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	230.52	241.68	241.68	0.00	₹62.34 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	73.50				
	पुनर्वि०	(-)62.34				
3456-00-053-0001 गोदामों की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण महालेखाकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
3456-00-102-0015 गोदामों के अनुरक्षण तथा मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
3456-00-102-0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	9,306.87	2,344.11	2,344.11	0.00	₹6,962.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,962.76				
3456-00-102-0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	2,097.54	1,308.98	1,308.98	0.00	₹788.56 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)788.56				
3456-00-102-0411 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	30.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
3456-00-102-0413 जन वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	34.19	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)34.19				
3456-00-191-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
		( ₹ लाख में )			
3456-00-192-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	255.00	0.64	0.64	0.00
	पुनर्वि०	(-)254.36			
3456-00-193-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	450.00	0.33	0.33	0.00
	पुनर्वि०	(-)449.67			
3456-00-198-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	1.16	1.16	0.00
	पुनर्वि०	(-)748.84			
3456-00-789-0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,782.95	12,048.52	12,048.52	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,734.43			

**अनुदान संख्या- 18- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹3,890.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹4,030.83 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5475-00-051-0102 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	182.82	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)182.82				
5475-00-051-0103 जिला आपूर्ति प्रबंधन केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,848.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,848.00				
5475-00-051-0104 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत गोदाम तक पथ का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	140.69	140.69	0.00	₹859.31 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)859.31				

**अनुदान संख्या 19- पर्यावरण एवं वन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	35,80,389	36,65,560	31,88,296	(-)4,77,264
अनुपूरक	85,171			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,59,580
26 नवम्बर 2018	98,528			
28 जनवरी 2019	37,274			
31 मार्च 2019	3,23,778			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4406 वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय

6406 वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	5,50,480	5,66,493	3,11,714	(-)2,54,779
अनुपूरक	16,013			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,52,724
31 मार्च 2019	2,52,724			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,772.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹478.96 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹372.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹851.71 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,595.80 लाख), अंतिम बचत (₹4,772.64 लाख) से ₹176.84 लाख कम था।



अनुदान संख्या 19- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2406-01-070-0002 भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	350.00	303.92	280.01	(-)23.91	अंतिम बचत तथा ₹ 46.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)46.08				
2406-01-101-0002 वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	158.60	108.75	108.75	0.00	₹49.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)49.85				
2406-01-796-0103 अवकृष्ट वनों का पूनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	272.36	253.60	204.25	(-)49.35	अंतिम बचत तथा ₹ 18.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)18.76				
2406-02-110-0223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	549.63	488.02	488.02	0.00	प्रावधान में ₹61.61 लाख की हुई कमी, ₹ 115.10 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹176.71 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)61.61				
2406-02-110-0226 हाथी परियोजना (पीएफएमएस कोड-0260) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	221.95	184.74	182.22	(-)2.52	अंतिम बचत तथा ₹ 37.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)37.21				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2406-02-110-0323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	366.42	312.42	308.77	(-)3.65	प्रावधान में ₹54.00 लाख की हुई कमी, ₹76.80 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹130.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)54.00				
2406-02-110-0326 हाथी परियोजना (पीएफएमएस कोड-0260) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	147.97	121.47	121.39	(-)0.08	अंतिम बचत तथा ₹ 26.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)26.50				
2406-04-101-0201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	591.18	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, हरित भारत मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम का समायोजन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)591.18				
2406-04-101-0203 राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	690.00	182.68	137.46	(-)45.22	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.10 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹392.22 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)507.32				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2406-04-101-0204 समेकित वानिकी प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	86.25	63.79	60.11	(-)3.68	अंतिम बचत तथा ₹ 22.46 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)22.46				
2406-04-101-0301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	394.12	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, हरित भारत मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम का समायोजन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)394.12				
2406-04-101-0303 राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	460.00	118.80	106.95	(-)11.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹76.80 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹264.40 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)341.20				
3451-00-090-0006 पर्यावरण एवं वन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	635.26	377.40	377.07	(-)0.33	अंतिम बचत तथा ₹ 257.86 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)257.86				

**अनुदान संख्या -19- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹2,547.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹155.10 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹5.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹160.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,527.24 लाख), अंतिम बचत (₹2,547.79 लाख) से ₹20.55 लाख कम था।

(vi) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4406-01-070-0101	मूल	300.00	300.00	242.27	(-)57.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
4406-01-070-0102	मूल	5,204.80	2,677.56	2,644.74	(-)32.82	अंतिम बचत तथा ₹2,527.24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,527.24				

**अनुदान संख्या- 20- स्वास्थ्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2211 परिवार कल्याण  
2230 श्रम तथा रोजगार  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	6,69,85,924	8,22,21,619	6,34,42,763	(-)1,87,78,856
अनुपूरक	1,52,35,695			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,65,50,979
4 फरवरी 2019	23,77,164			
30 मार्च 2019	3,31,988			
31 मार्च 2019	1,38,41,827			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,09,52,228	1,61,53,829	1,13,40,074	(-)48,13,755
अनुपूरक	52,01,601			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				48,13,755
8 अक्टुबर 2018	26,00,000			
4 फरवरी 2019	5,80,300			
26 मार्च 2019	1,28,649			
31 मार्च 2019	15,04,806			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹1,87,788.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹30,498.50 लाख), नवम्बर 2018 (₹49,550.14 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹72,308.31 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,52,356.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,65,509.79 लाख), अंतिम बचत (₹1,87,788.56 लाख) से ₹22,278.77 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-001-0001 स्वास्थ्य निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,977.45	2,358.43	2,173.27	(-)185.16	अंतिम बचत तथा ₹ 619.02 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)619.02				
2210-01-001-0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,301.62	6,832.07	5,940.05	(-)892.02	अंतिम बचत तथा ₹ 469.55 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)469.55				
2210-01-001-0004 अधेपन की रोकथाम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,825.00	1,219.79	1,219.79	0.00	जिलों से मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹605.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)605.21				
2210-01-110-0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	22,770.47	20,820.29	20,820.29	0.00	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹3,319.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	1,369.70				
	पुनर्वि०	(-)3,319.88				
2210-01-110-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,551.65	6,744.99	6,678.71	(-)66.28	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,406.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	600.00				
	पुनर्वि०	(-)1,406.66				
2210-01-110-0010 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,769.28	3,408.30	3,407.99	(-)0.31	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,260.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,360.98				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-110-0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	615.04	688.42	654.72	(-)33.70	अंतिम बचत तथा ₹ 126.62 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	(-)126.62				
2210-01-110-0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	56,710.75	52,149.84	47,463.65	(-)4,686.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹212.41 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹5,429.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,081.00				
	पुनर्वि०	(-)5,641.91				
2210-01-110-0016 मानसिक आरोग्यशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	475.00	475.00	0.00	₹1,025.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,025.00				
2210-01-110-0019 रोगी कल्याण समितियों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2210-01-110-0021 वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज अस्पताल, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,879.13	2,421.80	2,404.11	(-)17.69	अंतिम बचत तथा ₹ 387.43 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	930.10				
	पुनर्वि०	(-)387.43				
2210-01-110-0025 राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल अस्पताल, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	302.90	0.00	0.00	0.00	नव संस्थान होने के कारण स्थानांतरण एवं नियुक्ति का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹252.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)302.90				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-110-0224 रिजनल जेनियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	153.44	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	पुनर्वि०	(-)153.44				
2210-01-200-0001 यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,908.00	6,020.21	5,512.85	(-)507.36	अंतिम बचत तथा ₹ 887.79 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)887.79				
2210-01-200-0002 कुष्ठ निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,142.08	5,492.99	4,501.42	(-)991.57	अंतिम बचत तथा ₹ 649.09 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)649.09				
2210-01-200-0005 अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,996.11	3,667.44	3,316.30	(-)351.14	अंतिम बचत तथा ₹ 506.17 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,177.50				
	पुनर्वि०	(-)506.17				
2210-01-200-0006 विधायक अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	220.79	175.88	156.41	(-)19.47	अंतिम बचत तथा ₹ 44.91 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)44.91				
2210-01-200-0008 रक्त भंडार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	427.29	328.73	328.63	(-)0.10	दवाभंडार तथा मशीन एवं उपस्कर का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹98.56 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)98.56				



अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2210-01-200-0209 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	37,444.94	19,164.94	19,164.94	0.00	केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹18,280.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)18,280.00				
2210-02-101-0001 देशी आयुर्वेद विज्ञान, निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,860.22	2,759.28	2,759.28	0.00	₹893.45 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	792.51				
	पुनर्वि०	(-)893.45				
2210-02-101-0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	206.16	169.29	156.35	(-)12.94	अंतिम बचत तथा ₹ 36.87 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)36.87				
2210-02-200-0202 औषधीय पौधे संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,347.10	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,347.10				
2210-02-200-0302 औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	477.68	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)477.68				
2210-03-101-0003 स्वास्थ्य उप केंद्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,659.02	4,235.72	3,658.51	(-)577.21	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹55.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹368.30 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)423.30				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-03-103-0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,16,588.36	1,12,928.89	1,03,872.33	(-)9,056.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹217.32 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹3,442.15 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,659.47				
2210-03-110-0001 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,931.76	11,702.93	9,181.45	(-)2,521.48	अंतिम बचत तथा ₹ 228.83 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)228.83				
2210-04-101-0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,430.30	1,920.37	1,920.37	0.00	₹270.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	760.58				
	पुनर्वि०	(-)270.51				
2210-04-102-0001 होम्योपैथी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	587.17	481.84	481.84	0.00	₹189.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	83.92				
	पुनर्वि०	(-)189.25				
2210-04-103-0001 यूनानी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	485.00	382.20	380.15	(-)2.05	अंतिम बचत तथा ₹ 165.71 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	62.91				
	पुनर्वि०	(-)165.71				
2210-04-200-0203 औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,097.86	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,097.86				
2210-04-200-0303 औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)500.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-05-101-0001 आयुर्वेद कॉलेज, बेगूसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	620.67	1,303.06	1,181.23	(-)121.83	अंतिम बचत तथा ₹ 155.78 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	838.17				
	पुनर्वि०	(-)155.78				
2210-05-101-0002 आयुर्वेद कॉलेज, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,800.00	2,055.65	2,055.12	(-)0.53	अंतिम बचत तथा ₹ 597.35 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	853.00				
	पुनर्वि०	(-)597.35				
2210-05-101-0004 आयुर्वेद कॉलेज, मोहनपुर दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	180.82	289.29	289.29	0.00	₹37.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	145.72				
	पुनर्वि०	(-)37.25				
2210-05-102-0001 होम्योपैथी कॉलेज तथा अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	892.71	830.88	830.88	0.00	₹121.83 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	60.00				
	पुनर्वि०	(-)121.83				
2210-05-105-0001 पटना मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,817.88	9,980.51	9,980.51	0.00	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,840.87 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	3.50				
	पुनर्वि०	(-)1,840.87				
2210-05-105-0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,857.21	6,699.29	6,699.29	0.00	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,688.92 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	531.00				
	पुनर्वि०	(-)1,688.92				
2210-05-105-0005 नालन्दा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,455.97	6,014.18	6,007.53	(-)6.65	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹40.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹641.04 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	239.25				
	पुनर्वि०	(-)681.04				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-05-105-0007 मगध मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,102.72	3,731.07	3,683.81	(-)47.26	रख-रखाव एवं मरम्मत का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹135.43 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 955.82 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	759.60				
	पुनर्वि०	(-)1,131.25				
2210-05-105-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,374.17	3,297.81	3,297.81	0.00	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,076.36 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,076.36				
2210-05-105-0009 दंत महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,084.20	931.86	930.98	(-)0.88	छात्रवृत्ति एवं मशीन उपस्कर का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹177.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	125.00				
	पुनर्वि०	(-)277.34				
2210-05-105-0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,999.73	3,319.57	3,319.57	0.00	संविदा सेवार्थ एवं मशीन उपस्कर का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹165.14 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 515.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)680.16				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-05-105-0011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिये विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	122.18	87.81	87.81	0.00	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹34.37 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)34.37				
2210-05-105-0012 प्रशिक्षण नर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,555.71	1,654.43	1,134.10	(-)520.33	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹29.36 लाख तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	128.08				
	पुनर्वि०	(-)29.36				
2210-05-105-0013 प्रशिक्षण फार्मसी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	359.13	207.82	207.79	(-)0.03	समय पर निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं होने के कारण ₹62.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹89.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)151.31				
2210-05-105-0015 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण समय पर निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2210-05-105-0016 नामांकन पर्यवेक्षण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण समय पर निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-05-105-0023 राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,187.72	3,207.98	3,077.84	(-)130.14	संविदा संवायें एवं सामग्री एवं पूर्ति का पुर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹459.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	580.00				
	पुनर्वि०	(-)559.74				
2210-05-105-0028 जननायक कर्पुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	970.71	259.87	257.00	(-)2.87	स्थानांतरण एवं पदस्थापन का पुर्वानुमान नहीं होने के कारण ₹1,110.84 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	400.00				
	पुनर्वि०	(-)1,110.84				
2210-05-200-0002 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	185.00	137.20	137.20	0.00	₹47.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)47.80				
2210-05-200-0101 इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	101.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)101.00				
2210-06-003-0002 जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,663.63	1,317.72	1,116.76	(-)200.96	अंतिम बचत तथा ₹ 345.91 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)345.91				
2210-06-101-0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,570.56	2,871.70	2,616.44	(-)255.26	अंतिम बचत तथा ₹ 698.86 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)698.86				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-06-101-0012 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	229.23	25.76	(-)203.47	अंतिम बचत तथा ₹ 70.77 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)70.77				
2210-06-102-0001 खाद्य नियंत्रक स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	350.61	302.76	287.64	(-)15.12	प्रावधान में ₹47.85 लाख की हुई कमी, ₹23.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 70. 85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)47.85				
2210-06-107-0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	606.46	568.62	511.20	(-)57.42	अंतिम बचत तथा ₹ 37.84 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)37.84				
2211-00-001-0204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,700.00	2,545.10	2,544.90	(-)0.20	अंतिम बचत तथा ₹ 9,154.90 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)9,154.90				
2211-00-001-0304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,524.00	1,002.87	1,014.08	(+)11.21	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹2,521.13 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,521.13				
2211-00-003-0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,917.00	703.64	703.63	(-)0.01	अंतिम बचत तथा ₹ 4,233.36 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,020.00				
	पुनर्वि०	(-)4,233.36				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2211-00-003-0306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,155.00	409.94	412.73	(+)2.79	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 1,745.06 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,745.06				
2211-00-101-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	28,300.00	42,977.88	42,975.91	(-)1.97	अंतिम बचत तथा ₹ 18,276.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	32,954.00				
	पुनर्वि०	(-)18,276.12				
2211-00-101-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,333.49	16,947.24	16,943.02	(-)4.22	अंतिम बचत तथा ₹ 19,525.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	29,139.00				
	पुनर्वि०	(-)19,525.25				
2211-00-102-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,261.00	322.10	325.60	(+)3.50	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 938.90 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)938.90				
2211-00-102-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	651.00	32.79	33.00	(+)0.21	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 618.21 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)618.21				
2211-00-103-0001 मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	556.55	380.85	394.44	(+)13.59	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 200.70 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	25.00				
	पुनर्वि०	(-)200.70				



अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )		अभ्युक्ति
				( ₹ लाख में )		
2211-00-103-0102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	28,000.00	2,796.24	2,788.27	(-)7.97	अंतिम बचत तथा ₹ 25,203.76 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25,203.76				
2230-03-102-0102 स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल बिहार विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	120.04	120.04	0.00	मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹379.96 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)379.96				
2235-60-110-0204 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)10,500.00				
2235-60-110-0304 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,198.69	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,198.69				
2235-60-110-0305 आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (एबी-एनएचपीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	12,551.00	5,000.00	5,000.00	0.00	₹7,551.00 लाख का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)7,551.00				

**अनुदान संख्या- 20-क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2210-01-110-0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,569.59	8,568.96	8,568.93	(-)0.03	प्रावधान में ₹999.37 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,079.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹79.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। समय पर निर्धारित मापदण्ड का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ₹79.63 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	999.37				
2211-00-101-0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,403.35	6,027.54	6,361.37	(+)333.83	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 4,880.81 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,505.00				
	पुनर्वि०	(-)4,880.81				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹48,137.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹5,000.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹47,016.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹52,016.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4210-01-051-0103 जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)500.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4210-01-110-0111 मेडिकल कॉलेज अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	897.00	648.47	648.47	0.00	₹248.53 लाख का प्रत्यर्पण परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)248.53				
4210-01-110-0219 रिजनल जेनेट्रीक सेन्टर (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	260.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)260.00				
4210-01-110-0319 रिजनल जेनियेट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	165.32	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मांग प्राप्त नहीं होने के कारण, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)165.32				
4210-03-050-0103 नव चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा चिकित्सा संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	31,500.00	12,100.00	12,100.00	0.00	₹20,216.01 लाख का प्रत्यर्पण तकनीकी कारणों से राशि आहरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के लंबित वेतन के कारण हुई।
	अनु०	816.01				
	पुनर्वि०	(-)20,216.01				
4210-03-105-0112 एएनएम एवं जीएनएम स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	36,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	₹24,000.00 लाख का प्रत्यर्पण तकनीकी कारणों से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)24,000.00				

**अनुदान संख्या- 21- शिक्षा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2202 सामान्य शिक्षा  
2205 कला एवं संस्कृति  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	31,68,55,373	36,93,52,058	26,97,72,725	(-)9,95,79,333
अनुपूरक	5,24,96,685			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,69,18,571
22 नवम्बर 2018	5,40,725			
13 फरवरी 2019	45,60,032			
31 मार्च 2019	9,18,17,814			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	44,01,002	54,74,502	42,35,734	(-)12,38,768
अनुपूरक	10,73,500			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,38,769
22 नवम्बर 2018	2,00,000			
31 मार्च 2019	10,38,769			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹9,95,793.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹2,10,010.40 लाख), नवम्बर 2018 (₹1,78,027.33 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,36,929.12 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,24,966.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,69,185.71 लाख), अंतिम बचत (₹9,95,793.33 लाख) से ₹26,607.62 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-001-0105 शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2202-01-053-0001 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-01-102-0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,168.00	2,371.48	2,348.42	(-)23.06	अंतिम बचत तथा ₹ 796.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)796.52				
2202-01-102-0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	327.40	327.40	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹383.58 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,289.02 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,672.60				
2202-01-109-0101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	4,232.10	4,232.10	0.00	₹20,767.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)20,767.90				
2202-01-109-0102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	8,218.29	8,194.11	(-)24.18	अंतिम बचत तथा ₹6,781.71 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,781.71				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-109-0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,593.40	2,593.40	0.00	₹406.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)406.60				
2202-01-109-0105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	9,337.24	9,337.24	0.00	₹3,162.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,162.76				
2202-01-111-0101 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (राज्य स्कीम)	मूल	5,500.01	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,500.01				
2202-01-111-0201 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,10,653.23	2,28,140.56	2,28,140.56	0.00	₹2,82,512.67 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,82,512.67				
2202-01-112-0002 मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	322.18	251.68	251.68	0.00	प्रावधान में ₹170.50 लाख की हुई कमी, ₹ 2.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹172.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)170.50				
2202-01-112-0203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,30,287.74	1,12,448.94	1,12,448.94	0.00	₹17,838.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)17,838.80				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-192-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	4,996.42	4,996.42	0.00	₹1,990.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,986.42				
	पुनर्वि०	(-)1,990.00				
2202-01-193-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	7,158.15	7,158.15	0.00	₹2,880.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5,038.64				
	पुनर्वि०	(-)2,880.49				
2202-01-197-0002 प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,30,000.00	1,84,939.20	1,84,939.20	0.00	₹23,969.20 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	78,908.40				
	पुनर्वि०	(-)23,969.20				
2202-01-198-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,400.00	2,610.77	2,610.77	0.00	₹1,111.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,322.50				
	पुनर्वि०	(-)1,111.73				
2202-01-789-0102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	1,263.18	1,261.14	(-)2.04	अंतिम बचत तथा ₹ 4,736.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,736.82				
2202-01-789-0203 सर्व शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,49,346.77	57,585.41	57,585.41	0.00	₹91,761.36 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)91,761.36				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-789-0306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,858.49	7,619.19	7,619.19	0.00	₹2,239.30 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,239.30				
2202-01-789-0308 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,00,940.97	40,629.58	40,629.58	0.00	₹60,311.39 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)60,311.39				
2202-01-796-0209 सर्व शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	5,407.25	3,876.19	3,876.19	0.00	₹1,531.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,531.06				
2202-01-796-0309 सर्व शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	19,059.03	2,584.13	2,584.13	0.00	₹16,474.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)16,474.90				
2202-02-001-0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,572.00	16,850.90	16,850.90	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹62.80 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,808.30 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	150.00				
	पुनर्वि०	(-)2,871.10				
2202-02-001-0003 क्षेत्रीय उप-निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	700.69	563.31	563.31	0.00	₹137.38 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)137.38				
2202-02-001-0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	0.03	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	639.94				
	पुनर्वि०	(-)639.97				



अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-02-052-0002 माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-02-053-0001 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	2.85	2.85	0.00	₹97.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)97.15				
2202-02-103-0101 बिहार मुक्त विद्यालयों शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	363.00	363.00	0.00	₹137.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)137.00				
2202-02-107-0105 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	10,685.82	10,676.82	(-)9.00	अंतिम बचत तथा ₹ 4,314.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,314.18				
2202-02-107-0106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,900.04	12,231.83	12,231.83	0.00	₹3,668.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,668.21				
2202-02-107-0108 अन्य विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	16,200.00	12,102.27	12,102.27	0.00	₹4,097.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,097.73				
2202-02-109-0001 अन्य विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,03,200.01	89,177.10	89,177.10	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,047.50 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 22,258.42 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	9,283.01				
	पुनर्वि०	(-)23,305.92				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-02-109-0105 आईटीसी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-02-109-0109 मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	5,398.43	5,398.43	0.00	₹2,601.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,601.57				
2202-02-109-0110 मुख्यमंत्री दर्शन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	363.20	363.09	(-)0.11	अंतिम बचत तथा ₹ 136.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)136.80				
2202-02-109-0207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,000.00	9,649.44	9,649.44	0.00	प्रावधान में ₹ 1,458.01 लाख की हुई कमी, ₹1,541.99 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,000 00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,107.45				
	पुनर्वि०	(-)1,458.01				
2202-02-109-0312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(आरएमएसए)( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	9,000.00	8,104.67	7,461.61	(-)643.06	अंतिम बचत तथा ₹ 895.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)895.33				
2202-02-110-0002 सैनिक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	51.28	51.28	0.00	₹148.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)148.72				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-02-110-0003 माध्यमिक, बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,200.00	6,250.82	6,250.82	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹35.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹914.18 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)949.18				
2202-02-110-0007 गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	₹30,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	30,000.00				
	पुनर्वि०	(-)30,000.00				
2202-02-110-0110 आसीटी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2202-02-110-0211 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान( आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,000.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,541.99 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 14,458.01 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)16,000.00				
2202-02-110-0311 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान( आरएमएसए)( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,666.66	2,800.00	0.00	(-)2,800.00	अंतिम बचत तथा ₹ 12,866. 66 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)12,866.66				
2202-02-191-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,400.00	10,457.97	10,457.97	0.00	₹2,538.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	596.06				
	पुनर्वि०	(-)2,538.09				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-02-192-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,850.00	10,092.63	10,092.63	0.00	₹1,761.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,004.42				
	पुनर्वि०	(-)1,761.79				
2202-02-193-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,500.00	9,165.40	9,165.40	0.00	₹1,912.07 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,577.47				
	पुनर्वि०	(-)1,912.07				
2202-02-196-0001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80,000.00	91,800.21	91,734.20	(-)66.01	अंतिम बचत तथा ₹ 21,616.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	33,416.54				
	पुनर्वि०	(-)21,616.33				
2202-02-789-0102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,440.65	1,440.65	0.00	₹1,159.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,100.00				
	पुनर्वि०	(-)1,159.35				
2202-02-800-0003 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	880.00	597.87	597.87	0.00	₹282.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)282.13				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-03-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	833.09	391.23	391.15	(-)0.08	प्रावधान में ₹441.86 लाख की हुई कमी, ₹ 28.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 199.30 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 270.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)441.86				
2202-03-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,398.00	18,857.94	18,857.94	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 10,540.06 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)13,540.06				
2202-03-102-0002 मगध विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,08,618.00	48,102.29	48,102.29	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹11,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 55,723.45 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	6,207.74				
	पुनर्वि०	(-)66,723.45				
2202-03-102-0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	66,147.00	51,009.98	51,009.98	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹8,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 12,363.17 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5,226.15				
	पुनर्वि०	(-)20,363.17				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-03-102-0004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	29,064.00	15,565.33	15,565.33	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 10,498.67 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)13,498.67				
2202-03-102-0005 वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	35,181.00	27,881.03	27,881.03	0.00	₹10,345.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3,045.57				
	पुनर्वि०	(-)10,345.54				
2202-03-102-0008 बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40,761.00	27,140.97	27,140.97	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 16,248.87 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,628.84				
	पुनर्वि०	(-)18,248.87				
2202-03-102-0009 भागलपुर विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	48,157.00	28,705.53	28,705.53	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,500.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 18,356.48 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,405.01				
	पुनर्वि०	(-)20,856.48				
2202-03-102-0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	58,447.00	46,645.30	46,645.30	0.00	₹14,340.61 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,538.91				
	पुनर्वि०	(-)14,340.61				
2202-03-102-0012 कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,945.00	8,242.85	8,242.85	0.00	₹1,702.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,702.15				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-03-102-0016 मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	410.00	207.76	207.76	0.00	₹202.24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)202.24				
2202-03-102-0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	11,500.01	9,131.26	9,131.26	0.00	₹2,868.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)2,868.75				
2202-03-102-0117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				
2202-03-102-0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,516.43	40.00	40.00	0.00	₹2,476.43 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,476.43				
2202-03-103-0003 राजकीय महिला महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,220.96	924.82	924.82	0.00	प्रावधान में ₹296.14 लाख की हुई कमी, ₹ 10.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.87 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 296.27 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि मांग के अनुसार कम बजट का पूर्वानुमान होने के कारण हुई। कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)296.14				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-03-104-0003 वित्त संपोषित महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,500.00	12.00	0.00	(-)12.00	अंतिम बचत तथा ₹ 31,208.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	18,720.00				
	पुनर्वि०	(-)31,208.00				
2202-03-107-0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	2,968.81	2,968.81	0.00	₹631.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)631.19				
2202-03-107-0108 मुख्यमंत्री बालिका प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	अनु०	25,000.00	18,690.60	0.00	(-)18,690.60	अंतिम बचत तथा ₹ 6,309.40 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,309.40				
2202-03-107-0109 मुख्यमंत्री बालिका स्नातक छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	अनु०	30,000.00	4,351.50	915.17	(-)3,436.33	अंतिम बचत तथा ₹ 25,648.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25,648.50				
2202-03-112-0101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	14,800.00	300.00	300.00	0.00	₹14,500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)14,500.00				
2202-03-800-0003 ग्रामीण महाविद्यालय (बिरोली) सोसाईटी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	140.00	85.67	85.67	0.00	₹54.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)54.33				



अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-04-001-0002 जन शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	269.56	228.43	228.43	0.00	प्रावधान में ₹ 41.13 लाख की हुई कमी, ₹ 27.85 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 68.98 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 26.00 लाख की वृद्धि साक्षर भारत एवं अक्षर योजना अंचल योजना में अधिक याचिका दर्ज होने के कारण तथा ₹1.85 लाख की वृद्धि मांग अनुसार कम बजट का पूर्वानुमान होने के कारण हुई। कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)41.13				
2202-04-200-0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-04-200-0303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	41.94	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)41.94				
2202-05-103-0002 राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	374.95	213.89	213.89	0.00	₹161.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)161.06				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-05-103-0003 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.00	8,392.22	8,392.22	0.00	₹6,607.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,607.78				
2202-05-200-0001 मदरसा इस्लामिया समसुल होदा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	199.94	96.96	95.77	(-)1.19	अंतिम बचत तथा ₹ 102.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)102.98				
2202-05-200-0002 गैर सरकारी मदरसा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	27,500.00	23,179.34	23,179.34	0.00	₹4,320.66 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,320.66				
2202-80-001-0002 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	162.57	97.63	41.04	(-)56.59	प्रावधान में ₹64.94 लाख की हुई कमी, ₹ 2.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹66.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)64.94				
2202-80-001-0102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	534.50	534.32	(-)0.18	अंतिम बचत तथा ₹ 65.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)65.50				
2202-80-003-0008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,653.45	2,036.81	2,039.96	(+)3.15	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 616.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)616.64				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-80-003-0504 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विकास (बाह्य सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	9,000.00	224.66	224.66	0.00	₹8,775.34 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)8,775.34				
2202-80-004-0001 राष्ट्रभाषा पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	313.36	231.48	231.48	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 71.88 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)81.88				
2202-80-004-0003 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	188.34	144.69	144.69	0.00	₹43.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)43.65				
2202-80-004-0007 केपी जायसवाल शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	177.17	142.06	141.23	(-)0.83	अंतिम बचत तथा ₹ 35.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)35.11				
2202-80-004-0009 हिन्दी ग्रंथ अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	193.01	163.00	163.00	0.00	₹30.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)30.01				
2202-80-004-0106 एएन सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2205-00-105-0003 श्री कृष्ण सेवासदन, मुंगेर-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)26.00				
2205-00-105-0011 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)45.00				
2251-00-090-0002 शिक्षा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,110.12	710.69	710.63	(-)0.06	प्रावधान में ₹437.88 लाख की हुई कमी, ₹ 46.25 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 484.13 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	38.45				
	पुनर्वि०	(-)437.88				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2202-01-001-0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	550.01	836.95	836.95	0.00	प्रावधान में ₹ 286.94 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 383.58 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹96.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	286.94				
2202-03-102-0024 पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	35,301.65	35,301.65	0.00	प्रावधान में ₹ 19,448.40 लाख की हुई वृद्धि, ₹25,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹5,561.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	11,853.25				
	पुनर्वि०	19,448.40				
2202-80-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	710.15	729.77	786.35	(+56.58)	प्रावधान में ₹ 19.62 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 85.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹65.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण ₹ 85.50 लाख की वृद्धि हुई। कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	19.62				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2202-80-003-0006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,186.20	3,733.96	3,736.45	(+2.49)	प्रावधान में ₹ 547.76 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 800.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 252.24 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। एसीपी का भुगतान नहीं होने के कारण ₹800.00 लाख की वृद्धि हुई। कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	547.76				

पूँजी ( दत्तमत )

(v) ₹12,387.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 में प्राप्त किया गया ₹10,735.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹12,387.69 लाख), अंतिम बचत (₹12,387.68 लाख) से ₹0.01 लाख अधिक था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4202-01-202-0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,695.65	10,858.12	10,858.12	0.00	₹3,837.53 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10,000.00				
	पुनर्वि०	(-)3,837.53				
4202-01-203-0108 मुक्त सरकारी महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)500.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-01-203-0207	मूल	6,000.00	60.00	60.00	0.00	₹5,940.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)5,940.00				
4202-01-789-0101	मूल	7,304.35	5,304.35	5,304.35	0.00	₹2,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)2,000.00				

**अनुदान संख्या- 22- गृह विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014	न्याय प्रशासन
2051	लोक सेवा आयोग
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2055	पुलिस
2056	जेल
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	8,25,19,563	8,94,48,016	8,22,05,143	(-)72,42,873
अनुपूरक	69,28,453			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				25,54,086
24 जनवरी 2019	6,50,001			
6 फरवरी 2019	59			
31 मार्च 2019	19,04,026			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	36,36,999	55,08,881	51,02,785	(-)4,06,096
अनुपूरक	18,71,882			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,05,844
3 नवम्बर 2018	1			
24 जनवरी 2019	1,44,955			
31 मार्च 2019	2,60,888			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹72,428.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹29,557.42 लाख), नवम्बर 2018 (₹4,955.38 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹34,771.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹69,284.53 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹25,540.86 लाख), अंतिम बचत (₹72,428.73 लाख) से ₹46,887.87 लाख कम था।



अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0002 गृह (विशेष) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.26	1,216.43	1,215.46	(-)0.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.50 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹281.34 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)283.84				
2052-00-090-0049 जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत सलाहकार पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	95.71	34.86	34.86	0.00	₹60.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)60.85				
2052-00-092-0002 स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	309.65	203.35	203.24	(-)0.11	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹29.99 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹109.01 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	32.70				
	पुनर्वि०	(-)139.00				
2055-00-001-0003 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,700.00	14,504.01	12,875.69	(-)1,628.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	6,804.01				
2055-00-001-0008 सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,760.20	1,297.15	1,292.00	(-)5.15	नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहने के कारण ₹ 463.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)463.05				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-003-0002 प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,733.04	1,820.04	1,433.06	(-)386.98	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹87.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	87.00				
2055-00-003-0007 प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतल्ला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,467.05	1,467.05	1,304.01	(-)163.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2055-00-101-0003 भारत-नेपाल सीमा पर चेक पोस्ट (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	704.99	569.32	526.37	(-)42.95	पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण ₹135.67 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)135.67				
2055-00-104-0003 विशेष टास्क फोर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,595.50	15,019.55	13,242.89	(-)1,776.66	प्रावधान में ₹575.95 लाख की हुई कमी, ₹ 116.60 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 692.55 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)575.95				
2055-00-109-0003 वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	72.21	71.71	(-)0.50	अंतिम बचत तथा ₹ 77.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)77.79				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-109-0004 उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	700.00	541.45	75.00	(-)466.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹158.55 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)158.55				
2055-00-109-0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,845.00	13,346.90	12,952.94	(-)393.96	प्रावधान में ₹ 4,498.10 लाख की हुई कमी, ₹ 100.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,020.00 तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,578.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। विभिन्न जिलों से सैप कर्मियों के स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण ₹1,578.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,498.10				
2055-00-109-0006 एस.आर.ई. स्कीम के तहत उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ.पी. के सृष्टीकरण हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	248.77	238.27	(-)10.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹233.10 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹518.13 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)751.23				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-109-0007 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में स्थानीय जनता के बीच सामुदायिक पुलिसिंग पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	28.29	24.28	(-)4.01	अंतिम बचत तथा ₹ 71.71 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)71.71				
2055-00-109-0008 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में ग्राम सुरक्षा हेतु संसाधन पर ग्राम सुरक्षा समिति/नागरिक सुरक्षा समिति पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30.00	8.87	4.76	(-)4.11	अंतिम बचत तथा ₹ 21.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)21.13				
2055-00-109-0009 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों/ हेलिकॉप्टरों/ संचार संसाधन हेतु (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, आपात स्थिति घटित नहीं होने से राशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)70.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-109-0017 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,350.00	1,912.78	1,902.66	(-)10.12	अंतिम बचत तथा ₹437.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)437.22				
2055-00-110-0001 चौकीदार-दफादार स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	91,101.80	87,631.72	72,312.16	(-)15,319.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,894.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	423.92				
	पुनर्वि०	(-)3,894.00				
2055-00-111-0002 आर्डर पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,616.78	19,444.58	18,565.11	(-)879.47	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,189.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	16.80				
	पुनर्वि०	(-)2,189.00				
2055-00-113-0001 चिकित्सालय व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,229.00	1,077.29	1,077.29	0.00	विभिन्न जिला से कर्मियों के स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण ₹151.71 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)151.71				
2055-00-113-0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	850.00	737.40	127.28	(-)610.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹112.60 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)112.60				
2055-00-113-0006 अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	70.00	(-)130.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-114-0001 संकेत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,798.12	6,585.73	6,424.08	(-)161.65	प्रावधान में ₹ 1,212.39 लाख की हुई कमी, ₹ 179.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,391.89 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,212.39				
2055-00-114-0002 कम्प्यूटर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	363.29	316.86	316.86	0.00	प्रावधान में ₹46.43 लाख की हुई कमी, ₹ 13.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹59.43 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। विभिन्न जिलों से पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण ₹59.43 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)46.43				
2055-00-115-0001 पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,600.00	1,995.61	1,995.61	0.00	₹1,604.39 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,604.39				
2055-00-115-0102 पुलिस प्रशासन का ढाचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,056.71	2,056.71	0.00	निविदा संबंधित प्रक्रिया के पूर्ण न होने के कारण ₹1,443.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,443.29				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2055-00-115-0203 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,477.00	1,123.23	1,090.76	(-)32.47	अंतिम बचत तथा ₹ 3,269.45 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,915.68				
	पुनर्वि०	(-)3,269.45				
2055-00-115-0303 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	6,500.00				
	पुनर्वि०	(-)6,500.01				
2055-00-115-0404 निर्भया (नेशनल वार्ड ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	1,229.60	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,229.60				
2056-00-001-0001 जेल निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,178.60	1,178.60	998.80	(-)179.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2056-00-101-0002 जिला जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,145.01	20,285.55	19,039.43	(-)1,246.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,140.54 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	4,140.54				
2056-00-102-0001 केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	2,167.45	2,167.45	0.00	₹332.55 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)332.55				
2070-00-003-0008 गृह रक्षक का प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	800.00	342.26	342.26	0.00	जिलों में स्वच्छता प्रक्रिया के लंबित होने के कारण ₹457.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)457.74				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-107-0002 शहरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	291.08	208.78	199.22	(-)9.56	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण ₹82.30 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)82.30				
2070-00-107-0003 गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	829.69	829.69	0.00	गृह रक्षकों के सेवानिवृत्ति के कारण ₹170.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)170.31				
2070-00-107-0004 होम गार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2070-00-108-0001 अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,178.20	7,184.45	6,454.81	(-)729.64	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.25 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	6.25				
2070-00-108-0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,472.59	1,472.59	0.00	जीएसटी दर में कटौती के कारण ₹258.63 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	731.22				
	पुनर्वि०	(-)258.63				
2235-60-200-0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,800.00	1,473.25	1,473.25	0.00	स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की संख्या में कमी के कारण ₹ 326.75 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)326.75				



अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-60-200-0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	269.74	269.74	0.00	₹230.26 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	300.00				
	पुनर्वि०	(-)230.26				
2235-60-200-0006 द्वितीय विश्व युद्ध के विसर्जित सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	78.00	24.71	24.71	0.00	लाभावितों की मृत्यु के कारण ₹53.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)53.29				
2235-60-200-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10.00	715.45	715.45	0.00	₹712.55 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,418.00				
	पुनर्वि०	(-)712.55				
2235-60-200-0016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	95.00	38.76	38.76	0.00	जिला पदाधिकारियों द्वारा विवाह अनुदान की मांग नहीं किये जाने के कारण ₹56.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)56.24				
2235-60-200-0414 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	140.00	19.00	19.00	0.00	₹121.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)121.00				

**अनुदान संख्या- 22- क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2056-00-003-0004 बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	52.16	143.15	143.15	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹90.99 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	90.99				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹4,060.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹7,791.26 लाख), नवम्बर 2018 (₹2,978.01 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹7,949.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹18,718.82 लाख का अनुपूरक अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,058.44 लाख), अंतिम बचत (₹4,060.96 लाख) से ₹2.52 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4055-00-050-0101 थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,166.47	2,166.47	0.00	वर्ष 2019 के लोकसभा निर्वाचन में आचार संहिता लागू होने के कारण ₹ 833.53 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-833.53)				
4055-00-051-0304 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,616.50	1,361.66	1,361.66	0.00	₹254.84 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-254.84)				
4055-00-210-0402 महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राइम की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	247.00	0.67	0.67	0.00	₹246.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-246.33)				

अनुदान संख्या- 22- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4070-00-051-0101 बिहार अग्नि शमन सेवा के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	316.62	316.62	0.00	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पूर्वानुमान प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,183 38 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,183.38				
4070-00-051-0103 केन्द्रीय/मंडल/ उप-काराओं के भवन निर्माण (गृह-कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	473.36	472.92	(-)0.44	अंतिम बचत तथा ₹ 1,526. 64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,526.64				

**अनुदान संख्या- 23- उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	60,79,437	71,37,477	61,44,850	(-)9,92,627
अनुपूरक	10,58,040			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,72,359
28 जनवरी 2019	5,46,876			
31 मार्च 2019	4,25,483			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

दत्तमत :

मूल	1,41,000	2,91,000	1,70,320	(-)1,20,680
अनुपूरक	1,50,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,20,680
28 जनवरी 2019	1,20,679			
31 मार्च 2019	1			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹9,926.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹5,179.51 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹5,400.89 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,580.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,723.59 लाख), अंतिम बचत (₹9,926.27 लाख) से ₹202.68 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-102-0001 प्रदर्शन केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,264.19	2,160.82	2,164.01	(+)3.19	प्रावधान में ₹1,162.37 लाख की हुई कमी, ₹4.46 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹274.70 लाख की कमी तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 892.13 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	59.00				
	पुनर्वि०	(-)1,162.37				
2851-00-103-0001 हस्तकरघा के विकास की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	185.84	153.06	153.06	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.27 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹28.44 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1.93				
	पुनर्वि०	(-)34.71				
2851-00-104-0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	481.33	342.00	342.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4.61 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹134.72 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)139.33				
2851-00-105-0101 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	420.00	425.96	425.96	0.00	₹619.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	625.01				
	पुनर्वि०	(-)619.05				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-107-0001 सेरीकल्चर का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	877.90	631.95	629.83	(-)2.12	प्रावधान में ₹249.03 लाख की हुई कमी, ₹0.15 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹249.18 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3.08				
	पुनर्वि०	(-)249.03				
2851-00-107-0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,865.00	13.98	13.98	0.00	₹1,851.02 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,851.02				
2851-00-108-0101 पावरलूम योजना (राज्य स्कीम)	मूल	543.00	400.94	400.94	0.00	₹142.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)142.06				
2851-00-789-0104 हस्तकरघा विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2851-00-789-0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष घटक योजना- रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	360.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)360.00				
2851-00-789-0109 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,160.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,160.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-796-0106 रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2852-08-796-0101 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	102.22	102.22	0.00	₹197.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)197.78				
2852-80-001-0111 निवेश आयुक्त का कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	376.02	376.02	0.00	₹123.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)123.98				
2852-80-003-0001 शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	199.45	147.05	144.30	(-)2.75	अंतिम बचत तथा ₹ 61.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	8.75				
	पुनर्वि०	(-)61.15				
2852-80-102-0004 औद्योगिक समूहों की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	67.55	39.68	39.64	(-)0.04	अंतिम बचत तथा ₹ 27.87 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)27.87				
2852-80-102-0135 इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,666.00	1,686.38	1,686.38	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹666.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹558.62 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	245.00				
	पुनर्वि०	(-)1,224.62				
2852-80-102-0147 बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अन्तर्गत पूंजीनिवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	200.00	200.00	0.00	₹300.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2852-80-102-0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28,475.00	24,414.44	24,414.44	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,700.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹360.56 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,060.56				
2852-80-789-0102 इन्टरप्रिनियर्स डेवलेपमेंट योजना की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,049.01	1,049.01	0.00	₹550.99 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)550.99				
2852-80-789-0104 प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	75.00	75.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
3451-00-090-0001 उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	437.47	560.93	560.02	(-)0.91	अंतिम बचत तथा ₹ 76.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	(-)76.54				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2851-00-103-0103 हस्तकरघा विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	329.00	943.54	943.54	0.00	प्रावधान में ₹614.54 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 666.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹51.46 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	614.54				



**अनुदान संख्या- 23- क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
2852-80-102-0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष (राज्य स्कीम)	मूल	5,157.00	7,357.00	7,357.00	0.00	प्रावधान में ₹2,200.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 3,700.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	2,200.00				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹1,206.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹1,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
4851-00-102-0102 टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	100.00	100.00	0.00	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4851-00-190-0102 भेनचर कैपिटल में निवेश (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
4851-00-789-0103 बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
4885-02-050-0101 औद्योगिक विकास हेतु भू-अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	3.20	3.20	0.00	₹96.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)96.80				

**अनुदान संख्या- 24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2220 सूचना तथा प्रचार  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	23,50,883	23,50,883	18,80,525	(-)4,70,358
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,70,338
29 मार्च 2019	50,700			
31 मार्च 2019	4,19,638			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,703.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹23,508.83 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।  
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,703.38 लाख), अंतिम बचत (₹4,703.58 लाख) से ₹0.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या -24- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2220-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	949.56	490.67	490.67	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.75 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 428.14 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)458.89				
2220-60-101-0002 सरकारी विज्ञापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	8,873.62	8,873.62	0.00	₹1,126.38 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,126.38				
2220-60-106-0002 ज़िला ईकाईयां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,426.29	1,595.09	1,595.09	0.00	प्रावधान में ₹831.20 लाख की हुई कमी, ₹ 30.75 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 861.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)831.20				
2220-60-106-0106 बिहार संवाद समिति (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2220-60-789-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,601.97	741.81	741.81	0.00	₹860.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)860.16				
2220-60-796-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.12	63.96	63.86	(-)0.10	अंतिम बचत तथा ₹ 36.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)36.16				

अनुदान संख्या -24- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-60-110-0103 बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2235-60-200-0115 पत्रकार पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
2251-00-090-0014 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	113.69	76.99	76.99	0.00	₹36.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)36.70				

**अनुदान संख्या- 25- सूचना प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	17,51,366	26,45,750	9,09,190	(-)17,36,560
अनुपूरक	8,94,384			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,28,542
23 जुलाई 2018	5,24,382			
5 सितम्बर 2018	2			
23 नवम्बर 2018	5,20,000			
12 दिसम्बर 2018	90,000			
17 जनवरी 2019	3,28,300			
31 मार्च 2019	4,65,858			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	6,00,000	13,18,300	8,18,300	(-)5,00,000
अनुपूरक	7,18,300			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,00,000
17 जनवरी 2019	2,50,000			
12 दिसम्बर 2019	2,50,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹17,365.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹5,243.82 लाख), नवम्बर 2018 (₹900.02 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹2,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,943.84 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹19,285.42 लाख), अंतिम बचत (₹17,365.60 लाख) से ₹1,919.82 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-001-0101 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	369.78	368.13	(-)1.65	अंतिम बचत तथा ₹ 258.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	328.00				
	पुनर्वि०	(-)258.22				
2852-07-202-0014 ई-गवर्नेंस परियोजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.00	1,036.13	1,027.99	(-)8.14	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹9.20 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,954.67 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,963.87				
2852-07-202-0015 आउटसोर्स सेवाओं के विरुद्ध भुगतान (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹22.50 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹77.50 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2852-07-202-0107 सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	140.41	140.41	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹809.59 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,059.59				
2852-07-202-0109 ई-शासन राज्य योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,829.02	1,680.23	1,680.23	0.00	प्रावधान में ₹5,248.80 लाख की हुई कमी, ₹60.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹5,308.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,100.01				
	पुनर्वि०	(-)5,248.80				

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2852-07-202-0113 निश्चय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में निःशुल्क वाई-फाई (राज्य स्कीम)	मूल	5,200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,200.00				
3451-00-090-0118 सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	2.59	2.59	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹117.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹880.41 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)997.41				

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2852-07-202-0106 ज्ञान सिटी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,425.60	2,769.82	(+)1,344.22	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 1,890.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,815.82				
	पुनर्वि०	(-)1,890.22				
2852-07-202-0108 राज्य डाटा सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,150.60	2,727.86	(+)577.26	प्रावधान में ₹2,549.41 लाख की हुई कमी, ₹ 307.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,856.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,700.01				
	पुनर्वि०	(-)2,549.41				

**अनुदान संख्या- 25- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹5,000.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹1,100.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹2,500.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹3,583.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹7,183.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4859-02-004-0101	मूल	6,000.00	8,183.00	8,183.00	0.00	₹2,500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
बिहार स्टेट वाईड	अनु०	4,683.00				
एरिया नेटवर्क (स्वान) (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
4859-02-051-0101	अनु०	2,500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
राज्य डाटा सेन्टर (राज्य स्कीम)	पुनर्वि०	(-)2,500.00				



**अनुदान संख्या- 26- श्रम संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	72,19,705	72,61,224	55,08,899	(-)17,52,325
अनुपूरक	41,519			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,43,715
13 मार्च 2019	1			
31 मार्च 2019	15,43,714			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,00,001	2,00,001	30,720	(-)1,69,281
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,69,281
31 मार्च 2019	1,69,281			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹17,523.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹93.02 लाख), नवम्बर 2018 (₹281.35 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹40.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹415.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹15,437.15 लाख), अंतिम बचत (₹17,523.25 लाख) से ₹2,086.10 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-01-001-0001 श्रम आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	718.99	551.93	548.26	(-)3.67	प्रावधान में ₹ 167.06 लाख की हुई कमी, ₹ 14.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 181.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹14.50 लाख की वृद्धि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के भुगतान में वृद्धि होने के कारण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)167.06				
2230-01-101-0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,134.12	969.72	969.72	0.00	कुछ अधिकारियों/ कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वेतन पुनरीक्षण के बाद बकाए वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण ₹164.42 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	0.02				
	पुनर्वि०	(-)164.42				
2230-01-101-0007 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,154.28	2,695.16	2,694.92	(-)0.24	कुछ अधिकारियों/कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वेतन मद में समय से विपत्र नहीं प्राप्त होने के कारण ₹459.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त
	पुनर्वि०	(-)459.12				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-01-101-0106 बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (राज्य स्कीम)	मूल	216.64	28.41	28.41	0.00	पद रिक्त रहने के कारण ₹188.23 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)188.23				
2230-01-101-0108 श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,083.02	30.90	30.56	(-)0.34	अंतिम बचत तथा ₹1,052.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,052.12				
2230-01-101-0109 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	42.51	42.51	0.00	श्रम संसाधन विभाग के सभी कार्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए फर्निचर/ उपस्कर की खरीद नहीं होने के कारण ₹ 1,457.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,457.49				
2230-01-103-0001 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	416.00	308.94	308.94	0.00	कुछ अधिकारियों/कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वेतन मद में समय से विपत्र नहीं प्राप्त होने के कारण ₹107.06 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)107.06				
2230-01-103-0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	281.64	166.89	166.89	0.00	₹114.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)114.75				
2230-01-112-0201 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)120.00				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-01-112-0301 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	84.00	3.90	3.90	0.00	₹80.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)80.10				
2230-01-114-0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	230.00	95.00	95.00	0.00	₹135.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)135.00				
2230-01-789-0103 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	26.00	26.00	0.00	₹44.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)44.00				
2230-02-101-0004 रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,759.52	1,532.85	1,532.85	0.00	बकाये वेतन की निकासी नहीं होने के कारण ₹249.67 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	23.00				
	पुनर्वि०	(-)249.67				
2230-02-101-0101 रोजगार सेवाओं के विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	159.90	70.75	70.75	0.00	नियोजनालयों को सरकारी भवन नहीं होने से अपेक्षित फर्नीचर का क्रय नहीं होने के कारण ₹ 89.15 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)89.15				
2230-02-101-0110 नियोजन सेवा हेतु ई-प्रोसेस (राज्य स्कीम)	मूल	55.00	25.98	25.98	0.00	₹29.02 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)29.02				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-02-101-0113 निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	39.08	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने एवं निःशक्त जनों के लिए लाभदायक योजना तैयार नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)39.08				
2230-02-101-0115 राज्य के नियोजनालय को जन-निजी भागीदारी में संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	411.75	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)411.75				
2230-02-101-0116 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	60.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)60.00				
2230-02-101-0214 नेशनल कैरियर सर्विस (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	70.10	69.03	(-)1.07	अंतिम बचत तथा ₹ 929.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)929.90				
2230-02-101-0314 नेशनल कैरियर सर्विस (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	666.67	40.41	40.36	(-)0.05	अंतिम बचत तथा ₹ 626.26 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)626.26				
2230-03-003-0105 पूर्व में स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	30.14	30.14	0.00	कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ₹ 69.86 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)69.86				
2230-03-003-0109 मशीनों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	577.81	577.81	0.00	₹3,422.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,422.19				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2230-03-003-0112 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	19.98	19.98	0.00	कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ₹ 30.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)30.02				
2230-03-003-0118 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	3,444.35	3,438.63	(-)5.72	कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ₹555.65 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)555.65				
2230-03-003-0126 सूचना तंत्र का प्रबंधन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	132.68	132.68	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.10 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 361.22 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)367.32				
2230-03-003-0233 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,875.00	45.07	45.07	0.00	₹2,829.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)2,829.94				
2230-03-003-0333 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	733.33	733.34	281.02	(-)452.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
2230-03-101-0101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	617.59	616.01	(-)1.58	कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ₹382.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)382.41				

अनुदान संख्या- 26- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-01-202-0107 विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	493.22	70.45	70.45	0.00	₹422.77 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)422.77				
2251-00-091-0001 सचिवालय-जलपान गृह का स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	797.55	664.28	664.07	(-)0.21	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹14.50 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 118.78 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)133.28				
2251-00-091-0002 विधानमंडल जलपान गृह की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	210.44	147.71	147.71	0.00	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण ₹ 62.73 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)62.73				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹1,692.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹2,000.01 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

4250-00-050-0101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	307.20	307.20	0.00	संस्थान हेतु भू-अर्जन नहीं होने के कारण ₹ 1,692.80 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)1,692.80				

**अनुदान संख्या- 27- विधि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2014 न्याय प्रशासन  
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	88,72,029	92,35,177	76,96,793	(-)15,38,384
अनुपूरक	3,63,148			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,33,085
31 मार्च 2019	15,33,085			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹15,383.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹457.05 लाख), नवम्बर 2018 (₹2,369.43 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹805.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,631.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹15,330.85 लाख), अंतिम बचत (₹15,383.84 लाख) से ₹52.99 लाख कम था।



अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-003-0001 बिहार न्यायिक अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	801.29	1,216.87	1,217.70	(+)0.83	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹184.42 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	600.00				
	पुनर्वि०	(-)184.42				
2014-00-105-0007 अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,749.80	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण, राज्य व्यवहार न्यायालय अंतर्गत अतिरिक्त न्यायालय का गठन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,749.80				
2014-00-105-0008 त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा) (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,768.60	832.89	825.76	(-)7.13	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹200.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 5,735.71 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,935.71				
2014-00-105-0009 सिविल एवं सत्र न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा पर) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,398.60	166.39	166.33	(-)0.06	योजना का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ₹1,232.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,232.21				
2014-00-114-0002 निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,710.88	1,319.45	1,308.86	(-)10.59	मित्तव्ययिता एवं कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण ₹430.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	38.66				
	पुनर्वि०	(-)430.09				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-114-0003 सरकारी मुकदमें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,757.81	4,229.88	4,229.88	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹92.75 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 435.18 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)527.93				
2014-00-114-0006 विधि आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.67	70.78	69.78	(-)1.00	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का वेतन पुनरीक्षित नहीं होने तथा कुछ पद रिक्त रहने के कारण ₹55.89 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)55.89				
2014-00-114-0007 न्यायिक सुविधाएँ (वित्त आयोग के अनुशंसा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	807.00	147.69	147.32	(-)0.37	अंतिम बचत तथा ₹ 659.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.02				
	पुनर्वि०	(-)659.33				
2014-00-117-0001 परिवार न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,589.67	1,045.11	1,037.55	(-)7.56	मित्तव्ययिता एवं कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण ₹573.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	28.75				
	पुनर्वि०	(-)573.31				
2014-00-117-0002 परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा पर) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	230.20	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण, राज्य व्यवहार न्यायालय अंतर्गत अतिरिक्त न्यायालय का गठन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)230.20				

अनुदान संख्या- 27- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-60-200-0013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	1,040.18	1,039.68	(-)0.50	प्रावधान में ₹ 140.18 लाख की हुई वृद्धि, ₹200.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹59.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	700.00				
	पुनर्वि०	140.18				

**विनियोग संख्या- 28- उच्च न्यायालय  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	15,52,701	16,44,157	15,20,491	(-)1,23,666
अनुपूरक	91,456			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,21,892
31 मार्च 2019	1,21,892			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹1,236.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹914.56 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,218.92 लाख), अंतिम बचत (₹1,236.66 लाख) से ₹17.74 लाख कम था।

विनियोग संख्या- 28- क्रमांत

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-102-0007 स्कैनिंग एवं डिजिटাইजेशन एवं टेक्नीकल मैन पॉवर सपोर्ट (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	413.73	13.25	13.25	0.00	₹400.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)400.48				

**अनुदान संख्या- 29- खान एवं भूतत्व विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	5,14,444	5,19,589	3,00,776	(-),2,18,813
अनुपूरक	5,145			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,19,306
15 मार्च 2019	55,500			
31 मार्च 2019	1,63,806			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	0	1,38,426	1,38,426	0
अनुपूरक	1,38,426			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,188.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹20.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹31.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹51.45लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,193.06 लाख), अंतिम बचत (₹2,188.13 लाख) से ₹4.93 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 29- क्रमांत

(iii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2853-02-001-0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,061.09	2,940.00	2,944.93	(+)4.93	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,169.54 लाख की कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	51.45				
	पुनर्वि०	(-)2,172.54				
3451-00-090-0004 खनन तथा भूतत्व विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	83.35	62.83	62.84	(+)0.01	प्रावधान में ₹20.52 लाख की हुई कमी, ₹3.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹23.52 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)20.52				

**अनुदान संख्या- 30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2053 जिला प्रशासन  
2202 सामान्य शिक्षा  
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण  
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	19,77,635	19,96,994	9,80,464	(-)10,16,530
अनुपूरक	19,359			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,14,896
25 जनवरी 2019	4,70,000			
12 मार्च 2019	70,000			
31 मार्च 2019	4,74,896			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

दत्तमत :

मूल	24,00,000	26,00,000	16,66,778	(-)9,33,222
अनुपूरक	2,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,33,222
31 मार्च 2019	9,33,222			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹10,165.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 158.57 लाख), नवम्बर 2018 (₹0.75 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹34.27 लाख) में प्राप्त किया गया ₹193.59 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,148.96 लाख), अंतिम बचत (₹10,165.30 लाख) से ₹16.34 लाख कम था।



अनुदान संख्या -30- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2053-00-094-0010 अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,374.50	938.12	922.12	(-)16.00	पद रिक्त रहने एवं मित्तव्ययिता के कारण ₹363.38 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 73.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)436.38				
2202-02-107-0109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,100.00	3,413.52	3,413.52	0.00	₹1,686.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,686.48				
2202-02-107-0210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2202-03-107-0106 अल्पसंख्यक छात्र- छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	359.60	359.60	0.00	नोडल एजेन्सी से राशि की मांग नहीं मिलने के कारण ₹ 140.40 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)140.40				
2202-80-004-0010 उर्दू अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	205.55	205.55	0.00	निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 44.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)44.45				
2225-04-102-0101 अल्पसंख्यक कल्याण आंतरिक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	11.61	11.58	(-)0.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹63.39 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)88.39				

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-04-277-0103 बिहार राज्य मदरसा सृष्टीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 2,420.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹80.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2250-00-003-0101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)800.00				
2250-00-101-0101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समायोजन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2250-00-800-0107 वक्फ संपत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समायोजन नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2250-00-800-0108 वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवौलविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	0.00	0.00	0.00	पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के समायोजन नहीं होने के कारण ₹ 3,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,000.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2251-00-090-0012 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	317.61	135.08	135.08	0.00	मित्तव्ययिता के कारण ₹ 182.53 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)182.53				

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-04-277-0101 पोस्ट-मैट्रीक छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	3,279.04	3,279.04	0.00	प्रावधान में ₹ 1,079.04 लाख की हुई वृद्धि, ₹1,080. 00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.96 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	1,079.04				

पूँजी( दत्तमत )

(v) ₹9,332.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹2,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4225-04-051-0102 बिहार राज्य मदरसा सृष्टीकरण योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	2,000.00	1,254.76	1,254.76	0.00	योजना की सम्पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 745.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)745.24				

अनुदान संख्या -30- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4225-04-277-0101 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	69.40	69.40	0.00	जिलों से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹130.60 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)130.60				
4225-04-277-0102 अल्पसंख्यक कल्याण आंतरिक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4250-00-051-0207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,300.00	3,265.67	3,265.67	0.00	अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 7,034.33 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)7,034.33				
4250-00-051-0307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,500.00	1,177.95	1,177.95	0.00	अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,322.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,322.05				

**अनुदान संख्या- 31- संसदीय कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	19,274	19,804	18,953	(-)851
अनुपूरक	530			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				911
31 मार्च 2019	911			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹8.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹3.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹2.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9.11 लाख), अंतिम बचत (₹8.51 लाख) से ₹0.60 लाख अधिक था।

विनियोग संख्या- 32- विधान मंडल

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	17,52,466	18,29,711	17,00,265	(-)1,29,446
अनुपूरक	77,245			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,32,428
31 मार्च 2019	1,32,428			

प्रभारित :

मूल	11,434	11,434	5,503	(-)5,931
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,931
31 मार्च 2019	5,931			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹1,294.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹20.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹ 371.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹381.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹772.45 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,324.28 लाख), अंतिम बचत (₹1,294.46 लाख) से ₹29.82 लाख अधिक था ।

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0004 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	760.73	474.66	489.65	(+)14.99	प्रावधान में ₹286.07 लाख की हुई कमी, ₹4.25 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹290.32 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। सचेतकगण का पद रिक्त रहने के कारण ₹ 290.32 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)286.07				
2011-02-101-0005 सदस्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,690.06	5,917.23	5,934.96	(+)17.73	मितव्ययता के कारण ₹ 463.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 369.75 लाख की कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	60.00				
	पुनर्वि०	(-)832.83				
2011-02-102-0005 विरोधी दल के नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	83.05	16.60	16.60	0.00	विरोधी दल के कुछ निजी कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा बिजली बिल के भुगतान के कारण ₹ 66.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)66.45				

**अनुदान/विनियोग संख्या- 32- क्रमांत**

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2011-02-102-0007 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	170.84	176.79	188.95	(+)12.16	प्रावधान में ₹44.05 लाख की हुई कमी, ₹4.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹48.05 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कुछ निजी कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा माननीय पदधारकों के वेतन विपत्र नहीं प्राप्त होने के कारण ₹ 48.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	(-)44.05				

**राजस्व ( प्रभारित )**

(iv) ₹59.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹114.34 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			विनियोग	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2011-02-101-0001 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	67.92	30.43	30.43	0.00	माननीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण ₹37.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)37.49				
2011-02-102-0001 सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	46.42	24.60	24.60	0.00	विधानमंडल के माननीय अध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण ₹21.82 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)21.82				



अनुदान संख्या- 33- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2051 लोक सेवा आयोग  
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2053 जिला प्रशासन  
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	63,99,564	72,16,704	49,97,339	(-)22,19,365
अनुपूरक	8,17,140			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				22,16,269
31 मार्च 2019	22,16,269			

प्रभारित :

मूल	61,906	76,091	74,633	(-)1,458
अनुपूरक	14,185			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,458
31 मार्च 2019	1,458			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹22,193.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹45.65 लाख), नवम्बर 2018 (₹8,089.75 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹36.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,171.40 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹22,162.69 लाख), अंतिम बचत (₹22,193.65 लाख) से ₹30.96 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2051-00-103-0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,189.49	4,640.71	4,640.71	0.00	अपरिहार्य कारणों से परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने के कारण ₹ 6,772.54 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	6,223.76				
	पुनर्वि०	(-)6,772.54				
2051-00-103-0002 बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	370.93	341.22	337.78	(-)3.44	आयोग में अधिकारियों/ कर्मचारियों के पदस्थापन नहीं होने के कारण ₹187.72 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	158.01				
	पुनर्वि०	(-)187.72				
2052-00-090-0004 सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,885.04	2,493.38	2,488.48	(-)4.90	प्रावधान में ₹471.66 लाख की हुई कमी, ₹ 37.50 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹157.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 352.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	80.00				
	पुनर्वि०	(-)471.66				
2052-00-090-0005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	223.55	103.00	103.00	0.00	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदस्थापन नहीं होने के कारण ₹ 120.55 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)120.55				
2052-00-090-0041 अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	258.70	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)258.70				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0045 राज्य महादलित आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	184.60	92.30	92.30	0.00	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदस्थापन नहीं होने के कारण ₹ 92.30 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)92.30				
2052-00-090-0052 उच्च जातियों के विकास हेतु राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	362.52	0.00	0.00	0.00	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदस्थापन नहीं होने के कारण ₹ 325.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹37.50 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)362.52				
2053-00-093-0001 जिला प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	29,372.01	20,337.88	20,337.88	0.00	अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण ₹9,675.05 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	640.92				
	पुनर्वि०	(-)9,675.05				
2053-00-094-0001 अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,650.01	9,546.95	9,546.95	0.00	अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण ₹3,103.06 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,103.06				
2053-00-101-0001 मुख्य कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,557.81	2,265.05	2,247.71	(-)17.34	प्रावधान में ₹329.75 लाख की हुई कमी, ₹ 144.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 473.75 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण ₹473.75 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	36.99				
	पुनर्वि०	(-)329.75				

अनुदान संख्या- 33- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-001-0001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	292.51	239.35	239.30	(-)0.05	अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तथा विद्युत मद से राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 71.16 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	18.00				
	पुनर्वि०	(-)71.16				
2070-00-115-0003 सर्किट भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,280.50	782.48	782.48	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹498.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)498.02				
2251-00-092-0002 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	646.00	466.10	462.01	(-)4.09	आयोग द्वारा उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारी तथा पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागी को पुरस्कृत करने हेतु सेमिनार/ सम्मेलन का आयोजन नहीं होने के कारण ₹193.62 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	13.72				
	पुनर्वि०	(-)193.62				

राजस्व ( प्रभारित )

(iv) ₹14.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹23.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹74.65 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹44.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹141.85 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

**विनियोग संख्या- 34- बिहार लोक सेवा आयोग  
( सभी प्रभारित )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	2,44,578	3,02,332	2,92,637	(-)9,695
अनुपूरक	57,754			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,625
31 मार्च 2019	9,625			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹96.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹72.54 लाख), नवम्बर 2018 (₹145.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹360.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹577.54 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹96.25 लाख), अंतिम बचत (₹96.95 लाख) से ₹0.70 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 35- योजना एवं विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
2053 जिला प्रशासन  
2059 लोक निर्माण कार्य  
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं  
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	57,14,205	60,51,634	44,91,423	(-)15,60,211
अनुपूरक	3,37,429			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,70,413
31 मार्च 2019	12,70,413			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय  
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय  
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,24,82,652	1,85,95,852	1,47,91,823	(-)38,04,029
अनुपूरक	61,13,200			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				37,99,386
7 फरवरी 2019	1,42,414			
31 मार्च 2019	36,56,972			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹15,602.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹1,896.15 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,478.14 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,374.29 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹12,704.13 लाख), अंतिम बचत (₹15,602.11 लाख) से ₹2,897.98 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0010 योजना एवं विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,337.65	1,064.87	1,063.27	(-)1.60	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण ₹ 208.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 82.65 लाख की हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	18.00				
	पुनर्वि०	(-)290.78				
2052-00-090-0012 विकास आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.81	97.90	97.70	(-)0.20	प्रावधान में ₹ 44.91 लाख की हुई कमी, ₹ 0.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 45.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण ₹ 45.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	42.00				
	पुनर्वि०	(-)44.91				
2052-00-090-0103 योजना तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	15.10	15.10	0.00	नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 684.90 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)684.90				
2053-00-094-0007 योजना तंत्र का सुदृढीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,275.25	11,357.40	8,467.45	(-)2,889.95	प्रावधान में ₹ 82.15 लाख की हुई वृद्धि, ₹82.65 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	82.15				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2053-00-094-0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	56.63	56.63	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 943.37 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)943.37				
2059-01-053-0024 मेला, हाट, बाजार कचहरी भवन का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2070-00-001-0105 बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	40.00	40.00	0.00	स्वीकृत पद से कम कर्मियों की संख्या होने के कारण ₹ 160.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)160.00				
2235-01-202-0505 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	83.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)83.00				
2235-60-200-0120 बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,291.55	1,288.57	(-)2.98	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,708.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	पुनर्वि०	(-)1,708.45				
3451-00-101-0101 बिहार राज्य योजना बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				



अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3454-02-001-0001 योजना कार्यों का मूल्यांकन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	166.01	131.77	131.77	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 34.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)34.24				
3454-02-111-0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	973.44	1,084.35	1,084.35	0.00	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण ₹ 212.87 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	323.78				
	पुनर्वि०	(-)212.87				
3454-02-204-0119 योजना कार्यों का मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	15.40	15.40	0.00	₹184.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)184.60				
3454-02-204-0120 भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, तकनीकी कारणों से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
3454-02-204-0408 क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	32.30	40.39	40.39	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 483.79 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	491.88				
	पुनर्वि०	(-)483.79				
3454-02-204-0409 फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	20.02	45.51	45.51	0.00	केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 363.22 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	388.71				
	पुनर्वि०	(-)363.22				
3454-02-204-0422 भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	1,424.14	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, तकनीकी समस्या के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)1,424.14				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3454-02-205-0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,569.00	655.22	655.11	(-)0.11	स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ₹2,913.78 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,913.78				
3454-02-205-0405 लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	339.06	156.02	155.58	(-)0.44	केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 698.72 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	अनु०	515.68				
	पुनर्वि०	(-)698.72				
3454-02-205-0406 राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	43.35	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, तकनीकी समस्या के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)43.35				
3454-02-789-0101 समेकित सांख्यिकी विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	688.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)688.00				
3454-02-796-0103 समेकित सांख्यिकी विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	43.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)43.00				
3475-00-004-0101 मुख्यमंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नवप्रवर्तन से संबंधित कोई भी योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹38,040.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹16,332.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹ 33,800.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹11,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹61,132.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹37,993.86 लाख), अंतिम बचत (₹38,040.29 लाख) से ₹46.43 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4070-00-051-0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,818.85	55.14	55.14	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 9,939.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹824.14 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)10,763.71				
4070-00-051-0210 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,600.00	3,220.00	3,220.00	0.00	केन्द्र सरकार से राशि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 1,380.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)1,380.00				
4070-00-051-0310 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,840.00	1,288.00	1,288.00	0.00	केन्द्र सरकार से राशि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 552.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)552.00				
4070-00-789-0302 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,226.67	859.00	859.00	0.00	केन्द्र सरकार से राशि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 367.67 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)367.67				
4235-60-051-0104 कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु)(राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,632.32	3,632.32	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 1,367.68 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,367.68				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4401-00-051-0102 कृषि विभाग हेतु भवन (राज्य स्कीम)	अनु०	830.00	701.87	709.80	(+)7.93	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 128.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)128.13				
4401-00-789-0104 कृषि विभाग हेतु भवन (राज्य स्कीम)	अनु०	160.00	56.39	16.48	(-)39.91	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 103.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)103.61				
4515-00-101-0105 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण-वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)(राज्य स्कीम)	मूल	20,000.00	3,553.47	3,553.47	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 16,446.53 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)16,446.53				
4515-00-101-0501 पंचायती राज भवन (ईएपी) (राज्य स्कीम)	मूल	14,000.00	21,235.36	21,153.35	(-)82.01	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 2,764.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10,000.00				
	पुनर्वि०	(-)2,764.64				
4515-00-102-0303 एलडब्ल्यूई जिलों के लिए एसीए (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

अनुदान संख्या- 35- क्रमांत

(vii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4401-00-796-0102 कृषि विभाग हेतु भवन (राज्य स्कीम)	अनु०	10.00	3.48	71.03	(+)67.55	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 6.52 लाख की प्रत्यर्पण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	पुनर्वि०	(-)6.52				

**अनुदान संख्या- 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2059 लोक निर्माण कार्य  
2215 जलापूर्ति तथा सफाई  
2216 आवास  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	90,69,233	91,99,235	88,45,519	(-)3,53,716
अनुपूरक	1,30,002			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,52,855
31 मार्च 2019	3,52,855			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,12,58,400	2,12,58,400	1,80,05,909	(-)32,52,491
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				45,10,856
31 मार्च 2019	45,10,856			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹3,537.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹0.01 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,300.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,300.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,528.55 लाख), अंतिम बचत (₹3,537.16 लाख) से ₹8.61 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-101-0004 शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,185.60	5,312.05	5,312.05	0.00	कोषागारों द्वारा विपत्रों की स्वीकृति नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,298.55 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 875.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	300.00				
	पुनर्वि०	(-)2,173.55				
2215-01-101-0006 सरकारी भवनों में जलापूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,115.00	801.53	801.53	0.00	मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागारों द्वारा विपत्रों की स्वीकृति नहीं किये जाने के कारण ₹163.48 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹149.99 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)313.47				
2251-00-090-0016 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	230.92	178.40	178.37	(-)0.03	मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागारों द्वारा विपत्रों की स्वीकृति नहीं किये जाने के कारण ₹52.52 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)52.52				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2059-01-053-0030 सरकारी कार्यालय का रखरखाव तथा मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	75.72	75.72	0.00	प्रावधान में ₹ 75.71 लाख की हुई वृद्धि, ₹149.99 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹74.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागारों द्वारा विपत्रों की स्वीकृति नहीं किये जाने के कारण ₹75.71 लाख की प्रत्यर्पण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	75.71				

पूँजी ( दत्तमत )

(v) ₹32,524.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹2,12,584.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹45,108.56 लाख), अंतिम बचत (₹32,524.91 लाख) से ₹12,583.65 लाख अधिक था ।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4215-01-102-0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	296.27	292.24	(-)4.03	अंतिम बचत तथा ₹203.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)203.73				
4215-01-102-0116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	2,734.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,734.00				



अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
4215-01-102-0119 निर्देशन, प्रशासन एवं स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	348.94	348.20	(-)0.74	अंतिम बचत तथा ₹451.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)451.06				
4215-01-102-0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30,000.00	18,663.21	18,663.21	0.00	₹11,336.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)11,336.79				
4215-01-102-0231 ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आरडब्लूएसएस- एलआईएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	₹10,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				
4215-01-102-0330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	32,000.00	19,387.93	19,387.93	0.00	₹12,612.07 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)12,612.07				
4215-01-789-0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्लस, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	430.75	398.71	(-)32.04	अंतिम बचत तथा ₹69.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)69.25				
4215-01-789-0212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,000.00	5,326.95	5,326.95	0.00	₹3,673.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,673.05				
4215-01-789-0312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,600.00	5,401.95	5,401.95	0.00	₹2,198.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,198.05				

अनुदान संख्या- 36- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4215-01-796-0217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	334.36	334.36	0.00	₹665.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)665.64				
4215-01-796-0317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	359.36	359.36	0.00	₹40.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)40.64				
4215-02-106-0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.65	0.00	(-)0.65	अंतिम बचत तथा ₹999.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)999.35				

**अनुदान संख्या- 37- ग्रामीण कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054 सड़क तथा सेतु

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,20,25,745	1,20,33,745	1,00,45,015	(-)19,88,730
अनुपूरक	8,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,62,757
31 मार्च 2019	10,62,757			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	9,30,59,700	10,30,59,700	2,95,12,873	(-)7,35,46,827
अनुपूरक	1,00,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,34,53,025
27 नवम्बर 2018	50,00,000			
7 जनवरी 2019	5,08,56,600			
31 मार्च 2019	1,75,96,425			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹19,887.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,627.57 लाख), अंतिम बचत (₹19,887.30 लाख) से ₹9,259.73 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 37- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
	( ₹ लाख में )				
2515-00-001-0009 अभियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,257.00	8,941.80	7,852.90	(-)1,088.90
	अनु०	80.00			
	पुनर्वि०	(-)1,395.20			
2515-00-001-0108 ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	18,000.00	14,197.60	12,897.01	(-)1,300.59
	पुनर्वि०	(-)3,802.40			
3054-04-105-0001 ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	90,000.00	84,939.12	78,069.77	(-)6,869.35
	पुनर्वि०	(-)5,060.88			
3451-00-090-0029 ग्रामीण कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.44	631.35	630.48	(-)0.87
	पुनर्वि०	(-)369.09			

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹7,35,468.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹50,000.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹50,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,00,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,34,530.25 लाख), अंतिम बचत (₹7,35,468.27 लाख) से ₹938.02 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

4515-00-103-0101 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	11,005.00	8,100.23	7,162.21	(-)938.02
	पुनर्वि०	(-)2,904.77			

अनुदान संख्या- 37- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4515-00-103-0113 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹50,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	50,000.00				
	पुनर्वि०	(-)50,000.00				
4515-00-103-0119 ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,03,563.51	0.00	0.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹53,563.51 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹50,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त
	पुनर्वि०	(-)1,03,563.51				
4515-00-103-0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएस वार्ड) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,08,566.00	10,000.00	10,000.00	0.00	₹3,98,566.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,98,566.00				
4515-00-103-0316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवार्ड) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,20,000.00	0.00	0.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹10,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹1,10,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,20,000.00				
4515-00-103-0519 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (राज्य स्कीम)	मूल	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹50,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	50,000.00				
	पुनर्वि०	(-)50,000.00				
4515-00-796-0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,495.97	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)9,495.97				

**अनुदान संख्या- 38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 स्टाप्प तथा पंजीकरण

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	18,47,523	20,44,373	16,21,263	(-)4,23,110
अनुपूरक	1,96,850			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,25,211
31 मार्च 2019	4,25,211			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,231.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹625.50 लाख), नवम्बर 2018 (₹805.80 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹537.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,968.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,252.11 लाख), अंतिम बचत (₹4,231.10 लाख) से ₹21.01 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 38- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2030-02-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59.99	34.54	34.54	0.00	कर्मियों की सेवानिवृति तथा पद रिक्त रहने के कारण ₹33.45 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	8.00				
	पुनर्वि०	(-)33.45				
2030-03-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	553.56	371.18	371.18	0.00	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पद रिक्त रहने के कारण ₹339.38 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	157.00				
	पुनर्वि०	(-)339.38				
2030-03-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,784.05	4,489.63	4,497.26	(+)7.63	पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पद रिक्त रहने के कारण ₹ 2,416.42 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	122.00				
	पुनर्वि०	(-)2,416.42				
2039-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	956.69	783.61	794.42	(+)10.81	पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पद रिक्त रहने के कारण ₹ 569.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	396.05				
	पुनर्वि०	(-)569.13				
2039-00-001-0007 उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)20.00				

अनुदान संख्या- 38- क्रमांत

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
			अनुदान	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2052-00-092-0007 स्टाम्प्स और उत्पाद आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	89.37	2.10	2.09	(-)0.01	अवर सचिव के पद रिक्त रहने के कारण ₹87.27 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)87.27				



**अनुदान संख्या- 39- आपदा प्रबंधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	67,51,536	4,81,90,018	1,64,22,814	(-)3,17,67,204
अनुपूरक	4,14,38,482			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,17,49,734
4 जुलाई 2018	1,49,020			
19 नवम्बर 2018	1,82,20,000			
23 जनवरी 2019	40,000			
31 मार्च 2019	1,33,40,714			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	20,000	20,000	0	(-)20,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				20,000
23 जनवरी 2019	20,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹3,17,672.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹2,64,359.82 लाख), नवम्बर 2018 (₹1,47,525.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹2,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,14,384.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,17,497.34 लाख), अंतिम बचत (₹3,17,672.04 लाख) से ₹174.70 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-106-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	271.62	165.44	165.44	0.00	₹112.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	6.00				
	पुनर्वि०	(-)112.18				
2070-00-106-0004 प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	143.89	63.94	63.94	0.00	₹79.95 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)79.95				
2235-01-200-0003 शीत लहर से बचाव हेतु उपाय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	24.77	24.77	0.00	₹25.23 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.23				
2235-01-200-0004 कटाव से विस्थापितों का हुई भूमि की क्षति के लिए सहायता अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	569.88	569.88	0.00	₹430.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)430.12				
2235-60-200-0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	199.11	199.11	0.00	₹400.89 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)400.89				
2245-01-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹118.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 382.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-01-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	20.00	2.28	(-)17.72	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹104.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 376.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)480.00				
2245-01-101-0005 अन्य कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2245-01-101-0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	1,11,500.00	1,11,500.00	0.00	₹31,500.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,43,000.00				
	पुनर्वि०	(-)31,500.01				
2245-01-102-0001 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	149.06	149.06	0.00	₹400.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)400.94				
2245-01-104-0001 चारे की पूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2245-01-282-0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	476.63	477.13	(+)0.50	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹1,073.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,073.37				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-001-0101 बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	230.00	44.34	44.34	0.00	₹185.66 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)185.66				
2245-02-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,153.00	203.43	203.29	(-)0.14	अंतिम बचत तथा ₹ 62,949.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50,000.00				
	पुनर्वि०	(-)62,949.57				
2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,153.00	738.88	738.88	0.00	₹63,414.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50,000.00				
	पुनर्वि०	(-)63,414.12				
2245-02-101-0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	620.12	620.12	0.00	₹1,379.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,379.88				
2245-02-101-0004 प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	1.35	1.35	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 73.65 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)98.65				
2245-02-101-0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	483.71	479.63	(-)4.08	अंतिम बचत तथा ₹ 516.29 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)516.29				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-101-0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	211.78	210.14	(-)1.64	अंतिम बचत तथा ₹ 788.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)788.22				
2245-02-101-0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	518.68	518.11	(-)0.57	अंतिम बचत तथा ₹ 481.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)481.32				
2245-02-101-0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	27.50	27.50	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹75.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹197.50 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)272.50				
2245-02-102-0001 पेयजल की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2245-02-104-0001 चारे की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	2.07	2.07	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹197.93 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)247.93				
2245-02-105-0001 पशुओं के लिए दवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-106-0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	40,000.00				
	पुनर्वि०	(-)40,001.00				
2245-02-109-0001 क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1.00	21.63	21.63	0.00	₹4,979.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5,000.00				
	पुनर्वि०	(-)4,979.37				
2245-02-112-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,500.00	2,543.10	2,542.22	(-)0.88	अंतिम बचत तथा ₹ 5,456.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,500.00				
	पुनर्वि०	(-)5,456.90				
2245-02-112-0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹375.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2245-02-112-0004 संचार उपकरणों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	109.60	109.60	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹125.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 265.40 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)390.40				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-113-0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	1,165.12	1,072.56	(-)92.56	अंतिम बचत तथा ₹ 4,234.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5,000.00				
	पुनर्वि०	(-)4,234.88				
2245-02-113-0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से जले मकानों की मरम्मत/ पुर्ननिर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2245-02-114-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,081.00	1,863.43	1,863.43	0.00	₹52,217.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50,000.00				
	पुनर्वि०	(-)52,217.57				
2245-02-117-0001 बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2245-02-117-0003 जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	125.00	19.85	19.85	0.00	₹105.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)105.15				
2245-02-118-0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	72.25	72.32	(+)0.07	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹377.75 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)427.75				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-02-122-0001 क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	20,412.93	20,363.30	(-)49.63	अंतिम बचत तथा ₹ 37,087.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	57,500.00				
	पुनर्वि०	(-)37,087.08				
2245-02-800-0007 गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	38.87	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)38.87				
2245-02-800-0008 क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹150.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2245-05-101-0001 प्राकृतिक आपदा कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	54,300.00	1,70,215.50	1,43,065.50	(-)27,150.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,15,915.50				
2245-80-001-0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	737.98	431.08	430.68	(-)0.40	अंतिम बचत तथा ₹ 431.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	125.00				
	पुनर्वि०	(-)431.90				
2245-80-001-0204 राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	131.90	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)131.90				



अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-80-102-0004 राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,725.81	1,267.70	1,266.58	(-)1.12	प्रावधान में ₹458.11 लाख की हुई कमी, ₹ 552.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,010.11 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)458.11				
2245-80-102-0005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,715.00	322.75	259.98	(-)62.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹366.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,026 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,392.25				
2245-80-102-0104 राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,465.52	1,464.72	(-)0.80	अंतिम बचत तथा ₹ 1,534.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,534.48				
2245-80-102-0105 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	48.68	48.68	0.00	₹251.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)251.32				
2245-80-102-0211 सतत् आपदा जोखिम न्यूनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	59.45	29.72	29.72	0.00	₹29.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)29.73				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2245-80-800-0102 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	550.00	29.90	29.91	(+)0.01	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹ 520.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)520.10				
2251-00-090-0017 आपदा प्रबंधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	566.89	470.32	489.61	(+)19.29	प्रावधान में ₹124.58 लाख की हुई कमी, ₹36.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹160.58 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	28.01				
	पुनर्वि०	(-)124.58				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹200.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया।

(v) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4250-00-051-0104 भांडागार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				

(vi) राज्य आपदा रिस्पाँस निधि ( एसडीआरएफ )

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है। फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय ₹49,200.00 लाख राज्य आपदा रिस्पाँस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद प्राप्त निवल राशि के लिए अनुदान लिया गया था।

### अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46(1) एवं 48(1) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01.04.2010 से समाप्त हो गया। एस०डी०आर०एफ० योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय:-

- (क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,
- (ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि के लिए निधि का प्रावधान किया तथा एस०डी०आर०एफ० में राज्यों को 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 90 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा दिये जाने का अनुशंसा किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-3/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को इस संशोधन के साथ अंगीभूत किया कि राज्यों का हिस्सा पूर्ववत जारी रहेगा। राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगी:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़
	( ₹ करोड़ में )					
केन्द्र का हिस्सा (75%)	351.75	369.00	387.75	407.25	427.5	1,943.25
राज्य का हिस्सा (25%)	117.25	123.00	129.25	135.75	142.5	647.75
<b>जोड़</b>	<b>469.00</b>	<b>492.00</b>	<b>517.00</b>	<b>543.00</b>	<b>570.00</b>	<b>2,591.00</b>

### अनुदान संख्या- 39- क्रमांत

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में एस०डी०आर०एफ० में आरंभिक शेष ₹6000.00 था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये भारत सरकार के द्वारा प्रथम किश्त का 50% ₹101.81 करोड़ 13 सितम्बर 2017 को अग्रिम रूप से विमुक्त किया गया तथा शेष प्रथम किश्त का 50% ₹101.81 करोड़ 13 मार्च 2019 को विमुक्त किया गया एवं राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या-17 दिनांक 24 मई 2018 और संख्या-356 दिनांक 27 मार्च 2019 के द्वारा राज्यांश ₹67.88 करोड़ (प्रथम किश्त) एसडीआरएफ में जमा की। भारत सरकार के द्वारा ₹1,159.16 करोड़ एनडीआरएफ से प्राकृतिक विपत्तियों के मद्देनजर विमुक्त किए गये जिसे राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या 120 दिनांक 24 अगस्त 2018 के द्वारा एसडीआरएफ में जमा किया गया।

दूसरी ओर राज्य सरकार से ₹135.75 करोड़, ₹691.87 करोड़, ₹135.75 करोड़ एवं ₹467.28 करोड़ के डेबिट नोट प्राप्त हुए। तदनुसार राशि ₹135.75 करोड़, ₹691.87 करोड़, ₹135.75 करोड़ तथा ₹467.28 करोड़ एसडीआरएफ को नामे किया गया, जिससे कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में एसडीआरएफ का अंतशेष ₹78,850/- करोड़ रह गया।

**अनुदान संख्या- 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014	न्याय प्रशासन
2029	भू-राजस्व
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं
2075	विविध सामान्य सेवाएं
2506	भूमि सुधार
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	70,14,628	79,12,517	55,27,370	(-)23,85,147
अनुपूरक	8,97,889			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				23,88,431
1 मार्च 2019	9,65,957			
28 मार्च 2019	40,000			
31 मार्च 2019	13,82,474			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,79,523	2,79,523	17,184	(-)2,62,339
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,62,339
4 फरवरी 2019	2,00,000			
31 मार्च 2019	62,339			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹23,851.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹199.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹4,919.52 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹3,860.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,978.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹23,884.31 लाख), अंतिम बचत (₹23,851.47 लाख) से ₹32.84 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2014-00-106-0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	132.09	205.42	205.42	0.00	₹46.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	119.55				
	पुनर्वि०	(-)46.22				
2029-00-001-0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,202.20	1,718.37	1,718.37	0.00	₹483.83 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)483.83				
2029-00-001-0004 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	218.00	180.94	180.51	(-)0.43	अंतिम बचत तथा ₹ 153.87 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	116.81				
	पुनर्वि०	(-)153.87				
2029-00-001-0102 जोतों की चकबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	1,208.24	1,801.80	1,786.92	(-)14.88	अंतिम बचत तथा ₹ 606.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,200.00				
	पुनर्वि०	(-)606.44				
2029-00-103-0206 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,659.58	0.00	0.00	0.00	एनएलआरएमपी अंतर्गत भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹9,659.57 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹0.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)9,659.58				

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2029-00-104-0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	49,105.56	42,350.06	42,329.06	(-)21.00	प्रावधान में ₹ 9,708.21 लाख की हुई कमी, ₹ 21.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 9,729.21 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,952.71				
	पुनर्वि०	(-)9,708.21				
2029-00-104-0002 हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	643.70	643.70	0.00	₹751.30 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	795.00				
	पुनर्वि०	(-)751.30				
2029-00-104-0004 जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	41.76	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)41.76				
2052-00-090-0017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,361.52	1,153.96	1,159.19	(+)5.23	प्रावधान में ₹ 210.06 लाख की हुई कमी, ₹ 61.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 271.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2.50				
	पुनर्वि०	(-)210.06				
2052-00-099-0001 राजस्व पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	457.13	625.29	620.27	(-)5.02	अंतिम बचत तथा ₹ 79.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	247.96				
	पुनर्वि०	(-)79.80				

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2070-00-800-0002 गजेटियर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	96.65	21.68	21.68	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.20 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 74.77 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)74.97				
2506-00-102-0001 जोतों की चकबन्दी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	481.74	323.48	347.76	(+)24.28	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹184.87 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	26.61				
	पुनर्वि०	(-)184.87				
3454-01-001-0402 कृषि गणना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	432.04	256.86	256.86	0.00	जिलों द्वारा राशि की निकासी नहीं करने, संविदा पर नियुक्त अधिकारियों की स्थानांतरण तथा सरकारी प्रेस से मुद्रण विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹175.18 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)175.18				
3454-01-101-0402 राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	307.00	111.35	68.86	(-)42.49	अंतिम बचत तथा ₹ 195.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)195.65				
3604-00-200-0001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों का सेस का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	603.53	390.74	390.74	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹82.10 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 130.69 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)212.79				



**अनुदान संख्या- 40- क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2029-00-102-0101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,062.00	4,235.66	4,335.71	(+)100.05	अंतिम अधिक व्यय तथा ₹1,235.59 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	3,409.25				
	पुनर्वि०	(-)1,235.59				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹2,623.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹2,795.23 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4047-00-050-0107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनांतर्गत रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)15.00				
4047-00-789-0106 गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	2,586.57	144.27	144.27	0.00	₹2,442.30 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,442.30				
4047-00-796-0101 गृह विहीनों के लिए वास भूमि (राज्य स्कीम)	मूल	161.66	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)161.66				

**अनुदान संख्या- 41- पथ निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

3054 सड़क तथा सेतु

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	1,41,59,183	1,41,82,033	93,02,651	(-)48,79,382
अनुपूरक	22,850			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				15,27,354
31 मार्च 2019	15,27,354			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	5,47,32,100	5,74,72,100	5,55,49,680	(-)19,22,420
अनुपूरक	27,40,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				50,97,985
16 जनवरी 2019	35,39,050			
31 मार्च 2019	15,58,935			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹48,793.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹200.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹28.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹228.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹15,273.54 लाख), अंतिम बचत (₹48,793.82 लाख) से ₹33,520.28 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3054-03-052-0001 मशीने और उपकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	323.42	323.42	0.00	₹176.58 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	(-)176.58				
3054-03-103-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	57,500.00	50,894.37	41,413.65	(-)9,480.72	अंतिम बचत तथा ₹6,605.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,605.63				
3054-80-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,004.32	5,249.55	5,249.55	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹204.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 550.77 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)754.77				
3054-80-001-0002 पर्यवेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,608.07	25,053.92	24,768.08	(-)285.84	प्रावधान में ₹ 5,554.15 लाख की हुई कमी, ₹ 204.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.50 लाख की कमी तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 5,715.65 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,554.15				
3054-80-001-0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना- निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,500.00	1,417.84	58.19	(-)1,359.65	अंतिम बचत तथा ₹ 2,082.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,082.16				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3054-80-001-0010 बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	134.57	96.94	96.94	0.00	₹37.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)37.63				
3054-80-797-0101 केन्द्रीय सड़क निधि से अंतरण (राज्य स्कीम)	मूल	43,085.00	43,085.00	10,149.62	(-)32,935.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
3451-00-090-0014 पथ निर्माण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	359.86	265.99	265.95	(-)0.04	अंतिम बचत तथा ₹93.87 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)93.87				

(vi) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
3054-03-103-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	109.74	109.74	0.00	प्रावधान में ₹ 31.24 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 42.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 11.26 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	28.50				
	पुनर्वि०	31.24				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

पूँजी ( दत्तमत )

(v) ₹19,224.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹22,200.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹5,200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹27,400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹50,979.85 लाख), अंतिम बचत (₹19,224.20 लाख) से ₹31,755.65 लाख अधिक था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5054-03-101-0103 पुल (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	1,13,671.00	1,12,462.18	1,01,258.34	(-)11,203.84	अंतिम बचत तथा ₹ 1,208.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,208.82				
5054-03-101-0104 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	86.37	86.37	0.00	₹63.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)63.63				
5054-03-337-0206 केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	43,085.00	23,737.37	23,737.37	0.00	₹19,347.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)19,347.63				
5054-04-337-0201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	41,500.00	23,294.50	23,294.50	0.00	₹18,205.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)18,205.50				

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5054-02-337-0101 भारत-नेपाल सीमा सड़क (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	139.00	139.00	0.00	प्रावधान में ₹138.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 139.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	138.99				

**अनुदान संख्या- 41- क्रमशः**

(vii) **उचंत लेन-देन** : (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹(-)23,752.87 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा-(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत। प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

**(i) स्टॉक** :- इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

**(ii) क्रय** :- जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का “क्रय” शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को “8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा” में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

**(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम** :- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

**(iv) कार्यशाला उचंत** :- (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2018-19 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2019 को अंतशेष
<b>( ₹ लाख में )</b>					
<b>(i) 3054 - सड़क तथा सेतु</b>					
क्रय	(-)4,047.20	0.00	0.00	0.00	(-)4,047.20
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-)690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	3,206.98	10,554.08	0.00	10,554.08	13,761.06
<b>जोड़</b>	<b>(-1,530.65)</b>	<b>10,554.08</b>	<b>0.00</b>	<b>10,554.08</b>	<b>9,023.43</b>

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2018 को अंतशेष
( ₹ लाख में )					
<b>(ii) 5054 - सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण	4,04,838.53	13,198.79	0.00	13,198.79	4,18,037.32
<b>जोड़</b>	<b>4,04,834.10</b>	<b>13,198.79</b>	<b>0.00</b>	<b>13,198.79</b>	<b>4,18,032.89</b>

(viii) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
( ₹ लाख में )					
2016-17	6,33,459.22	23,186.64	3.66	169.70	0.02
2017-18	6,01,295.75	26,652.80	4.43	193.70	0.03
2018-19	6,95,970.74	30,172.76	4.34	327.76	0.05

(ix) केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि के अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष संस्वीकृत राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिपक्ष नामे डालकर इस शीर्ष में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आबंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय को राज्य सरकार के खाते में निम्न प्रकार से लेखांकन प्रक्रिया हैं:-

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 06-केन्द्र प्रायोजित स्कीम -104-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 08-राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान -108-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

### अनुदान संख्या- 41- क्रमांत

इन योजनाओं में हुई वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंततः इस मुख्य शीर्ष में किया गया व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है। इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है।

भारत सरकार से वर्ष 2018-19 में ₹10,149.00 लाख प्राप्त हुई एवं मुख्य शीर्ष 1601-08-108 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 2569 (S)A दिनांक 31.3.2019 के आलोक में अंतरण प्रविष्टि द्वारा ₹10,149.00 लाख को मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु- 80- सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से के अंतर्गत नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को जमा किया गया। पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 2570 (S)A दिनांक 31.3.2019 के आलोक में मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण प्रविष्टि द्वारा ₹10,149.00 लाख नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 03-राज्य राजमार्ग लघु शीर्ष 902-घटाये- अन्य जमा सड़क निधि अनुदान से पूरी की गयी राशि के अंतर्गत घटाकर नामे किया गया।



**अनुदान संख्या- 42- ग्रामीण विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203	तकनीकी शिक्षा
2215	जलापूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	15,32,00,362	18,95,19,086	12,77,66,673	(-)6,17,52,413
अनुपूरक	3,63,18,724			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,16,40,583
14 फरवरी 2019	22,12,193			
5 मार्च 2019	4,38,02,836			
31 मार्च 2019	1,56,25,554			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	15,10,100	15,10,100	23,293	(-)14,86,807
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,86,807
14 फरवरी 2019	13,59,392			
31 मार्च 2019	1,27,415			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹6,17,524.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹ 83,802.92 लाख), नवम्बर 2018 (₹2,20,000.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹ 59,384.32 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,63,187.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,16,405.83 लाख), अंतिम बचत (₹6,17,524.13 लाख) से ₹1,118.30 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-112-0106 डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (राज्य स्कीम)	मूल	22,823.00	10,397.66	10,082.85	(-)314.81	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹12,425.34 लाख की कमी हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)12,425.34				
2215-02-796-0206 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,123.00	2,969.46	2,969.46	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹15,153.54 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)15,153.54				
2215-02-796-0306 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,020.00	4,254.34	3,531.34	(-)723.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,234.34				
2216-03-105-0104 इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	13,494.02	3,373.50	3,373.50	0.00	₹10,120.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)10,120.52				
2216-03-105-0106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2216-03-105-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,46,337.24	2,01,934.87	2,01,934.87	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹ 2,44,402.37 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,44,402.37				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2216-03-789-0103 मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2216-03-789-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50,150.00	35,178.20	35,178.20	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी के कारण ₹ 14,971.80 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)14,971.80				
2216-03-796-0103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	1,200.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
2216-03-796-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,015.00	1,300.81	1,300.81	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी के कारण ₹ 3,714.19 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,714.19				
2216-03-796-0302 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,396.00	9,186.59	9,189.28	(+)2.69	भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण ₹11,926.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	19,717.00				
	पुनर्वि०	(-)11,926.41				
2501-01-001-0104 बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2501-06-001-0101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	120.34	120.34	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी तथा अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानांतरण से राशि अनुपयोगिता के कारण ₹179.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)179.66				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2501-06-101-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	45,490.00	27,579.26	27,579.26	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹17,910.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)17,910.74				
2501-06-101-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,482.33	18,386.12	18,386.12	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹ 3,986.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	14,890.00				
	पुनर्वि०	(-)3,986.21				
2501-06-789-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	24,296.00	15,580.12	15,580.12	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹8,715.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)8,715.88				
2501-06-789-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,947.00	10,386.74	10,386.74	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹ 1,196.26 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	8,636.00				
	पुनर्वि०	(-)1,196.26				
2501-06-796-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17,594.00	11,282.14	11,282.14	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹6,311.86 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)6,311.86				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2501-06-796-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,134.00	7,521.42	7,521.42	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹2,664.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	8,052.18				
	पुनर्वि०	(-)2,664.76				
2505-01-701-0102 मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	428.36	428.36	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹171.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)171.64				
2505-02-101-0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,76,398.00	71,842.21	71,842.21	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹1,04,555.79 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,04,555.79				
2505-02-101-0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	41,746.75	31,200.00	31,200.00	0.00	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹10,546.75 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)10,546.75				
2515-00-003-0101 बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	437.14	80.00	80.00	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹357.14 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)357.14				
2515-00-102-0218 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,920.00	1,760.00	1,760.00	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹2,160.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,160.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2515-00-102-0516 बिहार एकीकृत सामाजिक सुदृढीकरण परियोजना (ईएपी) (राज्य स्कीम)	मूल	1,999.00	1,594.71	1,594.71	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी के कारण ₹404.29 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)404.29				
3451-00-090-0010 ग्रामीण विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	967.22	821.85	823.85	(+2.00)	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी तथा अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानांतरण से राशि अनुपयोगिता के कारण ₹ 191.37 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	46.00				
	पुनर्वि०	(-)191.37				
3454-02-206-0102 विशेष पहचान योजना (यूआईडी) (राज्य स्कीम)	मूल	2,020.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,020.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2215-02-789-0204 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,99,351.00	65,475.92	66,603.58	(+1,127.66)	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उदव्यय में कमी के कारण ₹1,33,875.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,33,875.08				

अनुदान संख्या- 42- क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

(v) ₹14,868.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹15,101.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4515-00-103-0102 प्रखंड लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	15,100.00	232.93	232.93	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण ₹1,273.15 लाख की कमी हुई। ₹ 13,593.92 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)14,867.07				

**अनुदान संख्या- 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
( ₹ हजार में )				
मूल	15,05,686	18,50,761	14,12,054	(-)4,38,707
अनुपूरक	3,45,075			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,38,361
9 जुलाई 2018	23,607			
22 नवम्बर 2018	27,000			
3 फरवरी 2019	1,50,000			
31 मार्च 2019	2,37,754			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	9,40,000	17,85,000	10,88,902	(-)6,96,098
अनुपूरक	8,45,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,51,882
22 नवम्बर 2018	1,95,000			
31 मार्च 2019	4,56,882			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,387.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹321.25 लाख), नवम्बर 2018 (₹3,109.50 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,450.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,383.61 लाख), अंतिम बचत (₹4,387.07 लाख) से ₹3.46 लाख कम था।



अनुदान संख्या 43- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-001-0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	388.05	359.91	359.22	(-)0.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹62.00 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹13.14 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	47.00				
	पुनर्वि०	(-)75.14				
2203-00-003-0101 प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	अनु०	236.07	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)236.07				
2203-00-004-0101 बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	77.60	77.60	0.00	₹2,122.40 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,122.40				
2203-00-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	425.01	335.84	332.03	(-)3.81	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹89.14 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹0.03 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)89.17				
2203-00-103-0001 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	103.77	77.40	77.40	0.00	₹26.37 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)26.37				

अनुदान संख्या -43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2203-00-105-0106 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	376.93	374.21	(-)2.72	प्रावधान में ₹43.07 लाख की हुई कमी, ₹ 98.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 141.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	220.00				
	पुनर्वि०	(-)43.07				
2203-00-112-0001 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,404.20	5,324.45	5,324.45	0.00	₹602.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,523.00				
	पुनर्वि०	(-)602.75				
2203-00-112-0105 बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	811.57	811.57	0.00	योजना एवं विकास विभाग द्वारा आंतरिक समायोजन का व्यय नहीं होने के कारण ₹236.07 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹306.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 146.36 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)688.43				
3451-00-090-0003 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	163.04	193.00	196.77	(+)3.77	अधिक बचत तथा ₹ 35.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	65.68				
	पुनर्वि०	(-)35.72				

**अनुदान संख्या 43- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹6,960.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹6,950.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹ 1,500.0 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,450.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,518.82 लाख), अंतिम बचत (₹6,960.98 लाख) से ₹442.16 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-02-104-0109 पोलिटैकनिक (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	2,532.06	2,532.06	0.00	₹1,467.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,467.94				
4202-02-105-0106 अभियंत्रण कॉलेज भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	2,217.89	2,217.89	0.00	₹3,232.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,950.00				
	पुनर्वि०	(-)3,232.11				

(vii) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4202-02-105-0102 पोलिटैकनिक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,295.00	540.30	602.72	(+)62.42	अधिक व्यय तथा ₹ 1,754. 70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,754.70				

**अनुदान संख्या -44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,38,24,446	1,46,46,342	1,02,29,171	(-)44,17,171
अनुपूरक	8,21,896			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,24,341
31 मार्च 2019	40,24,341			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	40,000	40,000	0	(-)40,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,000
31 मार्च 2019	40,000			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹44,171.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹140.00 लाख), नवम्बर 2018 (₹3,000.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹5,078.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,218.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹40,243.41 लाख), अंतिम बचत (₹44,171.71 लाख) से ₹3,928.30 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0106 अम्बेदकर फाउण्डेशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नियम में संशोधन तथा ज्ञापन की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2225-01-001-0001 निर्देशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,345.34	4,493.26	4,493.26	0.00	मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹852.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)852.08				
2225-01-001-0003 राज्य अनुसूचित जाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	120.66	0.00	0.00	0.00	आयोग द्वारा पूर्व वर्ष के अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)120.66				
2225-01-102-0101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने से योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2225-01-197-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	7,710.73	5,568.04	5,568.04	0.00	₹2,142.69 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,142.69				
2225-01-198-0001 प्रवेशिकोर्नर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	शिक्षा विभाग के स्तर से राशि व्यय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2225-01-198-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	14,391.00	9,623.89	9,623.89	0.00	₹4,767.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)4,767.11				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-01-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	998.78	616.66	616.66	0.00	मांग प्राप्त नहीं होने तथा कर्मियों की कमी के कारण ₹ 382.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)382.12				
2225-01-277-0003 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,464.63	10,700.97	10,570.19	(-)130.78	मांग प्राप्त नहीं होने तथा कर्मियों की कमी के कारण ₹ 1,763.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,763.66				
2225-01-277-0007 प्रवेशिकोनेर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	शिक्षा विभाग के स्तर से राशि व्यय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2225-01-277-0011 छात्रवृत्ति/वजीफा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,080.00	737.56	736.31	(-)1.25	मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹342.44 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)342.44				
2225-01-277-0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	274.61	148.58	148.56	(-)0.02	मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹126.03 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)126.03				
2225-01-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,650.00	816.49	816.49	0.00	जिला स्तर पर निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹833.51 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)833.51				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-01-277-0107 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	20,059.55	21,541.10	21,530.27	(-)10.83	₹2,992.77 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	4,474.32				
	पुनर्वि०	(-)2,992.77				
2225-01-277-0219 पोस्ट-मैट्रीक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	775.00	775.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹5,225.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)5,225.00				
2225-01-277-0222 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रीक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	3,750.12	70.55	(-)3,679.57	शिक्षा विभाग से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 1,249.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,249.88				
2225-01-793-0401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2225-02-001-0001 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	83.70	0.00	0.00	0.00	आयोग द्वारा पूर्व वर्ष के अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)83.70				
2225-02-102-0105 अनुसूचित जनजाति का विकास (राज्य स्कीम)	अनु०	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-02-102-0201 अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,800.00				
2225-02-102-0202 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,800.00				
2225-02-197-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	1,438.00	985.56	957.11	(-)28.45	शिक्षा विभाग से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 452.44 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)452.44				
2225-02-198-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	5,317.12	903.50	903.50	0.00	शिक्षा विभाग से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 4,413.62 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)4,413.62				
2225-02-277-0003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	171.74	52.13	52.13	0.00	रसोईया की कमी तथा मांग अप्राप्त होने के कारण ₹119.61 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)119.61				
2225-02-277-0004 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,072.52	1,831.43	1,831.43	0.00	मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹241.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)241.09				



अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2225-02-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	3,217.60	2,995.09	2,974.80	(-)20.29	शिक्षा विभाग से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 827.15 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	604.64				
	पुनर्वि०	(-)827.15				
2225-02-277-0214 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	715.00	153.09	153.09	0.00	भारत सरकार से राशि की प्राप्ति नहीं होने तथा शिक्षा विभाग द्वारा निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 561.91 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)561.91				
2225-02-277-0216 पोस्ट-मैट्रीक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
2225-02-796-0125 थरूहट क्षेत्र विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,761.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, अग्रिम राशि की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)2,761.00				
2225-02-796-0228 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समूहों के विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
2225-02-796-0427 वन-बन्धु कल्याण योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	10.00	16.08	16.08	0.00	जिला स्तर पर राशि की निकासी नहीं होने के कारण ₹133.92 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	अनु०	140.00				
	पुनर्वि०	(-)133.92				

अनुदान संख्या- 44- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2251-00-090-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	508.96	406.75	406.75	0.00	मांग प्राप्त नहीं होने तथा कर्मियों की कमी के कारण ₹102.21 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)102.21				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹400.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत तक यह अनुपयोगी रह गया ।

(v) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4425-00-108-0164 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	0.00	0.00	0.00	अजाविनी द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण, सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)400.00				

अनुदान संख्या- 45- गन्ना उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	12,28,991	25,11,050	16,94,519	(-)8,16,531
अनुपूरक	12,82,059			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,54,217
31 मार्च 2019	7,54,217			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹8,165.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹12,811.59 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹9.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹12,820.59 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,542.17 लाख), अंतिम बचत (₹8,165.31 लाख) से ₹623.14 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-108-0002 गन्ना की खेती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,519.01	1,056.41	1,055.78	(-)0.63	अंतिम बचत तथा ₹ 473.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	11.00				
	पुनर्वि०	(-)473.60				
2401-00-108-0109 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	4,717.95	920.16	1,379.99	(-)459.83	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,143.17 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,654.62 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,797.79				
2401-00-796-0129 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	56.84	0.01	0.01	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.77 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹43.06 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)56.83				
2852-08-201-0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	191.40	177.58	177.53	(-)0.05	अंतिम बचत तथा ₹ 42.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	28.50				
	पुनर्वि०	(-)42.32				
2852-08-201-0103 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	3,735.00	2,252.37	1,109.20	(-)1,143.17	प्रावधान में ₹ 1,482.63 लाख की हुई कमी, ₹1,143.17 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,625.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,482.63				

अनुदान संख्या- 45- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2852-08-789-0101 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	720.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में ₹720.00 लाख की हुई कमी, ₹ 220.37 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹940.37 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)720.00				
2852-08-796-0102 आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में ₹45.00 लाख की हुई कमी, ₹13.77 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹58.77 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)45.00				
3451-00-090-0002 गन्ना उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	142.96	130.58	130.58	0.00	₹26.38 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	14.00				
	पुनर्वि०	(-)26.38				

(iv) अधिक व्यय (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2401-00-789-0108 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	909.48	46.01	106.98	(+)60.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹220.37 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹643.10 लाख की कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	(-)863.47				

**अनुदान संख्या- 46- पर्यटन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	4,54,474	6,07,474	3,17,664	(-)2,89,810
अनुपूरक	1,53,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,89,748
26 नवम्बर 2018	200			
28 जनवरी 2019	70,000			
31 मार्च 2019	2,19,548			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	10,80,121	10,80,121	4,20,241	(-)6,59,880
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,50,848
26 नवम्बर 2018	4,64,117			
31 मार्च 2019	1,86,731			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,898.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹10.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,520.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,530.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,897.48 लाख), अंतिम बचत (₹2,898.10 लाख) से ₹0.62 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 46- क्रमांत

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3452-01-190-0103 होटल प्रबंधन संस्थान, बौद्ध गया (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	50.94	50.94	0.00	₹51.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2.00				
	पुनर्वि०	(-)51.06				
3452-80-001-0001 निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,672.84	1,417.91	1,417.90	(-)0.01	अंतिम बचत तथा ₹ 254.93 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)254.93				
3452-80-003-0101 बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
3452-80-104-0103 पर्यटकीय विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	380.25	380.25	0.00	₹1,519.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	700.00				
	पुनर्वि०	(-)1,519.75				

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹6,598.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹10,801.21 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,508.48 लाख), अंतिम बचत (₹6,598.80 लाख) से ₹90.32 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

5452-01-101-0104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	10,801.21	4,292.73	4,202.41	(-)90.32	अंतिम बचत तथा ₹6,508.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,508.48				

**अनुदान संख्या -47- परिवहन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2041 वाहन कर  
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
3055 सड़क परिवहन  
3075 अन्य परिवहन सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	7,96,908	1,30,33,208	1,15,36,482	(-)14,96,726
अनुपूरक	1,22,36,300			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,45,360
31 मार्च 2019	14,45,360			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	4,30,000	4,30,001	85,507	(-)3,44,494
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,44,494
20 जुलाई 2018	2,50,000			
26 नवम्बर 2018	90,000			
31 मार्च 2019	4,494			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹14,967.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹4,758.50 लाख), नवम्बर 2018 (₹15,915.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹1,01,689.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,22,363.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹14,453.60 लाख), अंतिम बचत (₹14,967.26 लाख) से ₹513.66 लाख कम था।



अनुदान संख्या -47- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-001-0001 राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	662.04	487.16	487.16	0.00	₹252.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	78.00				
	पुनर्वि०	(-)252.88				
2041-00-101-0001 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	316.60	248.03	248.03	0.00	₹118.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	(-)118.57				
2041-00-101-0002 मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,377.16	4,265.70	4,234.01	(-)31.69	अंतिम बचत तथा ₹4,195.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,083.73				
	पुनर्वि०	(-)4,195.19				
2041-00-101-0003 बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,333.50	188.24	188.24	0.00	₹1,145.26 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,145.26				
2041-00-101-0005 सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,200.00	188.51	188.51	0.00	₹1,011.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,011.49				
2041-00-102-0001 वाहनों का निरीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	342.79	245.16	244.81	(-)0.35	अंतिम बचत तथा ₹127.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	30.00				
	पुनर्वि०	(-)127.63				

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2052-00-090-0035 परिवहन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	224.96	129.55	129.49	(-)0.06	अंतिम बचत तथा ₹168.41 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	73.00				
	पुनर्वि०	(-)168.41				
3055-00-199-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	6,360.00	3,314.41	3,177.76	(-)136.65	अंतिम बचत तथा ₹3,045.59 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,045.59				
3055-00-789-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	7,950.00	4,734.83	4,446.78	(-)288.05	अंतिम बचत तथा ₹3,215.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)3,215.17				
3055-00-796-0101 मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	1,590.00	428.12	371.23	(-)56.89	अंतिम बचत तथा ₹1,161.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,161.88				

**अनुदान संख्या -47- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹3,444.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 में प्राप्त किया गया ₹0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
5055-00-051-0101 जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	675.83	675.83	0.00	भवन निर्माण विभाग से संबंधित कार्य होने के कारण ₹2,500.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹ 324.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)2,824.18				
5055-00-051-0102 वाहन प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	179.24	179.24	0.00	₹20.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)20.76				
5055-00-051-0103 वे-ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा) (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	₹600.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				

**अनुदान संख्या- 48- नगर विकास एवं आवास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2015 निर्वाचन  
2215 जलापूर्ति तथा सफाई  
2217 शहरी विकास  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं  
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	4,41,35,867	5,36,12,962	3,29,70,183	(-)2,06,42,779
अनुपूरक	94,77,095			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,03,65,318
31 जनवरी 2019	2,05,000			
15 मार्च 2019	34,54,099			
29 मार्च 2019	39,37,949			
31 मार्च 2019	1,27,68,271			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	0	30,000	30,000	0
अनुपूरक	30,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹2,06,427.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹22,549.90 लाख), नवम्बर 2018 (₹7,770.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹64,451.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹94,770.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,03,653.19 लाख), अंतिम बचत (₹2,06,427.79 लाख) से ₹2,774.60 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
		( ₹ लाख में )			
2015-00-109-0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	68.56	68.56	0.00
	पुनर्वि०	(-)431.44			
2215-01-101-0007 बिहार राज्य जल परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,050.00			
2215-01-191-0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,029.18	1,029.18	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,970.82			
2215-01-193-0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	197.90	197.90	0.00
	पुनर्वि०	(-)302.10			
2215-01-789-0103 पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)500.00			
2215-01-796-0103 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)200.00			

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2215-02-191-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	701.88	701.88	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹498.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)498.12				
2215-02-193-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,020.74	1,020.74	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹179.26 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)179.26				
2215-02-789-0101 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	647.15	647.15	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹152.85 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)152.85				
2215-02-789-0303 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम(एनआरसीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राज्यांश की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2215-02-796-0305 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम(एनआरसीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राज्यांश की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2217-01-001-0002 पटना मेट्रोपोलिटन क्षेत्र प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	134.70	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)134.70				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-01-053-0001 बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, बुडको द्वारा प्रसताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2217-01-191-0106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	29.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)29.00				
2217-01-191-0109 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	12,798.92	11,511.72	(-)1,287.20	अंतिम बचत तथा ₹ 1.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	11,400.00				
	पुनर्वि०	(-)1.08				
2217-01-191-0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,300.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,300.00				
2217-01-191-0116 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	3,200.00	5,358.46	5,358.46	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹641.54 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	2,800.00				
	पुनर्वि०	(-)641.54				
2217-01-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,700.00	0.00	0.00	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹2,000. 00 लाख की प्रत्यर्पण हुई राज्य योजना अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से निधि की प्रत्यासित चूक होने से ₹ 700 00 की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,700.00				
2217-01-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,600.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)3,600.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-01-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,640.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,640.00				
2217-01-796-0201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)150.00				
2217-03-051-0201 स्वच्छ भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,000.00	12,321.28	12,321.28	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 2,678. 72 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,678.72				
2217-03-051-0202 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	48,000.00	15,880.64	15,880.64	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 32,119. 36 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)32,119.36				
2217-03-051-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	27,500.00	3,258.84	3,258.84	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 24,241. 16 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)24,241.16				
2217-03-051-0204 स्मार्ट शहर मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	32,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 4,500. 00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)4,500.00				



अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-03-051-0304 स्मार्ट शहर मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	21,000.00	18,600.00	18,600.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,326.40 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹73.60 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,400.00				
2217-03-191-0102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	167.00	95.34	79.80	(-)15.54	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹71.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)71.66				
2217-03-192-0013 नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	525.00	272.56	268.99	(-)3.57	पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने के कारण ₹252.44 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)252.44				
2217-03-192-0102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	327.00	171.14	21.32	(-)149.82	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹75.94 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹79.92 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)155.86				
2217-03-192-0105 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	5,919.14	5,919.14	0.00	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹276.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹1,304.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	3,500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,580.86				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-03-193-0012 नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	475.91	475.91	0.00	पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण होने के कारण ₹524.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)524.09				
2217-03-193-0101 नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	450.00	207.87	207.87	0.00	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹242.14 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)242.14				
2217-03-193-0102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	277.00	111.32	105.08	(-)6.24	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹134.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹31.44 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)165.68				
2217-03-193-0103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,920.00	10,014.21	10,014.21	0.00	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹10.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹2,895.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,905.79				
2217-03-193-0104 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,249.89	5,132.55	5,132.55	0.00	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹456.36 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹1,960.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	4,300.00				
	पुनर्वि०	(-)2,417.34				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-03-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	17,300.00	12,708.12	12,708.12	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹4,591.88 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)4,591.88				
2217-03-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,600.00	906.60	906.60	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹2,693.40 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,693.40				
2217-03-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,640.00	1,572.47	1,572.47	0.00	भारत सरकार से कुल राशि का आनुपातिक हिस्सा विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 1,688.33 लाख की प्रत्यर्पण हुई । उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 379.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)2,067.53				
2217-03-796-0101 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	780.00	616.51	613.26	(-)3.25	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹60.69 लाख की प्रत्यर्पण हुई। उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹102.80 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)163.49				
2217-03-796-0303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	75.00	49.80	49.80	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹25.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)25.20				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-05-001-0008 समेकित शहरी अभियंत्रण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	2,050.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	वेतन मद में राशि की आवंटन नहीं होने के कारण ₹ 550.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)550.00				
2217-05-001-0101 ई-गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2217-05-001-0102 योजनाओं का अनुश्रवण/ मूल्यांकन/ पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2217-05-001-0105 अभियंत्रण कोषांग हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	463.58	455.27	(-)8.31	वर्तमान जिला शहरी विकास प्राधिकरण का विनियोजन नहीं होने के कारण ₹165.66 लाख की प्रत्यर्पण हुई। निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹170.76 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)336.42				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-05-001-0107 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थओं को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2217-80-001-0005 भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	72.00	36.00	36.00	0.00	तकनीकी कारणों से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹36.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)36.00				
2217-80-191-0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25,564.24	17,664.45	17,664.45	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 7,899.79 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)7,899.79				
2217-80-191-0013 राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	49,358.18	44,308.07	44,308.07	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹31,604.10 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	26,553.99				
	पुनर्वि०	(-)31,604.10				
2217-80-191-0016 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,962.43	1,196.09	1,196.09	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 766.34 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)766.34				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष		कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
						( ₹ लाख में )
2217-80-192-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,765.46	12,593.05	12,593.05	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 7,172.41 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)7,172.41				
2217-80-192-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	33,318.43	29,533.42	29,533.42	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹23,208.97 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	19,423.96				
	पुनर्वि०	(-)23,208.97				
2217-80-192-0008 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	118.34	95.22	92.59	(-)2.63	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 23.12 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)23.12				
2217-80-192-0009 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,439.68	1,111.19	1,111.19	0.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 328.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)328.49				
2217-80-193-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,693.30	7,888.51	7,864.42	(-)24.09	अंतिम बचत तथा ₹ 7,804.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)7,804.79				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2217-80-193-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,522.39	17,011.60	16,954.26	(-)57.34	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹15,233.37 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10,722.58				
	पुनर्वि०	(-)15,233.37				
2217-80-193-0007 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	102.56	59.17	58.31	(-)0.86	निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 43.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)43.39				
2217-80-193-0008 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,031.89	866.87	857.22	(-)9.65	उपयोगिता प्रमाण-पत्र असमायोजित रहने के कारण निधि की निकासी नहीं होने से ₹ 165.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)165.02				
3475-00-108-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,600.00	3,112.11	3,112.11	0.00	भारत सरकार से निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹3,487.89 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,487.89				
3475-00-108-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,115.00	1,815.00	1,815.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹300.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
3475-00-789-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	840.00	560.00	560.00	0.00	भारत सरकार से निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹280.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)280.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2215-01-789-0102 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,300.00	634.58	734.58	(+)100.00	प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण ₹ 665.42 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)665.42				
2217-03-051-0303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,570.00	5,409.42	5,409.42	0.00	प्रावधान में ₹2324.42 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 2326.40 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1.98 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। भारत सरकार से निधि की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹1.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	515.00				
	पुनर्वि०	2,324.42				

पूँजी ( दत्तमत )

(v) फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹300.00 लाख का अनुपूरक अनुदान वर्ष के दौरान पुर्णतः उपयोगी रहा।



**अनुदान संख्या- 49- जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2705	कमान क्षेत्र विकास
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में )		
मूल	1,04,24,644	1,04,24,644	98,35,304	(-)5,89,340
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,22,813
21 दिसम्बर 2018	1,30,350			
31 मार्च 2019	3,92,463			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	2,45,49,170	3,04,49,170	2,86,54,897	(-)17,94,273
अनुपूरक	59,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				13,86,228
25 जनवरी 2019	6,92,570			
31 मार्च 2019	6,93,658			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹5,893.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,04,246.44 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक हुआ।
- (ii) अत्यर्पित प्रावधान (₹5,228.13 लाख), अंतिम बचत (₹5,893.40 लाख) से ₹665.27 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)		अभ्युक्ति
				(₹ लाख में)		
2700-04-101-0001 अन्य मरम्मत व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,500.00	12,086.02	12,086.02	0.00	₹1,413.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,413.98				
2700-80-001-0003 निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	137.00	70.29	70.29	0.00	₹66.71 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)66.71				
2700-80-190-0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,570.00	817.50	303.89	(-)513.61	अंतिम बचत तथा ₹ 752.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)752.50				
2711-01-001-0506 बाढ़ प्रबंधन क्षमता सृद्धीकरण योजना (एसएडब्ल्यूआई ट्रस्ट फन्ड)(ईएपी) (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)75.00				
3451-00-090-0009 जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,593.00	2,263.32	2,260.84	(-)2.48	अंतिम बचत तथा ₹ 329.68 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)329.68				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

पूँजी ( दत्तमत )

(iv) ₹17,942.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2018 (₹37,500.00 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹ 21,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹59,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,862.28 लाख), अंतिम बचत (₹17,942.73 लाख) से ₹4,080.45 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4700-80-005-0101 सर्वे तथा खोज (स्थापना) (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	866.70	305.04	(-)561.66	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹113.69 लाख, प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 19.61 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)133.30				
4700-80-051-0207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,325.70	5,397.37	4,926.65	(-)470.72	अंतिम बचत तथा ₹ 6,928. 33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,928.33				
4711-01-051-0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम(एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	60,000.00	59,984.25	48,759.03	(-)11,225.22	अंतिम बचत तथा ₹ 15.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)15.75				
4711-01-051-0212 सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,500.00	5,692.12	5,692.12	0.00	₹6,807.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,807.88				

अनुदान संख्या- 49- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4711-01-051-0309	मूल	40,000.00	39,965.68	32,549.51	(-)7,416.17	अंतिम बचत तथा ₹ 34.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केंद्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)34.32				

**अनुदान संख्या- 50- लघु जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2702 लघु सिंचाई

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
( ₹ हजार में )				
मूल	37,49,874	47,99,274	43,40,353	(-)4,58,921
अनुपूरक	10,49,400			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,95,865
16 जनवरी 2019	23,473			
31 मार्च 2019	3,72,392			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	15,54,000	26,54,000	17,04,074	(-)9,49,926
अनुपूरक	11,00,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,14,522
31 मार्च 2019	9,14,522			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹4,589.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹10,494.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,958.65 लाख), अंतिम बचत (₹4,589.21 लाख) से ₹630.56 लाख कम था।

**अनुदान संख्या- 50- क्रमशः**

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2702-02-005-0001 सर्वेक्षण और जाँच (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,451.37	16,478.05	16,449.31	(-)28.74	कर्मचारियों के रिक्त पद तथा विपन्न प्राप्त नहीं होने के कारण ₹2,973.32 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,973.32				
2702-02-789-0102 सर्वेक्षण और जाँच (राज्य स्कीम)	मूल	64.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)64.00				
2702-03-101-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	46.25	24.42	24.42	0.00	अधिकांश कार्यभारित कर्मियों की सेवायें में नियमित स्थानांतर्गत समायोजित होने के कारण ₹21.83 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)21.83				
2702-03-101-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	9.27	6.24	(-)3.03	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 65.73 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)90.73				

**अनुदान संख्या- 50- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2702-03-102-0005 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	12.74	11.44	(-)1.30	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 62.26 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)87.26				
2702-03-103-0007 अन्य रख रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	519.51	448.21	(-)71.30	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 230.49 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)480.49				
2702-03-103-0104 निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	मूल	8,258.50	8,001.48	3,859.92	(-)4,141.56	नई योजना के स्वीकृति में विलंब तथा समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 257.02 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)257.02				
2702-03-789-0101 निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	मूल	1,592.00	1,539.38	649.73	(-)889.65	नई योजना के स्वीकृति में विलंब तथा समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 52.62 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)52.62				

**अनुदान संख्या- 50- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2702-03-796-0101 निजी नलकूप (राज्य स्कीम)	मूल	99.50	88.04	34.46	(-)53.58	नई योजना के स्वीकृति में विलंब तथा समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 11.46 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)11.46				
3451-00-090-0030 लघु जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	741.11	527.29	527.17	(-)0.12	कर्मचारियों के रिक्त पद तथा विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ₹213.82 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019) ।
	पुनर्वि०	(-)213.82				

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹9,499.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹10,000.00 लाख) तथा नवम्बर 2018 (₹ 1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹11,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,145.22 लाख), अंतिम बचत (₹9,499.26 लाख) से ₹354.04 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4702-00-101-0205 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	8,300.00	2,292.92	2,292.92	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब तथा समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 6,007.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)6,007.08				



अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4702-00-102-0101 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,703.16	1,003.90	1,003.90	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 273.47 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹425.79 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)699.26				
4702-00-789-0101 लघु सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,198.08	936.94	868.74	(-)68.20	नई योजना के स्वीकृति में विलंब तथा समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 261.14 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)261.14				
4702-00-789-0103 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	328.32	0.00	0.00	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 246.24 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹82.08 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)328.32				
4702-00-789-0205 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,600.00	39.80	39.80	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 1,560.20 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,560.20				

अनुदान संख्या- 50- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4702-00-789-0305 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	160.00	54.91	54.91	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 105.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)105.09				
4702-00-796-0103 लघु सिंचाई (राज्य स्कीम)	मूल	74.88	45.62	40.38	(-)5.24	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 29.26 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)29.26				
4702-00-796-0104 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	20.52	0.00	0.00	0.00	नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण ₹ 15.39 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.13 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)20.52				
4702-00-796-0206 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, नई योजना के स्वीकृति में विलंब के कारण हुई।
	पुनर्वि०	(-)100.00				

**अनुदान संख्या- 51- समाज कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
2236 पोषण  
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
		( ₹ हजार में )		
मूल	6,64,62,390	9,54,66,445	6,30,32,037	(-)3,24,34,408
अनुपूरक	2,90,04,055			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,19,50,636
20 जूलाई 2018	13,62,844			
20 अगस्त 2018	20,000			
20 नवम्बर 2018	89,18,027			
30 जनवरी 2019	41,04,125			
5 मार्च 2019	10,20,000			
29 मार्च 2019	24,66,083			
30 मार्च 2019	14,49,529			
31 मार्च 2019	1,26,10,028			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

- 4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	19,35,822	20,92,831	4,33,124	(-)16,59,707
अनुपूरक	1,57,009			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				16,57,067
20 नवम्बर 2018	11,61,567			
30 जनवरी 2019	1,91,633			
29 मार्च 2019	1,000			
30 मार्च 2019	1,71,008			
31 मार्च 2019	1,31,859			

**अनुदान संख्या- 51- क्रमशः**

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

(i) ₹3,24,344.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹2,10,741.28 लाख), नवम्बर 2018 (₹ 54,424.93 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹24,874.34 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,90,040.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,19,506.36 लाख), अंतिम बचत (₹3,24,344.08 लाख) से ₹4,837.72 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-101-0001 नेत्रहीन विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	221.37	154.87	154.87	0.00	₹66.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)66.50				
2235-02-101-0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	220.64	160.39	158.14	(-)2.25	अंतिम बचत तथा ₹60.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)60.25				
2235-02-101-0022 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	125.87	26.56	26.56	0.00	₹99.31 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)99.31				
2235-02-101-0106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	150.00	150.00	0.00	₹504.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	454.00				
	पुनर्वि०	(-)504.00				
2235-02-101-0121 मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	13.00	13.00	0.00	₹37.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)37.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-101-0223 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,791.87	895.94	895.94	0.00	₹895.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-895.94)				
2235-02-101-0323 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,150.00	981.67	981.67	0.00	₹168.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-168.33)				
2235-02-102-0222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	63,407.41	37,028.92	37,028.92	0.00	विभिन्न मदों में अत्यधिक प्रावधान के कारण ₹31,625.62 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	5,247.13				
	पुनर्वि०	(-31,625.62)				
2235-02-102-0223 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,500.00	2,621.87	2,621.87	0.00	₹2,878.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-2,878.13)				
2235-02-102-0224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	28,901.28	686.12	685.81	(-)0.31	11 से 14 वर्ष के किशोर छात्राओं के विद्यालय में कमी के कारण ₹ 28,215. 16 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-28,215.16)				
2235-02-102-0225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,200.00	6,011.88	6,004.20	(-)7.68	अत्यधिक प्रावधान के कारण ₹11,369.35 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	10,181.23				
	पुनर्वि०	(-11,369.35)				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-102-0226 राष्ट्रीय पालनाघर योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार द्वारा निदेशन अप्राप्त रहने के कारण हुई ।
	पुनर्वि०	(-)60.00				
2235-02-102-0322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,258.19	39,290.74	39,290.74	0.00	विभिन्न मद में अत्यधिक प्रावधान के कारण ₹8,923.98 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	31,956.53				
	पुनर्वि०	(-)8,923.98				
2235-02-102-0323 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,833.33	3,718.73	3,718.73	0.00	₹493.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	2,378.67				
	पुनर्वि०	(-)493.27				
2235-02-102-0324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,172.90	467.72	464.03	(-)3.69	भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹ 6,705.18 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)6,705.18				
2235-02-102-0325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,900.00	2,954.77	2,947.19	(-)7.58	विभिन्न मद में अत्यधिक प्रावधान के कारण ₹4,181.56 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	5,236.33				
	पुनर्वि०	(-)4,181.56				
2235-02-102-0326 राष्ट्रीय पालनाघर योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार द्वारा निदेशन अप्राप्त रहने के कारण हुई।
	अनु०	10.00				
	पुनर्वि०	(-)30.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल	वास्तविक	अधिक व्यय (+)	अभ्युक्ति
	अनुदान		व्यय	व्यय	बचत (-)	
			( ₹ लाख में )			
2235-02-102-0327 आंगनबाड़ी सेवायें ( आईसीडीएस ) ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	22,855.44	22,773.32	22,773.32	0.00	विभिन्न मद में अत्यधिक प्रावधान के कारण ₹3,683.30 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	3,601.18				
	पुनर्वि०	(-)3,683.30				
2235-02-103-0109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	4,392.27	2,609.73	2,609.73	0.00	लाभार्थियों के भुगतान श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹1,632.54 लाख की प्रत्यर्पण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,782.54				
2235-02-103-0219 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	210.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण ₹5,228.74 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	5,018.74				
	पुनर्वि०	(-)5,228.74				
2235-02-103-0225 मातृत्व लाभ योजना ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	मूल	4,291.44	692.37	692.37	0.00	भारत सरकार द्वारा विभिन्न सेल की स्थापना तथा लाभार्थियों के लिए सीधे खाते में राशि हस्तांतरण कराये जाने के कारण ₹3,599.07 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,599.07				
2235-02-103-0227 महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना ( केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम )	अनु०	167.69	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)167.69				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-103-0229 स्वधार गृह योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	398.54	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)398.54				
2235-02-103-0319 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	78.75	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण ₹1,535.13 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	1,456.38				
	पुनर्वि०	(-)1,535.13				
2235-02-103-0327 महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	83.90	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)83.90				
2235-02-103-0329 स्वधार गृह योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	265.69	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)265.69				
2235-02-104-0001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	190.73	159.26	159.26	0.00	₹31.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)31.47				
2235-02-104-0106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	₹365.28 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	365.28				
	पुनर्वि०	(-)365.28				
2235-02-104-0107 मुख्यमंत्री भीक्षावृत्ति निवारण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,020.00	755.00	755.00	0.00	₹413.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	148.00				
	पुनर्वि०	(-)413.00				



अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
		( ₹ लाख में )				
2235-02-106-0001 प्रतिप्रक्षण गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	492.14	319.17	312.33	(-)6.84	अंतिम बचत तथा ₹ 172.97 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)172.97				
2235-02-106-0008 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.80	69.65	68.96	(-)0.69	अंतिम बचत तथा ₹31.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)31.15				
2235-02-106-0106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	945.30	944.14	(-)1.16	अंतिम बचत तथा ₹554.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)554.70				
2235-02-200-0105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	400.00	400.00	0.00	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2235-02-789-0103 आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,656.60	2,981.19	2,981.19	0.00	लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण ₹ 577.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	901.68				
	पुनर्वि०	(-)577.09				
2235-02-789-0107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,162.45	1,785.41	1,785.41	0.00	लाभार्थियों के भुगतान श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹3,377.04 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)3,377.04				
2235-02-789-0312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,115.34	117.49	117.49	0.00	भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के भुगतान श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹1,997.85 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)1,997.85				

**अनुदान संख्या- 51- क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-789-0313 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	26.25	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण ₹1,144.09 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	अनु०	1,117.84				
	पुनर्वि०	(-)1,144.09				
2235-02-796-0123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,006.90	256.26	256.26	0.00	लाभार्थियों के भुगतान श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹750.64 लाख की प्रत्यर्पण हुई।
	पुनर्वि०	(-)750.64				
2235-03-101-0202 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	3,100.00	3,000.00	71.68	(-)2,928.32	अंतिम बचत तथा ₹ 100.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2235-03-101-0203 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,500.00	15,547.97	15,547.97	0.00	₹2,952.03 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)2,952.03				
2235-03-101-0301 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	45,969.78	91,019.78	91,019.78	0.00	भारत सरकार द्वारा संबंधित विभाग को अलग पीएफएमएस कोड दिये जाने के कारण ₹ 3,000.00 लाख की प्रत्यर्पण हुई। ₹29,480.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	77,530.22				
	पुनर्वि०	(-)32,480.22				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति	
			( ₹ लाख में )				
2235-03-101-0302	अनु०	3,000.00	1,709.15	255.49	(-)1,453.66	अंतिम बचत तथा ₹ 1,290.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०	(-)1,290.85					
2235-03-101-0303	मूल	4,000.00	5,155.00	5,155.00	0.00	₹4,845.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	अनु०	6,000.00					
	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०					(-)4,845.00
2235-03-789-0201	मूल	28,916.09	17,202.37	17,202.37	0.00	भारत सरकार द्वारा संबंधित विभाग को अलग पीएफएमएस कोड दिये जाने के कारण ₹ 11,713.72 लाख की प्रत्यर्पण हुई।	
	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०					(-)11,713.72
2235-03-789-0202	मूल	6,500.00	3,200.00	3,200.00	0.00	₹3,300.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	पुनर्वि०					(-)3,300.00
2235-03-789-0203	अनु०	713.72	713.72	163.80	(-)549.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।	
2235-03-789-0301	मूल	19,058.48	19,058.48	19,058.48	0.00	भारत सरकार द्वारा संबंधित विभाग को अलग पीएफएमएस कोड दिये जाने के कारण ₹ 25,791.06 लाख की प्रत्यर्पण हुई।	
	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०					25,791.06
		पुनर्वि०					(-)25,791.06

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-03-789-0302 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,400.00	1,072.00	1,072.00	0.00	₹2,298.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,970.44				
	पुनर्वि०	(-)2,298.44				
2235-03-789-0303 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	575.86	172.00	22.79	(-)149.21	अंतिम बचत तथा ₹ 403. 86 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)403.86				
2235-03-796-0203 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,296.95	1,396.95	1,396.95	0.00	₹5,900.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)5,900.00				
2235-60-102-0001 वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,811.00	1,809.76	1,808.39	(-)1.37	अंतिम बचत तथा ₹ 1,001. 24 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)1,001.24				
2235-60-102-0101 वृद्धावस्था पेंशन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	603.00	603.00	0.00	अंतिम बचत तथा ₹ 1,747. 00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	350.00				
	पुनर्वि०	(-)1,747.00				
2235-60-200-0002 सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	153.90	153.90	0.00	₹46.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)46.10				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-60-200-0119 मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2235-60-789-0102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,400.00	4,415.88	4,415.88	0.00	₹4,356.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,372.78				
	पुनर्वि०	(-)4,356.90				
2235-60-789-0103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00	₹6,550.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,950.08				
	पुनर्वि०	(-)6,550.08				
2235-60-789-0104 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	157.00	157.00	0.00	₹956.86 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	113.86				
	पुनर्वि०	(-)956.86				
2236-02-789-0204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	56,270.69	13,059.12	13,057.77	(-)1.35	भारत सरकार द्वारा अपेक्षित धन की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 43,801.15 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	589.58				
	पुनर्वि०	(-)43,801.15				

**अनुदान संख्या- 51- क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
2235-02-106-0107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	350.00	350.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹150.00 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	150.00				
2236-02-101-0203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70,854.16	52,416.64	52,723.06	(+306.42)	भारत सरकार द्वारा अपेक्षित धन की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹ 18,437.52 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	पुनर्वि०	(-)18,437.52				
2236-02-101-0303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	46,863.93	46,890.14	(+26.21)	आँगनवाड़ी सेविका के हड़ताल होने के कारण ₹ 20,436.08 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	67,300.00				
	पुनर्वि०	(-)20,436.08				

**अनुदान संख्या- 51- क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

(v) ₹16,597.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2018 (₹759.83 लाख), नवम्बर 2018 (₹799.87 लाख) तथा फरवरी 2019 (₹10.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,570.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹16,570.67 लाख), अंतिम बचत (₹16,597.07 लाख) से ₹26.40 लाख कम था।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			( ₹ लाख में )			
4235-02-102-0208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17,968.21	2,097.18	2,089.18	(-)8.00	भारत सरकार से मनरेगा योजना में निधि की कम स्वीकृति तथा राशि अप्राप्त रहने के कारण ₹ 16,045.36 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	174.33				
	पुनर्वि०	(-)16,045.36				
4235-02-102-0308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,380.01	2,260.46	2,242.06	(-)18.40	भारत सरकार से मनरेगा योजना में निधि की कम स्वीकृति तथा राशि अप्राप्त रहने के कारण ₹ 515.31 लाख की प्रत्यर्पण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।
	अनु०	1,395.76				
	पुनर्वि०	(-)515.31				

परिशिष्ट

वर्ष 2018-19 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ गअप पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक ( + ) कम ( - )
	( ₹ हजार में )		
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	49,06,889	(+)49,06,889
पूँजी	0	47	(+)47
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,01,328	(+)1,01,328
पूँजी	0	1,712	(+)1,712
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,80,980	(+)1,80,980
पूँजी	0	9,12,485	(+)9,12,485
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	57	(+)57
5 राज्यपाल सचिवालय			
प्रभारित			
राजस्व	0	83	(+)83
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	30,083	(+)30,083
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	35,116	(+)35,116
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	98,340	(+)98,340
पूँजी	0	53,566	(+)53,566



परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
10 ऊर्जा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,050	(+)1,050
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,27,480	(+)3,27,480
12 वित्त विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	98	(+)98
13 सूद भुगतान			
प्रभारित			
राजस्व	100	817	(+)717
15 पेंशन			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,03,064	(+)1,03,064
16 पंचायती राज विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,38,438	(+)4,38,438
17 वाणिज्य-कर विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	887	(+)887
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	91,138	(+)91,138
19 पर्यावरण एवं वन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,930	(+)2,930

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक ( + ) कम ( - )
	( ₹ हजार में )		
20 स्वास्थ्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	92,871	(+)92,871
पूँजी	0	973	(+)973
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	34,09,409	(+)34,09,409
पूँजी	0	1,00,692	(+)1,00,692
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,24,766	(+)2,24,766
पूँजी	0	23,472	(+)23,472
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,23,541	(+)2,23,541
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	42	(+)42
25 सूचना प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	17,458	(+)17,458
26 श्रम संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,995	(+)3,995
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,673	(+)2,673

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक ( + ) कम ( - )
	( ₹ हजार में )		
29 खान एवं भूतत्व विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	334	(+)334
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,807	(+)5,807
पूँजी	0	55,180	(+)55,180
32 विधानमंडल			
दत्तमत			
राजस्व	0	8,552	(+)8,552
33 सामान्य प्रशासन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	8,636	(+)8,636
35 योजना एवं विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	49,492	(+)49,492
पूँजी	0	436	(+)436
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
दत्तमत			
पूँजी	0	31,52,234	(+)31,52,234
37 ग्रामीण कार्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,175	(+)2,175
पूँजी	0	2,40,35,654	(+)2,40,35,654
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	153	(+)153

परिशिष्ट- क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक ( + ) कम ( - )
	( ₹ हजार में )		
39 आपदा प्रबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,94,380	(+)1,94,380
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,79,894	(+)5,79,894
पूँजी	0	10,646	(+)10,646
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,20,686	(+)1,20,686
पूँजी	0	29,12,778	(+)29,12,778
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,37,979	(+)2,37,979
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	19,397	(+)19,397
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,51,733	(+)6,51,733
45 गन्ना उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	381	(+)381
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	285	(+)285
पूँजी	0	130	(+)130

परिशिष्ट- क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,076	(+)6,076
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,22,655	(+)5,22,655
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,94,652	(+)2,94,652
पूँजी	0	98,97,000	(+)98,97,000
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,627	(+)5,627
पूँजी	0	1,965	(+)1,965
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	23,60,756	(+)23,60,756
पूँजी	0	1,00,160	(+)1,00,160
<b>योग</b>			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,53,62,283	(+)1,53,62,283
पूँजी	0	4,12,59,130	(+)4,12,59,130
प्रभारित			
राजस्व	100	900	(+)800
पूँजी	0	0	0
<b>कुल योग</b>	<b>100</b>	<b>5,66,22,313</b>	<b>(+)5,66,22,213</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2019)।





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2019  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)